खण्ड–519, अंक–05
शुक्रवार, 01 आश्विन, शक संवत् 1944
(23 सितम्बर, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2022)

(खण्ड 519 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 500 गुना फीस वृद्धि का प्रकरण उठाये जाने का प्रयास	7
प्रश्नोत्तर	7-28
अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	28-79
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	80
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	80-84
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद कौशाम्बी में मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद इटावा की तहसील इटावा नगर के अन्तर्गत ग्वालियर बाईपास एवं नगर को जोड़ने वाली रोड के मध्य में पड़ने वाले प्राचीन हनुमान मन्दिर के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86
जनपद वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय एवं वाहन के लिए सरकार के द्वारा दिये जा रहे बजट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद कानपुर नगर हाल्सी रोड, थाना बादशाहीनाका में अवैध सब्जी मण्डी हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86-87
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद संत कबीरनगर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम रेवटा में चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत शक्ति पीठ देवीपाटन तुलसीपुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	88-89
जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र खतौली में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने हेतु काली नदी में गंग नहर का पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
खादिम इण्डिया लिमिटेड के वेन्डरों पर स्कूल बैग की आपूर्ति के क्रम में आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तहसील गोला में बिजली के बिल में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई में सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर, कासगंज में सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां वाया जौगढ़ से गोल्हनपुर होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में गोराघाट-रामगंगा नदी के तट पर पक्का घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत विकास खण्ड चकिया में रामपुर कला में मुख्य मार्ग से गांव के पश्चिम तरफ देतरा बाबा मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में अण्डरग्राउण्ड सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत गिलौला से सिसारा घाट मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में न्याय पंचायत चन्दौली के अन्तर्गत मठ वाली गली में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0-167/2021 में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही न कर उन्हें विधि विरुद्ध ढंग से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96-97
प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत मदरसा आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर में नगर निगम के अन्तर्गत सड़क, नालियों-सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
विधान भवन में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, जवाहर भवन के अन्तर्गत आने वाले वायर मैन, पम्प चालक, लिफ्ट आपरेटर एवं हेल्पर आदि के साथ हो रहे अन्याय तथा शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	100
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत ब्लाक सीटी में बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
प्रदेश में समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिए आवश्यक राड, नेल, स्क्रू, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101-102
जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत बल्दीराय स्थित पूरे प्रतिपाल मिश्र का पुरवा, ग्राम सभा बहुरावां में नये पोल लगाने एवं 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	102
जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	103
जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा स्वीकृत आई0टी0आई0 निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में लम्बित भूमि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	103-104
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104
जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के ग्राम नानकपुर, रामपुर के पास से जमुना के खादरों से अवैध बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104-105

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला राधानगर में नाले एवं खड़न्जे के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	105
जनपद एटा में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद उन्नाव में नवसृजित विकास खण्ड माँखी को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	106
जनपद लखनऊ के थाना मदेयगंज में पंजीकृत प्रकरण की विवेचना पुलिस उपायुक्त चौक के अन्तर्गत आने वाले समस्त थाने को छोड़कर जनपद लखनऊ के किसी अन्य थाने से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत आगरा-बाह मार्ग भदरौली-खरकपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास खण्डों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गोमती नदी की सूखी जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के बेलीपार में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र भवन की मरम्मत एवं विस्तार हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109-110

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद हरदोई के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय रैसों में वर्ष 2008 से कार्यरत सहायक अध्यापिका द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112-113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113-114
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	114
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	114-115
श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	115
श्री श्यामधनी राही, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 03 तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	116
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	116-117
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	117

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	117-118
श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	118
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	118-119
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	119
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	120
श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	120-121
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	121-122
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	122
कुंवर सुशान्त सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	122
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत) ...	123
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	123-124
श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	124-125
श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	125
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	125-126
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	126-127

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	127
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	127-128
श्री हिमांशु यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	128
श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	128-129
श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	129
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 05 याचिकाए (उपस्थित की हुई मानी गई)	129-130
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	130-131
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	131
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	131
श्री जियाउर्रहमान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	132
श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	132
श्री हरिओम वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	132
श्री पंकज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	133
श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	133-134

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	134
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	134-135
श्री प्रदीप कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	135-136
श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	136
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	136-137
श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	137
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	138
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद कन्नौज से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत) ...	138
श्री राम खिलाड़ी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	139
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	139
श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	139-140
श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	140
श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	141
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	141-142

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज मणि, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	142-143
श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	143
श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	143
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	144
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	144
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	144-145
श्री संदीप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	145
श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	145-146
श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	146
श्री समरपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	146-147
श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	147-148
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	148
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	148-149
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	149

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	150
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	150
श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	150-151
श्री दुधराम, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	151-152
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	152
श्री वाचस्पति, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	152-153
श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	153-154
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	154
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	154-155
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा जनपद झांसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	155
श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)	156
श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	156
श्री आशु मलिक, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)	156-157
श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	157

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद सन्त कबीरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	157-158
श्री गौरी शंकर वर्मा 'कोरी', सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	158
श्री गुरु प्रसाद मौर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	159
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	159-60
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	160
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	160-161
श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	161
श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	162
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	162-163
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	163
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 01 तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	163-164
श्रीमती नीलिमा कटिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	164
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	164
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)	164-165

विषय	पृष्ठ संख्या
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	165
डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	166
डॉ0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	166-167
डॉ0 सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	167-168
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	168
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	168-169
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	169
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	169-170
डॉ0 रश्मि आर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	170
विपक्ष द्वारा सदन में उठाये गये प्रदेश की समस्या सम्बन्धी सभी विषयों पर शासन का वक्तव्य	170-171
पशुओं में होने वाली लम्पी स्किन डिजीज के सम्बन्ध में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री का सदन में वक्तव्य	171-172
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	172-173
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिलों को पहले लिये जाने का अनुरोध ...	173
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित)	173-180
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित) ...	180-185

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत बन्द पड़े पी0पी0सी0 महिला चिकित्सालय के स्थान पर एक नया 100 बेड का चिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री राम निवास वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प (अस्वीकृत)	185
विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र को पुनः स्थापित कर बीते 25 वर्षों से बन्द पड़े आटो-ट्रैक्टर लिमिटेड ए0एल0टी0 को पुनः चालू करवा कर क्षेत्र की जनता को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)	186-187
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में किसानों के हित हेतु उप मण्डी का निर्माण कराने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)	187-188
जनपद फिरोजाबाद में हृदय रोगियों के इलाज, आपरेशन आदि की सुविधा के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एक कैथलैब की स्थापना कराने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)	188-190
जनपद कुशीनगर की तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा हेतु एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराने विषयक श्री असीम कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)	190
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना बाजार को टाउन एरिया का दर्जा दिलाने विषयक श्री बेचई सरोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)	190
जनपद बस्ती की नगर पंचायत गणेशपुर को आदर्श नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् बस्ती को आदर्श नगर पालिका के रूप में बनाये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत) ...	190
जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की क्षमता वृद्धि कर 5000 टी0सी0डी0 एवं आधुनिकीकरण कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभी द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)	190-192
वाणिज्यिक उत्पादों तथा उनके पैकेट/रैपर आदि पर देवी-देवताओं के नाम व उनकी छवि का उपयोग प्रतिबन्धित किये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प (वापस)	192-193

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत महमूदपुर माफी को आदर्श नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् बिलारी को आदर्श नगर पालिका परिषद् के रूप में बनाये जाने विषयक श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)... ...	193
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	193-199
खेत की बाड़ में फसकर पशुओं के साथ दुर्घटना होने पर किसानों के ऊपर मुकदमें दर्ज किये जाने पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग ...	199-200
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	200-206
जनपद जौनपुर व जनपद वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य	206-207
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम अली अकबरपुर, नवादा में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	207-209
जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में बिजली की आपूर्ति का रोस्टर सारिणी उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	209-211
जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टांडा में ग्राम महरीपुर को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	212
जनपद फिरोजाबाद में टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं का नाम पोर्टल में अपलोड कराते हुए टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	212-215

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-100(3) के अन्तर्गत निजी बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य	215-217
जनपद श्रावस्ती के तहसील भिनगा में सरकारी विद्युत विभाग की सरकारी जमीन की पैमाइश कराने तथा अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	218
जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में 12 साल की बालिका की गुमशुदगी के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...	219
विधान सभा के मानसून सत्र के सफलतापूर्वक संचालन पर धन्यवाद प्रस्ताव	220-226
नियम-107 के अन्तर्गत कृषि मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय गौ-आधारित प्राकृतिक पद्धति पर दो दिवसीय सेमिनार के आयोजन की सूचना... ...	227
मा0 अध्यक्ष द्वारा नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य सभी सदस्यों के प्रति आभार	227-231
अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	231
राष्ट्रगान	231-232
नत्थियां	233-242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

1. अंकुर तिवारी, श्री — सन्त कबीरनगर
2. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
3. अजय, श्री — गोण्डा
4. अजय कुमार, श्री — बागपत
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अताउर रहमान, श्री — बरेली
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्त कबीरनगर
13. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
14. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
16. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
18. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
19. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
20. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
21. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
22. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
23. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
24. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
25. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
26. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अल्का सिंह, श्रीमती — हरदोई
30. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
31. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
32. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
33. अशरफ अली खान, श्री — शामली
34. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
37. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
38. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
41. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
42. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
44. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
45. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
46. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर
50. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
51. ऋषि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
52. एम0पी0 आर्य, डॉ0 — बरेली

53. ओममणी वर्मा, श्रीमती — बांदा
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
55. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री — आजमगढ़
56. कमाल अख्तर, श्री — मुरादाबाद
57. कविन्द्र चौधरी, श्री — बस्ती
58. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
59. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
61. केतकी सिंह, श्रीमती — बलिया
62. कैलाश, श्री — चन्दौली
63. कैलाश नाथ, श्री — बलरामपुर
64. कैलाश राजपूत, श्री — कन्नौज
65. गणेश चन्द्र, श्री — सन्त कबीरनगर
66. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती — प्रयागराज
67. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती — औरैया
68. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री — प्रयागराज
69. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
70. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
71. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री — जालौन
72. चन्दन चौहान, श्री — मुजफ्फरनगर
73. चन्द्रपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
74. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
75. छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
76. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
77. जय कुमार सिंह जैकी, श्री — फतेहपुर
78. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
79. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री — पीलीभीत
80. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
81. जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
82. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
83. जयमंगल, श्री — महराजगंज
84. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
85. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
86. जाहीद, श्री — भदोही
87. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
88. जियाउर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
89. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
90. जीत लाल पटेल, श्री — प्रतापगढ़
91. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
92. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महाराजगंज
93. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
94. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्धनगर
95. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
96. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
97. दयाशंकर सिंह, श्री — बलिया
98. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
99. दिनेश रावत, श्री — बाराबंकी
100. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
101. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री — देवरिया
102. दुधराम, श्री — बस्ती
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
106. देवेन्द्र सिंह, श्री — कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री — बुलन्दशहर
108. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
109. धर्मपाल सिंह, डॉ0 — आगरा
110. धर्मराज सिंह यादव, श्री — बाराबंकी
111. धर्मेश सिंह तोमर, श्री — हापुड़
112. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
113. नन्दकिशोर, श्री — गाजियाबाद
114. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — प्रयागराज
115. नफीस हमद, श्री — आजमगढ़
116. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
117. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री — फर्रुखाबाद

118. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती — कासगंज
119. नासिर कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
120. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
121. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
122. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
123. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 — वाराणसी
124. नीलिमा कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
125. पंकज कुमार मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
126. पंकज गुप्ता, श्री — उन्नाव
127. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
128. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री — कुशीनगर
129. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
130. पल्लवी पटेल, डॉ0 — कौशाम्बी
131. पीयूष रंजन निषाद, श्री — प्रयागराज
132. पूजा, श्रीमती — आजमगढ़
133. पूनम संखवार, श्रीमती — कानपुर देहात
134. प्रकाश द्विवेदी, श्री — बांदा
135. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
136. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
137. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री — बुलन्दशहर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री — औरैया
139. प्रदीप कुमार सिंह, श्री — हाथरस
140. प्रदीप शुक्ला, श्री — गोरखपुर
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
142. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
143. प्रसन्न कुमार, श्री — शामली
144. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
145. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री — फिरोजाबाद
146. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
147. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
148. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
149. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
150. बाबूराम, श्री — पीलीभीत
151. बाबूलाल, श्री — आगरा
152. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
153. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती — देवरिया
154. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
157. बेचई सरोज, श्री — आजमगढ़
158. बेदी, श्री — गाजीपुर
159. ब्रजभूषण राजपूत, श्री — महोबा
160. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
161. ब्रिजेश, श्री — सहारनपुर
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
163. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
164. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
165. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
166. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री — कुशीनगर
167. मनीषा, श्रीमती — हमीरपुर
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
169. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 — हमीरपुर
170. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
171. मन्जू शिवाच, डॉ0 — गाजियाबाद
172. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — अमेठी
173. महेन्द्र, श्री — अमरोहा
174. महेन्द्र नाथ यादव, श्री — बस्ती
175. महेन्द्र पाल सिंह, श्री — गोरखपुर
176. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
177. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर नगर
178. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
179. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — हरदोई
180. मानवेन्द्र सिंह, श्री — शाहजहांपुर
181. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती — बुलन्दशहर
182. मुकेश चौधरी, श्री — सहारनपुर
183. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 — फिरोजाबाद

184. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
185. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
186. मेघश्याम, श्री मथुरा
187. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
188. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
189. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
190. मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', श्री कानपुर नगर
191. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
192. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
193. योगेश धामा, श्री बागपत
194. योगेश वर्मा, श्री खीरी
195. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
196. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
197. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
198. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
199. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
200. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
201. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
202. रमेश, श्री जौनपुर
203. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
204. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
205. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
206. रवि शर्मा, श्री झांसी
207. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
208. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
209. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
210. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
211. डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
213. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
214. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
215. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
216. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
217. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
218. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
219. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
220. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
221. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
222. राजमणि, श्री प्रयागराज
223. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
224. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
225. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
226. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
227. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
228. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
229. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
230. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
231. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
232. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
233. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
234. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
235. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
236. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
237. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
238. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
239. रामकेश निषाद, श्री बांदा
240. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
241. रामदुलार, श्री सोनभद्र
242. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
243. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
244. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
245. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
246. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
247. राम बिलास चौहान, श्री मऊ
248. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर

249. राहुल प्रकाश कोल, श्री मिर्जापुर
250. राहुल राजूपत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
251. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
252. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
253. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
254. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
255. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
256. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
257. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
258. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
259. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
260. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
261. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
262. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
263. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
264. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
265. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
266. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
267. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
268. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
269. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
270. विपुल दुबे, श्री भदोही
271. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
272. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
273. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
274. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
275. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
276. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
277. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महाराजगंज
278. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
279. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
280. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
281. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
282. शशांक वर्मा, श्री खीरी
283. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
284. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
285. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
286. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
287. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
288. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
289. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
290. संग्राम सिंह, श्री बलिया
291. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
292. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
293. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
294. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
295. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
296. सन्दीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
297. सन्दीप सिंह, श्री प्रयागराज
298. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
299. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
300. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
301. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
302. सभाकुंवर, श्री देवरिया
303. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
304. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
305. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
306. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
307. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
308. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
309. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
310. साकेन्द्र प्रताप, श्री बाराबंकी
311. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
312. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
313. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
314. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
315. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी

316. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
317. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
318. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
319. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
320. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
321. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश राही, श्री सीतापुर
324. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
325. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
326. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
327. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
328. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
329. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
330. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
331. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
332. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
333. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
334. हंसु राम, श्री बलिया
335. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
336. हरिओम, श्री कासगंज
337. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
338. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
339. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
340. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
341. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
342. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
343. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :- जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), कारागार एवं होमगार्ड्स मंत्री (श्री धर्मवीर प्रजापति), पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र कश्यप), आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री (डॉ0 दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 500 गुना फीस वृद्धि का प्रकरण उठाये जाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि लगभग 800 दिन हो गये हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, वह शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चला रहे हैं और उन छात्रों को यूनिवर्सिटी एवं सरकार से उपहार में यह मिला है कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी गयी है। आज की महंगाई में जब लोगों की आमदनी कम हो गयी हो, लोगों की आय न बढ़ी हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आज एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, कोरोना काल में कारोबार ठप हो गया हो, बाढ़ और सूखे के कारण किसान को फसल की पैदावार से कुछ मिल नहीं रहा है, सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा। आखिरकार गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जहां पर 500 गुना फीस हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजियेगा, अभी प्रश्न संख्या-01 ले लें।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, उसके साथ-साथ सदन चार दिन चला लेकिन महंगाई कहां कम हुई ? बेरोजगारी कहां कम हुई ? इस सदन में सरकार की तरफ से महंगाई एवं बेरोजगारी पर कोई भी जवाब नहीं आया है, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसे ही ठप हैं, छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर रही है।

(नेता विरोधी दल अपने दल एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

[11:03] प्रश्नोत्तर

(नत्थी-क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में बड़ी संख्या में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम विषयक

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय -**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में बड़ी संख्या में डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसे संक्रामक रोग फैल रहे हैं ? क्या सरकार ने उक्त संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 13-09-2022 तक प्रदेश में डेंगू व संक्रामक रोगों से ग्रसित कितने प्रकरण सामने आये हैं तथा उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी नहीं।

जी हां।

उक्त कार्य योजना की मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में वर्ष में तीन बार (माह अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में) संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान अन्तर्विभागीय रूप में आयोजित किया जाता है।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा माइक्रो प्लान तैयार कर जनपद स्तर, ब्लाक स्तर तथा ग्राम/मोहल्ला स्तर पर संचारी रोग नियंत्रण तथा सर्विलान्स गतिविधियां व जन जागरुकता गतिविधियां की जाती हैं।

दस्तक व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरुकता तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी रणनीति है। इस अभियान के अन्तर्गत संक्रामक रोगों के प्रति व्यापक जन जागरुकता हेतु विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर और परिवार स्तर तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

सम्भावित डेंगू रोगियों के रक्त नमूनों की एस0एस0एच0 लैब द्वारा जांच करायी जाती है तथा पाये गये डेंगू धनात्मक रोगियों को डेंगू ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्रदान किया जाता है।

डेंगू रोग के प्रसार पर रोकथाम व नियंत्रण हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित रूप से प्रभावी कार्यवाही के अन्तर्गत सोर्स रिडक्शन, कीटनाशक छिड़काव, फागिंग आदि कार्य कराया जाता है।

प्रत्येक ज्वर रोगी की मलेरिया हेतु जांच की जाती है एवं प्रत्येक मलेरिया धनात्मक रोगियों को आमूल उपचार प्रदान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां, दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 13-09-2022 तक इस सम्बन्ध में पाये गये रोगियों एवं मृत्यु की सूचना निम्नलिखित है:-

रोग का नाम	रोगी	मृतक
डेंगू	905	01
मलेरिया	2149	00

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रसन्न कुमार जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश में रोडवेज बसों के आवागमन हेतु स्थापित बस स्टैण्डों को अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने विषयक

***1-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोडवेज बसों के आवागमन हेतु स्थापित बस स्टैण्डों को अत्याधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

प्रदेश के 16 जनपदों में परिवहन निगम के 24 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 मॉडल पर अत्याधुनिक बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तथा बेरोजगारी कम करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना विषयक

***2-डॉ0 आर0 के0 वर्मा, डॉ0 संग्राम यादव तथा श्री राजेन्द्र कुमार-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार की बेरोजगारी कम करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

सेवायोजन विभाग के वेब पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर दिनांक 19 मार्च, 2017 से 12 सितम्बर, 2022 तक पंजीकृत जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) की संख्या 25,39,619 है। सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

विगत पांच वर्षों में आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
19-03-2017 से 31-03-2018 तक	633	63152
01-04-2018 से 31-03-2019 तक	685	103202
01-04-2019 से 31-03-2020 तक	733	143304
01-04-2020 से 31-03-2021 तक	869	147499
01-04-2021 से 31-03-2022 तक	822	117430
01-04-2022 से 31-08-2022 तक	901	93682
योग	**4643**	**668269**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री पंकज कुमार मलिक जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित नौजवानों की संख्या के सापेक्ष सृजित पद एवं भर्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

***3-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित नौजवानों की संख्या के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20, 2021-22 एवं चालू वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही तक कितनी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन हुआ एवं कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति करके उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग द्वारा जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2021-22 एवं चालू वर्ष 2022-23 में रोजगार मेलों तथा चयनित अभ्यर्थियों की प्रगति रिपोर्टः-

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
2019-20	733	143304
2021-22	822	117430
01-04-2022 से 31-08-2022 तक	901	93682

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती बोर्ड/आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, यू0पी0पी0सी0एल0 आदि के माध्यम से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न निरस्त है।

***4-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

श्री विनोद चतुर्वेदी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता को राहत दिलाने के दृष्टिगत महंगाई को रोकने विषयक

***5-श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री अखिलेश-**

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता को राहत दिलाने के दृष्टिगत महंगाई को रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार की अधिकारिता में आता है। राज्य सरकार द्वारा 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मानीटरिंग सेल के माध्यम से की जाती है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि सामान्यतः कृत्रिम व स्वाभविक होती है। कृत्रिम कारणों से होने वाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाती है। यदि बाजार भाव के परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि मूल्यों में वृद्धि कृत्रिम कारणों या जमाखोरी के कारण हो रही है, तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट आदि अधिरोपित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

स्वाभाविक कारण यथा एम0एस0पी0 में वृद्धि, मांग एवं आपूर्ति में अन्तर, मौसमी कारण जैसे बाढ़-सूखा, ओलावृष्टि आदि से फसल प्रभवित होने पर घरेलू उत्पादन कम हो जाता है, जिससे मांग के अनुरूप आपूर्ति घट जाती है, फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। देश में तिलहन का उत्पादन व उपलब्धता घरेलू मांग से कम रहती है। आलू व प्याज की कीमतों में वृद्धि अधिकांशतः मौसमी कारण से होती है।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के दृष्टिगत दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट भारत सरकार के आदेशों के क्रम में राज्य में भी लागू है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के स्टॉकिस्ट, रिफाइनर्स/एक्सट्रैक्टर, मिलर्स, डीलर्स द्वारा खाद्य तेलों एवं तिलहन के स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर की गयी है। जमाखोरी या अन्य अनियमितितायें पाये जाने पर प्रदेश की 08 फर्मों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में विगत सप्ताहों में तूर/अरहर दाल के दाम में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद में दालों के सभी स्टॉकिस्ट, इम्पोर्टर्स, डीलर्स व मिलर्स के द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर दाल के स्टॉक की घोषणा करते हुए तूर/अरहर दाल के मूल्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत सरकार लाभार्थियों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इस योजना से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिली है तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। ऑयल कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 1,70,48,897 (एक करोड़ सत्तर लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सत्तानवे) परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को इस वर्ष 12 सिलेण्डर तक प्रति रिफिल पर रु0 200/- का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

हाजी इरफान सोलंकी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश में खेत स्वामी की सहमति के बिना किसी निर्माण एजेंसी को उसके खेत से मिट्टी उठाने विषयक

***6-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेत स्वामी की सहमति के बिना किसी निर्माण एजेंसी को उसके खेत से मिट्टी उठाने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153(सा0)/2017, दिनांक 18-09-2020 द्वारा www.upminemitra.in पोर्टल पर साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के आवेदन हेतु 'भू-स्वामी की सहमति' अपलोड किये जाने के प्राविधान हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री रविदास मेहरोत्रा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

वर्ष 2018 मे फर्जी आधार कार्ड और ई-पॉश मशीन से जुड़े साफ्टवेयर में सेंधमारी कर प्रदेश में करोड़ों रुपये के राशन घोटाले की जांच विषयक

***7-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 मे फर्जी आधार कार्ड और ई-पॉश मशीन से जुड़े साफ्टवेयर में सेंधमारी कर प्रदेश में करोड़ों रुपये का राशन घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच के मुख्य बिन्दु सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2018 में आधार ऑथेन्टिकेशन का दुरुपयोग करके खाद्यान्न गबन किये जाने की शिकायतें संज्ञान में आयी थीं, जिस पर शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1935/29-06-2018-319सा/11(क), दिनांक 28-08-2018 द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एस0टी0एफ0 से करायी गयी है। प्रकरण की जांच की कार्यवाही के अन्तर्गत 43 जनपदों में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में अभी तक 218 मुकदमे निस्तारित हुए हैं, 208 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है तथा 11 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

श्री अभय सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस प्रश्न को उत्तरित मानते हैं।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 2022 के माह जून तक किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किये जाने विषयक

***8-श्री अभय सिंह तथा श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 2022 के माह जून तक किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया तथा कितने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते हैं, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष योग्यताधारी समस्त क्षेत्र के (शहरी/ग्रामीण) रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है।

प्रगति रिपोर्ट-

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
19-03-2017 से 31-03-2018 तक	633	63152
01-04-2018 से 31-03-2019 तक	685	103202
01-04-2019 से 31-03-2020 तक	733	143304
01-04-2020 से 31-03-2021 तक	869	147499
01-04-2021 से 31-03-2022 तक	822	117430
01-04-2022 से 31-03-2022 तक	901	93682
योग	**4643**	**668269**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित करने एवं बेरोजगारी भत्ता विषयक

***9-श्री उमाशंकर सिंह, श्री जियाउर्रहमान तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है ? क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) के पंजीकरण की व्यवस्था है। दिनांक 19 मार्च, 2017 से 12 सितम्बर, 2022 तक पोर्टल पर पंजीकृत जॉब सीकर्स की संख्या 25,39,619 है।

19 मार्च, 2017 से 31 अगस्त, 2022 तक सेवायोजन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से 6,68,269 अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया है।

जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश के सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

मान्यवर, माननीय सदस्य जी का स्पष्ट प्रश्न है और हमारा उत्तर भी स्पष्ट है। आपने जानना चाहा है कि 19 मार्च, 2017 से 12 सितम्बर, 2022 तक सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है। हमारे युवा जो रोजगार तलाश रहे हैं वह सेवायोजन पोर्टल पर कितने रजिस्टर्ड हैं। हमने स्पष्ट बता दिया है कि 25 लाख 39 हजार 619 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेरोजगार नौजवानों के सन्दर्भ में अनुपूरक करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि 25 लाख 39 हजार 619 लोगों ने वर्ष 2022 के पोर्टल पर पंजीकृत कराया है। इसमें से मात्र 6 लाख 68 हजार 269 लोगों को ही विभिन्न माध्यमों एवं रोजगार मेला के माध्यम से समायोजन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन से बाहर जाते हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जा रहे हैं ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, ये लोग हमेशा-हमेशा के लिए जा रहे हैं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं वे जा रहे थे तो स्वाभाविक है कि ध्यान उनकी तरफ जायेगा। सदन में बैठा हूँ तो उनकी ओर भी ध्यानाकर्षित किया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्लीज पूछिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है और मेरा मानना है कि इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और अपने घोषणा-पत्र मे भी सरकार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि जब तक हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे आप विभिन्न माध्यमों रोजगार मेला आदि के माध्यम से आप उनको एडजेस्ट करते जा रहे हैं, क्या आप जब तक उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार यह मानती है कि भत्ता इस समस्या का समाधान नहीं है, हर हाथ को काम देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है और मिशन रोजगार भी हम चला रहे हैं। जहां तक रोजगार देने की बात करें तो दो क्षेत्र हैं एक तो सरकारी क्षेत्र है और दूसरा गैर-सरकारी क्षेत्र में हम लोगों के रोजगार की व्यवस्था करते हैं। मान्यवर, सरकार ने जो प्रयास किया है, आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयास की सराहना हो रही है और उसी का परिणाम है कि आज जो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर है वह अब तक के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया है। यह 3.36 प्रतिशत पर है। हम हर हाथ को काम देना चाहते हैं और सम्मानित सदस्य को मैं आदरपूर्वक बताना चाहता हूँ कि कई प्रयास हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे पारदर्शी

तरीके से बेरोजगारों को अवसर सरकार दे रही है। हमने अभी उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का भी गठन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। साथ ही एक अभिनव प्रयोग सेवा मित्र पोर्टल बना कर किया है।

यह पूरे देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे कुशल श्रमिकों को अवसर प्रदान करने के लिए किया है और जो हमारी सम्मानित जनता है उनको बेहतर सेवा देने के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पर अभी तक 25,840 कुशल कामगार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। 538 लोगों की सेवा भी हमने ली है और यह एक बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। जैसे भारत सरकार जेम पोर्टल ले आई है उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा मित्र पोर्टल नाम से नया रास्ता निकाला है और आने वाले दिनों में हमारी जो सम्मानित जनता है एवं जो हमारी नोडल एजेंसियां हैं उनको भी हम इस पोर्टल पर आमंत्रित करेंगे। माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि जब तक हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना है तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि हम हर हाथ को काम दे सकें, हर बेरोजगार को हम रोजगार दे सकें और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-10, श्री अमिताभ बाजपेई, इसको उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में आकस्मिक सेवाओं एवं कानून व्यवस्था के अलावा अन्य सरकारी विभागों के वाहनों में लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, हूटर, पदनाम पट्टिका इत्यादि लगाने विषयक

***10-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आकस्मिक सेवाओं एवं कानून व्यवस्था के अलावा अन्य सरकारी विभागों के वाहनों में लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, हूटर, पदनाम पट्टिका इत्यादि लगाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार गलत तरीकों से लगने वाले लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, हूटर, पदनाम पट्टिका इत्यादि लगाने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

(1)लाल-नीली बत्ती एवं फ्लैशर लाइट-

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का0आ0-1374(अ), दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा कार्यालय ड्यूटी पर ऐसे यानों को

जिन्हें निम्नलिखित आपात और आपदा प्रबन्धन कर्तव्यों के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनके शीर्ष अग्रभाग पर बहु-रंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है:-

(क) अग्नि को नियंत्रित करने से सम्बन्धित कर्तव्य।

(ख) पुलिस, रक्षा बलों अथवा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कर्तव्य।

(ग) भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं तथा नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा एवं जीव वैज्ञानिक आपदा सहित मानव निर्मित आपदाओं के प्रबन्धन से सम्बन्धित कर्तव्य।

(2) हूटर व सायरन-

उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1772/30-4-2007-25पी/77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 द्वारा निम्नलिखित यानों में हूटर व सायन (हार्न) के प्रयोग की अनुज्ञा दी गयी है:-

(एक) प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री के साथ स्कोर्ट में तैनात पुलिस अधिकारियों के यानों में।

(दो) कार्यकारी पुलिस बल में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के अन्दर आपातकालीन स्थितियों में लगे यानों में।

(तीन) कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आपातकालीन स्थितियों में लगे यानों में।

(चार) प्रवर्तन सम्बन्धी ड्यूटी के दौरान आपातकालीन स्थितियों में अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिवहन विभाग, व्यापार कर विभाग, आबकारी विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों के यानों में।

(3) पदनाम पट्टिका-

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-50 के अन्तर्गत वाहन के आगे व पीछे पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने वाली पट्टिका लगाये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त कोई पदनाम पट्टिका, बोर्ड अथवा अन्य किसी भी प्रकार की पट्टियां लगाया जाना वर्जित है।

गलत तरीकों से लगने वाले लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, हूटर, पदनाम पट्टिका इत्यादि लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध सतत् संचालित प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-11, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, इसको उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश के प्रत्येक जेल/कारागार के अलग-अलग जेल बैरकों में बन्दी/कैदियों को रखने की क्षमता विषयक

***11-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जेल/कारागार के अलग-अलग जेल बैरकों में बन्दी/कैदियों को रखने की क्षमता कितनी है ? क्या जेल के बैरकों में क्षमता से अधिक बन्दी कैदी वर्तमान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्दी/कैदियों हेतु बैरकों की क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

प्रदेश की कारागारों में बन्दी क्षमता का विवरण संलग्न[†] है।

जी हां।

जी हां।

सतत् रूप से कारागारों में बन्दी क्षमता बढ़ाये जाने हेतु अतिरिक्त बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है।

बन्दी क्षमता बढ़ाये जाने हेतु अतिरिक्त बैरकों का निर्माण कार्य सतत् रूप से प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-12, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, इसको भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में सरकारी गेहूं खरीद केन्द्रों पर वर्तमान में कितने में कितने गेहूं की खरीद किसानों से किये जाने व बिक्री बढ़ाने विषयक

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी गेहूं खरीद केन्द्रों पर वर्तमान तक कितने गेहूं की खरीद किसानों से की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 के सापेक्ष कितनी गेहूं खरीद बढ़ी है ? क्या सरकार बिक्री बढ़ाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः- [†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-233-234 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में गेहूं खरीद नहीं की जा रही है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं क्रय की अवधि दिनांक 30-06-2022 तक निर्धारित थी, जिसमें 87991 कृषकों से 3.36 लाख मी0 टन गेहूं खरीद की गयी है।

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 35.76 लाख मी0 टन तथा रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 56.41 लाख मी0 टन गेहूं खरीद की गयी। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गेहूं क्रय सत्र समाप्ति दिनांक 30-06-2022 तक 3.36 लाख मी0 टन गेहूं खरीद की गयी। गेहूं खरीद सत्र 2022-23 में गेहूं का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य या अधिक रहने के कारण किसानों ने अपना अधिकांश गेहूं राजकीय क्रय केन्द्रों के स्थान पर खुले बाजार में बेचा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का भी यही उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इसी कारण विगत खरीद सत्रों की अपेक्षा राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद कम हुई है।

क्रय अवधि समाप्त होने के कारण वर्तमान में गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गेहूं खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा गेहूं क्रय से पूर्व क्रय नीति निर्गत की जाती है, जिसमें गेहूं क्रय में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-13, श्री महबूब अली, स्थानान्तरित।

***13-श्री महबूब अली-**

[10-बुधवार के तारांकित प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-14, श्री राम अवतार सिंह, इसको भी उत्तरित मान लिया गया।

उ0 प्र0 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधि0-1996 की धारा-4 एवं तत्सम्बन्धी उ0 प्र0 की नियमावली विषयक

***14-श्री राम अवतार सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधि0-1996 की धारा-4 एवं तत्सम्बन्धी

उ0 प्र0 की नियमावली के नियम-10 के अधीन गठित राज्य परामर्शदात्री समिति पर वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक वाहन, कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ते एवं अन्य मद में वर्षवार कुल कितना व्यय उत्तर प्रदेश सरकार एवं उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अवधि में उ0 प्र0 सरकार द्वारा अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में परामर्श हेतु कितने प्रकरण परामर्शदात्री को अग्रसारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा किया गया व्यय-

राज्य परामर्शदात्री समिति पर माह अगस्त, 2018 से माह अगस्त, 2022 तक अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के पक्ष में किये गये मानदेय, आवास भत्ता, टेलीफोन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

मानदेय पर व्यय :-

क्र0-सं0	अवधि	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	माह अगस्त, 2018 से माह अगस्त, 2022 तक	19,28,130/-

वाहन पर व्यय :-

क्र0-सं0	अवधि	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	माह मई, 2019 से माह नवम्बर, 2021 तक	18,99,949/-

कार्यालय एवं आवास पर स्थापित टेलीफोन पर व्यय :-

क्र0-सं0	अवधि	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	माह दिसम्बर, 2019 से माह जुलाई, 2022 तक	61,495/-

आवास भत्ता पर व्यय :-

क्र0-सं0	अवधि	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	माह अगस्त, 2018 से माह मई, 2022 तक	2,20,000/-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय :-

क्र0-सं0	अवधि	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	माह जनवरी, 2020	82,886/-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया व्यय :-

राज्य परामर्शदात्री समिति पर वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-2022 तक उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं वाहन पर व्यय किया गया है, जिसका वर्षवार व्यय विवरण निम्नवत् है :-

कर्मचारियों के वेतन पर व्यय-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	2017-18	---
02	2018-19	---
03	2019-20	5,71,102.56
04	2020-21	7,18,354.92
05	2021-22	7,58,120.15
कुल		**20,47,577.63**

वाहन पर व्यय :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	व्यय धनराशि (रु0 में)
01	2017-18	---
02	2018-19	1121948.00
03	2019-20	139161.00
04	2020-21	---
05	2021-22	---
कुल		**1261109.00**

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-15, श्री अतुल प्रधान, इसको भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में संचालित रोडवेज बसों के फिटनेस सम्बन्धी नीति विषयक

***15-श्री अतुल प्रधान-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित रोडवेज बसों के फिटनेस सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नीति द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त कितनी बसें वर्तमान में संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

एम0वी0 एक्ट-1988 की धारा-56 में परिवहन यानों के ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख है।

मोटरयान नियमावली, 1998 में भी नियम-39 में फिटनेस के सम्बन्ध में नियम निर्धारित हैं।

उक्त नियम के अनुसार दी गयी व्यवस्था में प्रत्येक वाहन को संचालन से पूर्व फिटनेस प्रमाण-पत्र इस हेतु अधिकृत सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त करना होता है।

परिवहन निगम में भी उक्त नियमानुसार फिटनेस कराया जाता है।

दिनांक 31-08-2022 को उ0 प्र0 परिवहन निगम में कुल बसों की संख्या 8956 है। सभी बसें फिटनेस होने के उपरान्त ही संचालित की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-16, श्री रवि शर्मा, यह भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में घटतौली विषयक

***16-श्री रवि शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में कोटेदारों को पूरी तौल नहीं मिलने के कारण कोटेदार उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पूरी तौल नहीं दे रहे, की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारतीय खाद्य निगम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने तथा विक्रेताओं को शत-प्रतिशत खाद्यान्न तौल कर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार उचित दर दुकानों को खाद्यान्न की पूरी मात्रा प्राप्त होती है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित लाभार्थियों को उचित दर विक्रेताओं द्वारा नियमानुसार तौल कर पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न की पूरी तौल न दिये जाने की शिकायतें संज्ञान में आने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-17, श्री नफीस अहमद, यह भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने विषयक

***17-श्री नफीस अहमद-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-18, श्री मनोज कुमार पारस, यह भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में दो पहिया वाहन एवं कार चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने विषयक

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दो पहिया वाहन एवं कार चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

प्रदेश में दो पहिया वाहन एवं कार चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस तथा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है, जो निम्नवत् है :-

<u>लर्निंग लाइसेंस</u>-

शासन द्वारा लर्निंग लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया को पूर्व से ही सरलीकृत बनाते हुए आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस प्रणाली का प्रयोग कर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक को किसी भी स्तर पर परिवहन कार्यालय में आने की आवश्यकता/अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा स्क्रूटनी करते हुए आवेदक के मोबाइल नम्बर पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु लिंक प्रदान किया जाता है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में उत्तीर्ण होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन कर दिया जाता है, जिसके उपरान्त आवेदक अपना लर्निंग लाइसेंस स्वयं प्रिंट कर प्राप्त कर लेता है।

<u>स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस-</u>

स्थायी लाइसेंस के आवेदन सम्बन्धी सेवा की प्रक्रिया भी पूर्णतया ऑनलाइन है, जिसमें आवेदक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करने के उपरान्त ड्राइविंग टेस्ट हेतु टाइम स्लॉट (तिथि व समय) बुक किया जाता है। आवेदक द्वारा ड्राइविंग टेस्ट हेतु बुक टाइम स्लॉट (तिथि व समय) पर भौतिक रूप से कार्यालय में लाइसेंस सम्बन्धी दक्षता परीक्षण (ड्राइविंग टेस्ट) हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होता है। लाइसेंस सम्बन्धी दक्षता परीक्षण (ड्राइविंग टेस्ट) में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदक के पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाता है। स्थायी लाइसेंस हेतु चालन परीक्षण के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भी जनपदीय मुख्यालय यथा कानपुर एवं बरेली परिवहन कार्यालय में उपलब्ध है। अन्य जनपदीय मुख्यालयों पर स्थायी लाइसेंस हेतु चालन परीक्षण के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-19, श्री तुफानी सरोज, यह भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में छात्र/छात्राओं के ले जाने तथा ले आने वाली स्कूल बसों एवं वैनों में मानक से अधिक बच्चों को बैठाये जाने विषयक

***19-श्री तुफानी सरोज-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में छात्र/छात्राओं के ले जाने तथा ले आने वाली स्कूल बसों एवं वैनों में मानक से अधिक बच्चों को बैठाये जाने से बच्चों के जीवन में भय का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्कूल बसों तथा स्कूल वैनों में मानक के अनुरूप बच्चों को बैठाये जाने के निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

स्कूल बसों एवं वैनों में बैठने की अनुमन्य क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाना उनके जीवन के लिए असुरक्षित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के अध्याय-नौ-क 'विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध' के नियम-222-ठ के उपनियम (1) के खण्ड (ड-एक) के अन्तर्गत शिक्षा संस्था बस, उपनियम (2) के खण्ड (ढ-एक) के अन्तर्गत ठेका गाड़ी बस एवं उपनियम (3) के खण्ड (ज-एक) के अन्तर्गत विद्यालय वैन में बच्चों को बैठाये जाने के मानक निर्धारित किये गये हैं।

उक्त मानक के अनुसार किसी स्कूल बस तथा वैन में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा। परन्तु बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की दशा में स्कूल बस तथा वैन में बैठने की क्षमता के 1.5 गुना बच्चों को ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के अद्यतन पत्र संख्या-707/तीस-4-2022, दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-135(शा0)सा0प्र0/2022-टी-67 प्रावि0(टीआर)/2019-20, दिनांक 29 जुलाई, 2022 द्वारा सभी सम्बन्धितों को निर्देश निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

आज सारे के सारे प्रश्न ले लिये गये हैं और सबका उत्तर आ गया है।

अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रश्नों का समय भी पर्याप्त है। अगर किसी प्रश्न में हमारी रुचि है और जैसी आपकी पीठ से व्यवस्था है कि यदि प्रश्न लगाने वाला सदस्य उपस्थित नहीं है, लेकिन उस पर किसी दूसरे सदस्य को रुचि है तो वह अनुपूरक प्रश्न कर सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप कौन से प्रश्न पर पूछना चाहते हैं, आप प्रश्न संख्या बताइये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, हम तो सभी पर पूछना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं सभी पर नहीं, आप कोई एक प्रश्न संख्या बताइये। एक अनुपूरक करने का आपको अधिकार है, मूल प्रश्नकर्ता को 02 अनुपूरक करने का अधिकार है, आप 01 अनुपूरक पूछ सकते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-1 का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप अनुपूरक पूछ लीजिये। आपकी डिवाइस पर प्रश्न का उत्तर है, उसको आप पढ़ोगे तभी तो अनुपूरक पूछोगे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, हम पूरा उत्तर पढ़ दे रहे हैं, पर्याप्त समय है।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत समस्त प्रश्न उत्तरित माने गये। केवल नत्थी 'ख' का तारांकित प्रश्न सं0-09 पूछा गया।

श्री अध्यक्ष-

टाइम भी है, माहौल भी है, वह इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि हमारी डिवाइस का क्या होगा ?

उमाशंकर जी, आपकी प्रश्न में रुचि है, इस बात पर मुझे प्रसन्नता है, लेकिन प्रश्न को अगर उत्तरित मान लिया गया है और आपने उत्तर को पढ़ा नहीं है, जो आपकी डिवाइस पर है। इसका मतलब आपको उस पर अनुपूरक करना नहीं है, तो किस बात के लिए आपको अवसर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिनके प्रश्न थे, वह तो बॉयकाट करके चले गये, जो परिस्थिति हमारे सामने आयी है, उन्होंने अपने नेता के द्वारा अपनी बात कहलायी और उसके बाद बॉयकाट किया। मान्यवर, उस मामले में तो किसी भी तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। यदि आप कहेंगे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर वह हाउस में आये नहीं होते तो परिस्थिति दूसरी थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में एक नोटिस दी थी।

श्री अध्यक्ष-

उसको देख लेंगे, अभी आप बैठिये।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में यात्रियों के आवागमन हेतु ग्राम जाफरगंज से असौली वाया मैसौली में इलेक्ट्रिक बस का संचालन विषयक

1-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में यात्रियों के आवागमन हेतु ग्राम जाफरगंज से असौली वाया मैसौली में इलेक्ट्रिक बस का संचालन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में प्लानिंग अनुभाग में लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करने विषयक

2-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार) पत्र प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पत्रावली निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्लानिंग अनुभाग में वर्तमान में कितनी पत्रावलियां कितने समय से लम्बित हैं ? क्या सरकार प्लानिंग अनुभाग में पत्रावलियों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में नगर पालिका परिषद् हाटा द्वारा बस अड्डे (बस डिपो) के निर्माण विषयक

3-श्री मोहन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में नगर पालिका परिषद् हाटा द्वारा बस अड्डे (बस डिपो) के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि पर अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में नगर पालिका परिषद् हाटा की भूमि परिवहन विभाग के माध्यम से परिवहन निगम को निःशुल्क उपलब्ध होने पर बस स्टेशन निर्माण सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् हाटा से उक्त भूमि लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है, भूमि प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद श्रावस्ती जिले में डिपो स्थापित कर बस संचालन की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाइयां विषयक

4-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती जिले में डिपो स्थापित कर बस संचालन की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सरकारी बस डिपो बनाकर बस संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में परिवहन निगम का बस स्टेशन क्रियाशील है, जहां से 13 बसें क्षेत्र के समस्त जनपदों को जोड़ते हुए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज आदि के लिए संचालित हैं।

जी नहीं।

बहराइच बस डिपो मात्र 40 किमी0 दूर स्थापित है तथा बलरामपुर डिपो 25 किमी0 दूर स्थापित है।

इस प्रकार डिपो बनाने का औचित्य जनपद श्रावस्ती में नहीं है। भिनगा स्थित बस स्टेशन से यात्रियों की सुविधा की पूर्ति होती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बे में जीर्ण-शीर्ण पुराने रोडवेज बस स्टेशन की मरम्मत कराये जाने विषयक

5-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के इकौना कस्बे में पुराना रोडवेज बस स्टेशन जीर्ण-शीर्ण होने से बसें रोड पर सवारियां भरती हैं, जिससे जाम की

स्थिति बनती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोडवेज बस स्टेशन की मरम्मत कराकर बस स्टेशन के अन्दर से बस संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

बस स्टेशन इकौना, जनपद श्रावस्ती की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। बसें बस स्टेशन पर ही सवारियां उतारती एवं चढ़ाती हैं, जिससे जाम लगने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के गिलौला बाजार (एन0एच0-730) पर स्थित परिवहन विभाग की भूमि का जीर्णोद्धार करके बसों के संचालन विषयक

6-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के गिलौला बाजार (एन0एच0-730) पर स्थित परिवहन विभाग की भूमि खण्डहर के रूप में निष्प्रयोज्य होने से कतिपय लोगों द्वारा उक्त पर अतिक्रमण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि का जीर्णोद्धार करके बस संचालन करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

बस स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 23-12-2021 द्वारा रु0 48.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

बस स्टेशन का निर्माण पूर्ण होने पर हस्तगत होने के उपरान्त बस संचालन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया से लखनऊ मुख्यालय तथा अन्य राज्यों तक आवागमन हेतु बस डिपो बनाये जाने विषयक

7-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया से लखनऊ मुख्यालय तथा अन्य राज्यों तक आवागमन हेतु बस का साधन न होने के कारण आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बैरिया में बस डिपो बनाये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

बैरिया से लखनऊ मुख्यालय के लिए बस सेवा संचालित है।

अन्तर्राज्यीय बस सेवा कम लोड फैक्टर के कारण संचालित नहीं हो पा रही है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में बैरिया से बसों का संचालन है। बैरिया, जिला मुख्यालय बलिया डिपो से मात्र 36 किमी0 पर है। इसलिये बस डिपो स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद कुशीनगर के निवासियों के आवागमन हेतु सरकारी बसें चलाने विषयक

8-श्री विनय प्रकाश गोंड-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के निवासियों के आवागमन हेतु गोरखपुर से हाटा, मथौली, कप्तानगंज, रामकोला से पड़रौना एवं गोरखपुर से पिपराइच-कप्तानगंज से रामबाग होते हुए नौरंगिया तक सरकारी बसें चलाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

हाटा से मथौली-कप्तानगंज तक 22 किमी0 अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर प्राईवेट बसें पर्याप्त संख्या में संचालित हैं।

कप्तानगंज से रामबाग-नौरंगिया तक 23 किमी0 अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर प्राईवेट बसें काफी संख्या में संचालित हो रही हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अन्तर्गत ग्राम शनिचरा में राशन विक्रेता द्वारा की गई अनियमितता तथा घटतौली की जांच किये जाने विषयक

9-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-6 नं0-914061 दिनांक 21-04-2022 अपर मुख्य सचिव, खाद्य रसद से सम्बन्धित है, जो जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अन्तर्गत ग्राम शनिचरा में कतिपय राशन विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितता तथा घटतौली की जांच किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम शनिचरा, तहसील-इटवा के उचित दर विक्रेता श्री आशुतोष दुबे के वितरण की जांच उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा पूर्ति निरीक्षक से करायी गयी। जांच के समय अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से लिखित बयान लिये गये, जिसमें कतिपय कार्डधारकों को मानक से कम खाद्यान्न प्राप्त होना पाया गया। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, इटवा के पत्र दिनांक 08-09-2022 के द्वारा उचित दर विक्रेता को आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा, ग्राम व पोस्ट मानादेई में सस्ते गल्ले की दुकान विक्रेता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

10-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा, ग्राम व पोस्ट मानादेई के ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित सस्ते गल्ले की दुकान विक्रेता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-7 नं0-010003, दिनांक 27-06-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम मानादेई, तहसील इटवा के उचित दर विक्रेता श्री शैलेश कुमार के वितरण की जांच उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा पूर्ति निरीक्षक से करायी गयी।

जांच के समय अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से लिखित बयान लिये गये, जिसमें कतिपय कार्डधारकों को मानक से कम खाद्यान्न प्राप्त होना पाया गया। उक्त अनियमितता के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, इटवा के पत्र दिनांक 05-08-2022 के द्वारा उचित दर विक्रेता को आरोप-पत्र जारी करते हुए अभिलेखों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त उप जिलाधिकारी, इटवा के कार्यालय आदेश दिनांक 07-09-2022 द्वारा उचित दर विक्रेता पर रुपये 10,000/- अर्थदण्ड आरोपित करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती मुख्यालय से भिनगा व इकौना से लखनऊ के लिए वोल्वो बस का संचालन कराये जाने विषयक

11-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती मुख्यालय से तथा इकौना से लखनऊ के लिए रोडवेज की कोई वोल्वो बस संचालित नहीं होने से यात्रियों को यातायात में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार भिनगा व इकौना से लखनऊ के लिए वोल्वो बस का संचालित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

भिनगा तथा इकौना से यात्रियों की उपलब्धता के दृष्टिगत निगम की साधारण बसें संचालित करायी जाती हैं।

वोल्वो सेवाओं के लिए पर्याप्त यात्री होने पर ही भविष्य में वोल्वो बस का संचालन किया जा सकता है।

यात्रियों की अल्प संख्या के दृष्टिगत परिवहन निगम के हित में संचालन सम्भव नहीं है।

प्रदेश की जेलों में बन्द महिला बन्दियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चे के भविष्य संवारने हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

12-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में बन्द महिला बन्दियों के साथ उनके छोटे बच्चे अकारण ही जेल में अपनी मां के साथ रहकर समाज की मुख्य धारा से दूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिये योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हां।

जेल मैनुअल के प्रस्तर-362 के द्वारा प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध महिला बन्दियों के साथ केवल 06 वर्ष तक के बच्चों को मां के साथ रखे जाने का प्रावधान है। इन बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार देने विषयक

13-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार देने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन-सामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म (पोर्टल sewamitra.up.gov.in/सेवामित्र ऐप/कॉल सेन्टर) की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

प्रगति (दिनांक 19 सितम्बर, 2022 तक),

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल कामगारों की संख्या-27461

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की संख्या-563

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के पांडू नगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल को पूर्ण करने विषयक

14-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के पांडू नगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 367 करोड़ लागत के मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल को पूर्ण कराकर क्रियाशील करने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पांडू नगर, कानपुर में निर्माण (कैपिटल) कार्य मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। यह परियोजना पूर्ण रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार से वित्त पोषित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06-09-2022 के अनुसार पांडू नगर चिकित्सालय के नवीनीकरण के साथ डेन्टल कालेज के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, परन्तु डेन्टल काउन्सिल स्टैण्ड अलोन डेन्टल कॉलेज के मानदण्ड बदलने के बाद कार्य को रोकना पड़ा, इसलिए कार्य अधूरा है। इसके निर्माण पर अब तक लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और यह निर्माण मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए नहीं किया गया था, बल्कि दन्त कालेज के लिए किया गया था, जो संरचना बन चुकी है उसके उपयोग के बारे में निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्नगत कार्यवाही कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री के पत्र संख्या-सी0एम0वि0को0आर0-51/2018, दिनांक 13-08-2018 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र बागपत में परिवहन बस अड्डे के निर्माण कराने विषयक

15-श्री योगेश धामा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के पत्र संख्या-सी0एम0वि0को0आर0-51/2018, दिनांक 13-08-2018 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागपत में परिवहन बस अड्डे के निर्माण कराने हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त का अनुपालन करते हुए बागपत विधान सभा क्षेत्र में परिवहन बस अड्डे का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दयाशंकर सिंह-

मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ के पत्र सं0-मु0म0स0/331/चौंतीस/घोषणा/2018/ Y.A.N.-21/2018, दिनांक 14-06-2018 में घोषणा क्रमांक-Y.A.N.-21/2018 (क्र0स0-GH11Y000188) के द्वारा बागपत में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी।

मा0 मुख्य मंत्री जी की उक्त घोषणा पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों के लिए उ0प्र0 परिवहन निगम की ए0सी0 बसों के संचालन विषयक

16-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमा से लगने वाले किन राज्यों के लिए उ0प्र0 परिवहन निगम की ए0सी0 बसों का संचालन किया जा रहा है ? क्या सरकार प्रदेश की सीमा से लगने वाले शेष राज्यों के लिए उ0प्र0 परिवहन निगम की ए0सी0 बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

वर्तमान में उ0प्र0 परिवहन निगम की वातानुकूलित बसें राजस्थान, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर राज्य हेतु संचालित हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सड़क परिवहन निगम का अस्तित्व नहीं है, निजी बसों का वर्चस्व है। फलस्वरूप उक्त राज्यों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का ठहराव एवं यात्री बैठाने की व्यवस्था में व्यवधान रहता है।

बिहार राज्य में भी निजी बसों का वर्चस्व है। उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा पूर्व में वातानुकूलित बस संचालित की गयी थी, परन्तु अत्यधिक हानि के कारण निगम हित में उक्त का संचालन रोकना पड़ा।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ज्यूली-देवगांव सड़क मार्ग पर बस का संचालन कराने विषयक

17-श्री बेचई सरोज-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ज्यूली-देवगांव सड़क मार्ग पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण जौनपुर से ज्यूली-देवगांव सड़क मार्ग होते हुए मेहनाजपुर तक बस का संचालन का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जौनपुर से मेहनाजपुर वाया गौरा बादशाहपुर-ज्यूली मोड़-देवगांव मार्ग की कुल दूरी 50 किमी0 है, जिसमें ज्यूली-जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर जौनपुर से 15 किमी0 पर स्थित है, जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है।

ज्यूली से मेहनाजपुर वाया देवगांव मार्ग अराष्ट्रीयकृत है तथा उक्त पर 15 मिनी बस, 05 बड़ी प्राइवेट बस संचालित हैं।

18-श्री महबूब अली-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के कालपी में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने विषयक

19-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी में बस अड्डे का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के कालपी नगर में परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में पाइप लाइन से गैस सप्लाई हेतु खोदे गये गड्ढों की मरम्मत कराये जाने विषयक

20-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पाइप लाइन से गैस सप्लाई कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या सरकार बतायेगी कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदे गये गड्ढों को ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या सरकार उक्त कार्य हेतु जिम्मेदारी तय करते हुए कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इस बिन्दु का सम्बन्ध खाद्य एवं रसद विभाग से नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर के अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड पर यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधाओं का प्रबन्ध कराये जाने विषयक

21-श्री रवि शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर के अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड पर सफाई, बैठने की व्यवस्था सहित यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधाओं का प्रबन्ध सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

बस स्टेशन, झांसी की भूमि पर परिवहन निगम को उपलब्ध स्थान पर सफाई एवं यात्रियों हेतु बैठने की व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधायें पूर्व से उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में नगर निगम का अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन है। नगर निगम द्वारा परिवहन निगम को बस संचालन हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है, वहां पर यात्रियों को पर्याप्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं।

22-श्री रवि शर्मा-

[05-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विभिन्न शहरों/कस्बों में अवैध रूप से बस, ऑटो और टैक्सी स्टैण्ड आदि का संचालन बन्द कराकर संचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की मांग

23-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न शहरों/कस्बों में अवैध रूप से बस, ऑटो और टैक्सी स्टैण्ड आदि का संचालन करके वसूली की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध स्टैण्डों को बन्द कराकर संचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश के कतिपय शहरों/कस्बों में अवैध रूप से बस, ऑटो और टैक्सी स्टैण्ड आदि का संचालन कर वसूली किये जाने की यद्यपि कोई प्रमाणिक सूचना सरकार के पास नहीं है, तथापि विभिन्न माध्यमों यथा समाचार-पत्र, सोशल मीडिया आदि से इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18-05-2022 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, समस्त जिलाधिकारी तथा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये। तत्क्रम में गृह विभाग के शासनादेश संख्या-461/छः-पु-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 19-05-2022 द्वारा समस्त फील्ड स्तरीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये, जिसमें अवैध ऑटो-रिक्शा/टैक्सी एवं बस स्टैण्ड को चिन्हित कर हटाये जाने के निर्देश भी सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश परिपत्र संख्या-841स0सु0/2022-13स0सु0/2022, दिनांक 25-05-2022 द्वारा फील्ड के अधिकारियों को दिये गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों पर दिनांक 19-05-2022 से दिनांक 18-06-2022 तक विशेष अभियान चलाये जाने हेतु पत्र संख्या-780स0सु0/2022-स0सु0/20, दिनांक 21-05-2022 द्वारा प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) तथा समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देशित किया गया है।

सम्बन्धित अन्य विभागों से समन्वय कर विभाग द्वारा अवैध पार्किंग/स्टैण्ड के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 15-09-2022 तक कुल 1457 अवैध पार्किंग/स्टैण्ड हटाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच तहसील मुख्यालय में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड विषयक

24-श्री मूल चन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच तहसील मुख्यालय में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के कोंच तहसील मुख्यालय में परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् होने वाली न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का पुनरीक्षण विषयक

25-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् होने वाली न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का पुनरीक्षण सरकार करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सलाह लेना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा-7 व 9 के अधीन प्राविधानित है। उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है।

जी हां, विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है।

उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, उ0प्र0 से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समिति का गठन किया जाता है। वर्तमान में बोर्ड के पुनर्गठन के प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कतिपय औद्योगिक इकाइयों में शासनादेश के विपरीत 10-11 घण्टे कार्य कराये जाने विषयक

26-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कांच, चूड़ी उत्पादन की कतिपय औद्योगिक इकाइयों में शासनादेश के विपरीत श्रमिकों से 8 घण्टे के

स्थान पर 10-11 घण्टे कार्य कराये जाने एवं विभाग द्वारा उक्त की अनदेखी करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को पत्रांक क-6 नं0-516148, दिनांक 13-10-2021 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशों के क्रम में जनपद फिरोजाबाद की कांच की चूड़ी उत्पादक लगभग एक दर्जन से अधिक इकाइयों का नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय सर्वेक्षण माह अक्टूबर, 2021 में कराया गया, जिसमें चूड़ी श्रमिकों से 8 घण्टे से अधिक कार्य कराये जाने की पुष्टि किसी कांच चूड़ी उत्पादन इकाई में नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सरकार उचित दर की दुकानों के तोल-कांटों से अनाज तौलने की प्रक्रिया को ई-पॉज के माध्यम से जोड़ते हुए ऑनलाइन कराये जाने विषयक

27-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सरकार उचित दर की दुकानों के तोल-कांटों से अनाज तौलने की प्रक्रिया को ई-पॉज के माध्यम से जोड़ते हुए ऑनलाइन कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत अपंजीकृत श्रमिकों को दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि बढ़ाये जाने विषयक

28-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता

योजना के अन्तर्गत श्रमिक के पंजीकृत न होने की दशा में भी कार्य स्थल पर मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली धनराशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-3162-73/भ0नि0बोर्ड-(86बी)-2022, दिनांक 10-08-2022 द्वारा अधिसूचित निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY) के अन्तर्गत अपंजीकृत श्रमिक की कार्य स्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रुपये 01 लाख (एकमुश्त) प्रदान किये जाने के प्राविधान पूर्व में ही किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में वर्तमान समय में होल सेल कोटेदारों को लाइसेन्स देकर सामग्री का उठान व वितरण विषयक जानकारी

29-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्तमान समय में कितने होल सेल कोटेदारों को लाइसेन्स देकर सामग्री का उठान व वितरण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जालौन के ग्रामीण क्षेत्र में 633 एवं नगरीय क्षेत्र में 135 अर्थात् कुल 768 उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से प्रत्येक माह सामग्री का उठान एवं वितरण का कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हितार्थ चलायी जा रही चिकित्सा सुविधा योजना विषयक

30-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हितार्थ चलायी जा रही चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत 2017-18 से दिनांक 30-09-2020 तक लाभान्वित श्रमिक की संख्या एवं भुगतान की गई धनराशि तथा दिनांक 01-10-2020 से 31-07-2021 तक उक्त योजना के कुल लाभान्वित श्रमिकों की संख्या एवं भुगतान की गई धनराशि का विवरण क्या है ? क्या

सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 01-10-2020 से 31-07-2021 तक चिकित्सा सुविधा दिये जाने वाले श्रमिकों ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2009 के नियम-281 की टेबिल के क्रमांक 8 की शर्तें (एक वर्ष की अर्हता) पूरी की है। यदि नहीं, तो ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है ? जिन्होंने शर्तें पूरी नहीं की थीं और उन्हें भुगतान की गई धनराशि कितनी है ? क्या नियम विरुद्ध भुगतान करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2017 से 30-09-2020 तक कुल 555244 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, जिस हेतु रुपये 3,38,59,166/- की धनराशि व्यय की गयी तथा दिनांक 01-10-2020 से दिनांक 31-07-2021 तक कुल 355659 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, जिस हेतु रुपये 1,05,06,48,875/- की धनराशि व्यय की गयी।

जी हां।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के प्राविधानानुसार श्रमिक पंजीयन के साथ ही पंजीयन शुल्क के साथ 01 वर्ष का अंशदान जमा कराया जाता है, अतः चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत हित लाभ प्राप्त करने हेतु श्रमिक पंजीकरण के पश्चात् 'अर्ह' हो जाता है।

लागू नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ईंट-भट्ठा मालिकों द्वारा मिट्टी खनन कार्य में उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-41(ङ) के अनुपालन विषयक

31-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ईंट-भट्ठा मालिकों द्वारा मिट्टी खनन कार्य में उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-41(ङ) के अनुपालन में सड़कों, भवनों व पड़ोसी खेत से तयशुदा दूरी तक खनन कार्य होना सुनिश्चित कराने या पुराने खनन कार्य की समीक्षा/शिकायत हेतु कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त समीक्षा या शिकायत

की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में किसी प्रकार की शिकायतों को दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन jansunwai.up.nic.in एवं jansunswai app विकसित है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020-05/2020-05 लो0शि0/2019, दिनांक 17-02-2020 में उल्लिखित है।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर जनता की सुविधा हेतु परिवहन विभाग का डिपो बनाने विषयक

32-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया तहसील मुख्यालय पर स्थानीय जनता की सुविधा हेतु परिवहन विभाग का डिपो बनाने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

बैरिया विधान सभा क्षेत्र के बलिया डिपो से मात्र 36 किमी0 की दूरी पर है तथा यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप बैरिया स्टापेज से पर्याप्त बसों का संचालन होता है।

जनपद चन्दौली में जिला कारागार का निर्माण कराये जाने विषयक

33-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में जिला कारागार का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में जिला कारागार में कैदी रखने हेतु नये बैरक बनाने विषयक

34-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में जिला कारागार में कैदी रखने की क्षमता क्या है ? क्या सरकार बढ़ती कैदियों की संख्या को देखते हुए नये बैरक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जनपद चन्दौली में वर्तमान में जिला कारागार निर्मित नहीं है।

जनपद चन्दौली में जिला कारागार निर्मित न होने के कारण नये बैरक बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा नदी का जो क्षेत्र राष्ट्रीय जलमार्ग में चिन्हित है, को विकसित करने विषयक

35-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा नदी का जो क्षेत्र राष्ट्रीय जलमार्ग में चिन्हित है, को विकसित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल परिवहन परियोजना का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर 1620 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (प्रयागराज-हल्दिया) का विकास किया जा रहा है, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 पर वॉटरवेज कॉरीडोर से सम्बन्धित मिनी टर्मिनल्स के विकास एवं जलयानों के संचालन हेतु बन्दरगाह बनाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत जनपद वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल के निर्माण हेतु वांछित भूमि 34.833 हेक्टेयर के सापेक्ष 23.6525 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है। जनपद गाजीपुर में गाजीपुर टर्मिनल (इण्टरमॉडल टर्मिनल) के निर्माण हेतु वांछित भूमि 8.917 हेक्टेयर के सापेक्ष 4.386 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है। जनपद-चन्दौली में फ्रेट विलेज के निर्माण हेतु वांछित भूमि 41.301 हेक्टेयर के सापेक्ष 2.728 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है। अवशेष भूमि के सम्बन्ध में भूमि क्रय कर अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज मुख्यालय रोडवेज बस स्टैण्ड को बैदौला में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

36-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज मुख्यालय रोडवेज बस स्टैण्ड मुख्य बाजार में होने के कारण आम-जन एवं दुकानदारों को ट्रैफिक जाम लगने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड को बैदौला में स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत डुमरियागंज कस्बे में बस स्टेशन स्थापित है। उक्त बस स्टेशन की यथावत् बने रहने की आवश्यकता है।

जनपद हाथरस के नगर पंचायत सादाबाद में उ0प्र0 परिवहन डिपो को जनहित में पुनः चालू कराये जाने विषयक

37-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के नगर पंचायत सादाबाद में उ0प्र0 परिवहन डिपो बन्द होने के कारण बसें रुके बिना बाईपास होकर गुजर जाती हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यात्री सड़क पर धूप, गर्मी एवं वर्षा में परेशान होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिपो को जनहित में पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद हाथरस के नगर पंचायत कस्बा सादाबाद में आवागमन हेतु बाईपास मार्ग नहीं बना है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर संचालित सभी बसें नगर पंचायत कस्बा सादाबाद के मध्य होकर ही संचालित होती हैं। सादाबाद डिपो नहीं है, अपितु बस स्टेशन है तथा वर्तमान में संचालित स्थिति में है।

बस स्टेशन सादाबाद पर यात्री शेड बना है तथा बस स्टेशन से 50 मीटर दूर भी एक अन्य यात्री शेड सड़क पर भी बना हुआ है।

नगर पंचायत कस्बा सादाबाद में स्थित बस स्टेशन, जनपद हाथरस डिपो बस स्टेशन से आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर जिला मुख्यालय से 18 किमी0 की दूरी पर संचालित स्थिति में है, जिस पर निगम बसें रात्रि विश्राम भी करती हैं। इस सम्बन्ध में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, हाथरस को निर्देशित किया गया है कि निगम बसें सादाबाद के यात्रियों को उतारने एवं बैठाने हेतु बस स्टेशन होकर ही संचालित हों।

बस स्टेशन सादाबाद हाथरस डिपो के अन्तर्गत संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में होमगार्ड्स में 20 प्रतिशत महिला होमगाड्र्स की तैनाती सुनिश्चित कराये जाने विषयक

38-श्री अखिलेश-

क्या होमगाड्र्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला होमगाड्र्स की संख्या कितने प्रतिशत है ? क्या सरकार पुलिस तथा अन्य अर्द्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए आरक्षित लगभग 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के अनुरूप होमगाड्र्स में भी 20 प्रतिशत महिला होमगाड्र्स की तैनाती सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हां।

वर्तमान में होमगाड्र्स विभाग, उत्तर प्रदेश में महिला होमगाड्र्स स्वयं सेवकों की कुल संख्या 3.8 प्रतिशत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

होमगाड्र्स अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-368/पन्चानबे-18-8 प्रकीर्ण/12 टीसी-2, दिनांक 18-04-2018 तथा पत्र संख्या-368(1)/पन्चानबे-18-8 प्रकीर्ण/12 टीसी-2, दिनांक 20-04-2018 द्वारा होमगाड्र्स स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु शासन के अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। सम्प्रति, प्रदेश में होमगाड्र्स स्वयं सेवक/अवैतनिक अधिकारियों की भर्तियां स्थगित हैं।

प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा विषयक

39-श्री रवि शर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी महानगर में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

उत्तर प्रदेश के 18 राजस्व मण्डलों के एक-एक जनपद में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों व अन्य अनाथ बेसहारा गरीब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने एवं उनके बौद्धिक व शारीरिक विकास के दृष्टिगत अटल आवासीय विद्यालय बनाये जा रहे हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी मण्डल के ग्राम धैरा, तहसील ललितपुर, जनपद ललितपुर में एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्व से ही किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

40-श्री योगेश शुक्ला-

[05-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील अन्तर्गत अवैध बालू खदानों के कारण टूटी सड़कों एवं नदियों के स्रोत बन्द होने विषयक

41-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बरुआ एहतमाली, धौरहरा खादर, तीर धुमाई गंगू बालू खदानों में मानकों के विपरीत बालू खनन, ओवरलोडिंग और बालू खदानों से बालू ढोने का मार्ग निर्धारित न होने के कारण जिले की अधिकांश सड़कें टूट गई हैं तथा अवैध खनन के कारण नदियों के स्रोत बन्द

हो रहे हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अवैध खनन बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जनपद आजमगढ़ में विगत पांच वर्षों में शिक्षित एवं रजिस्टर्ड नौजवानों को स्थायी रूप से रोजगार से जोड़ने के सम्बन्ध में

42-श्री नफीस अहमद-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विगत पांच वर्षों में कितने शिक्षित नौजवानों द्वारा रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन कराया गया, उनमें से कितनों को स्थायी रोजगार (सरकारी नौकरी) से जोड़ा गया है एवं वर्तमान में कितने शेष हैं ? क्या सरकार की शेष बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर जनपद आजमगढ़ में दिनांक 19 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) की संख्या 44,665 है।

विगत पांच वर्षों में आयोजित रोजगार मेलों एवं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3
19-03-2017 से 31-03-2018 तक	07	297
01-04-2018 से 31-03-2019 तक	13	798

1	2	3
01-04-2019 से 31-03-2020 तक	10	1721
01-04-2020 से 31-03-2021 तक	19	1132
01-04-2021 से 31-03-22 तक	14	479
01-04-2022 से 31-08-2022 तक	11	1391
योग	**74**	**5818**

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती बोर्ड/आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भनवापुर में धान खरीद केन्द्र पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी में दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की मांग

43-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भनवापुर में धान खरीद केन्द्र पर उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज की फर्जी आई0डी0 बनाकर जन-सेवा केन्द्र संचालक द्वारा केन्द्र सचिव के साथ मिलकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज के कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त भू-लेख कम्प्यूटर आपरेटर श्री अमित तिवारी द्वारा श्री रमेश गुप्ता पुत्र हरीराम गुप्ता, श्री विकास पुत्र अर्जुन मिश्रा आदि से दुरभिसन्धि करके उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज के धान क्रय प्रबन्धन यूजर आईडी एवं पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से किसानों के

आवेदन को सत्यापित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध थाना डुमरियागंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0004, दिनांक 13-01-2021 अन्तर्गत धारा-420, 66डी तथा बाद में धारा-467, 468, 471 आई0पी0सी0 दिनांक 17-01-2021 की बढ़ोत्तरी करते हुए कुल 09 व्यक्तियों को शामिल कर उन्हें जेल भेजा गया तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें सन्निहित सभी धनराशि रु0 70 लाख की वसूली 03 दिन के अन्दर ही कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक

44-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में कुल जेलों एवं उनकी क्षमता तथा जेल कर्मियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की जानकारी

45-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी जेलें हैं तथा किस जेल की कितनी क्षमता है ? क्या सरकार बतायेगी कि किस जेल में कतने कैदी वर्तमान में हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जेल कर्मियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 75 कारागारें हैं, जिनकी बन्दी क्षमता 64223 है। कारागारवार बन्दी क्षमता का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

दिनांक 31-08-2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की कारागारों में कुल 121794, बन्दी निरुद्ध हैं। कारागारवार निरुद्ध बन्दियों की संख्या का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

जेल कर्मियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कुल 3310 पद रिक्त हैं।

जी हां। विवरण संलग्न† है। (संलग्नक-2)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न डिपो की सरकारी बसों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का किराया अलग-अलग डिपो द्वारा अलग-अलग लिये जाने विषयक

46-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न डिपो की सरकारी बसों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का किराया अलग-अलग डिपो द्वारा अलग-अलग लिया जाता है ? यदि हां, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सभी डिपो द्वारा समान किराया करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

निगम बसों का किराया किमी0 एवं बस के प्रकार पर आधारित होता है।

दिनांक 01-01-2020 से साधारण निगम बसों का किराया 105 पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0 निर्धारित किया गया।

दिनांक 16-03-2020 से ए0सी0 बसों के किराये का पुनः निर्धारित किया गया।

दिनांक 16-03-2020 से निगम की समस्त श्रेणी की बसों के किराये की दरें निम्नानुसार हैं :-

सेवा	किराया दरें (पैसे प्रति यात्री प्रति किमी0)
1	2
साधारण	105.00
जनरथ 3 गुणे 2	132.35
जनरथ 2 गुणे 2	156.50
वातानुकूलित स्लीपर	209.01
हाई एण्ड वोल्वो/स्कैनिया	231.11

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0-235-239 पर।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

47-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के अन्तर्गत बनी समस्त जेलों में वर्तमान में बन्द कैदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं 14 साल की सजा काट चुके कैदियों की रिहाई के विषय में जानकारी

48-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत बनी समस्त जेलों में वर्तमान में कितने कैदी बन्द हैं ? प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कुशल एवं अकुशल कैदियों को वर्तमान में कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है ? माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सौदान सिंह केस में दिये निर्देश के उपरान्त प्रदेश की जेलों से 14 साल की सजा काट चुके कितने कैदियों को रिहा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने कैदियों को पैरोल दी गई तथा कितने कैदियों को जमानत दी गई है ? कितने ऐसे कैदी हैं जिनसे 2 वर्ष से अधिक अवधि से किसी ने मुलाकात नहीं की है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

दिनांक 31-08-2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के समस्त कारागारों में 1,21,794 बन्दी निरुद्ध हैं।

प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1415/22-4-2011-48(43)/99टी0सी0, दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में दिये गये निर्देशानुसार कुशल बन्दी को रु0 40/- प्रतिदिन, अर्द्धकुशल बन्दी को रु0 30/- प्रतिदन एवं अकुशल बन्दी को रु0 25/- प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सौदान सिंह केस में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रदेश की जेलों से 14 वर्ष की सजा काट चुके 1448 बन्दी रिहा किये गये हैं।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध दिनांक 01-09-2020 से दिनांक 31-08-2022 तक सामान्य/कोविड के आधार पर 3894 बन्दियों को पैरोल दिया गया तथा सिद्धदोष/विचाराधीन 4,02,299 बन्दियों को जमानत दी गयी।

कारागार में निरुद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन 5879 कैदियों से 02 वर्ष से अधिक अवधि में किसी ने मुलाकात नहीं की है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बस स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित बजट की धनराशि को अवमुक्त करने विषयक

49-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 न0 630555, दिनांक 14-04-22 जो जनपद फतेहपुर, विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बस स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित बजट की धनराशि को अवमुक्त करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

अपितु समविषयक पत्र सं0-क-6 नं0 630581, दिनांक 14-04-2022 प्राप्त हुआ है।

शासनादेश दिनांक 31-03-2022 द्वारा जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के बस स्टेशन के पुनर्निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में रु0 141.00 लाख स्वीकृत की गयी, जोकि कोषागार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के कारण आहरित नहीं हो सकी। उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य हेतु 659.07 लाख रुपये का प्रारम्भिक आगणन शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस स्टेशन पडरौना के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

जी हां।

बजट उपलब्धता के अनुसार वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आम-जनमानस हेतु अन्य राज्यों में आने-जाने के लिए परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय बस डिपो की स्थापना किये जाने की जानकारी सम्बन्धी

52-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आम-जनमानस के अन्य राज्यों में आने-जाने के लिए परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय बस डिपो की स्थापना किये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जिला मुख्यालय पर स्थित बलिया डिपो से मात्र 36 किमी0 पर है।

यात्रियों के सुविधार्थ मऊ डिपो की चार बसों का संचालन मऊ-बलिया-छपरा वाया बैरिया होकर किया जा रहा था, जिससे निगम के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही थी।

इसलिए अन्तर्राज्यीय बस डिपो स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कन्या विवाह सहायता योजना में आवेदकों को विलम्बित किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 29-07-2022 तक कन्या विवाह अनुदान सहायता योजना में कितने पात्र आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त आवेदनों को विलम्बित किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिनांक 29-07-2022 तक कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत कुल 27448 अनुशंसित एवं स्वीकृत आवेदन भुगतान हेतु लम्बित हैं।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ वितरण एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनों की जांच, अनुशंसा, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सम्मिलित है।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सिंगल नोडल एकाउण्ट की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2022-2023 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही एक साथ की जानी है, नयी भुगतान प्रणाली अपनाये जाने हेतु तकनीकी प्राविधान किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रक्रियागत कारणों से हुए विलम्ब हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदनों के सापेक्ष हितलाभ प्रदान किया जाता है।

विभिन्न जनपदीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्राविधानों को पूर्ण कर भिन्न-भिन्न समय पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है जिस कारण भुगतान कब तक होगा, इसका आगणन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में लम्बित पात्र आवेदनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 29-07-2022 तक मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में कितने पात्र आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त आवेदनों को विलम्बित किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिनांक 29-07-2022 तक मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत कुल 68521 अनुशंसित एवं स्वीकृत आवेदन भुगतान हेतु लम्बित हैं।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ वितरण एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनों की जांच, अनुशंसा, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सम्मिलित है।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सिंगल नोडल एकाउण्ट की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2022-2023 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही एक साथ की जानी है, नयी भुगतान प्रणाली अपनाये जाने हेतु तकनीकी प्राविधान किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रक्रियागत कारणों से हुए विलम्ब हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदनों के सापेक्ष हितलाभ प्रदान किया जाता है।

विभिन्न जनपदीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्राविधानों को पूर्ण कर भिन्न-भिन्न समय पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है जिस कारण भुगतान कब तक होगा, इसका आगणन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

55-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 29-07-2022 तक निर्माण मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में कितने पात्र आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त आवेदनों को विलम्बित किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिनांक 29-07-2022 तक मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत कुल 6252 अनुशंसित एवं स्वीकृत आवेदन भुगतान हेतु लम्बित हैं।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ वितरण एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनों की जांच, अनुशंसा, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सम्मिलित है।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सिंगल नोडल एकाउण्ट की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2022-2023 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही एक साथ की जानी है, नयी भुगतान प्रणाली अपनाये जाने हेतु तकनीकी प्राविधान किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रक्रियागत कारणों से हुए विलम्ब हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदनों के सापेक्ष हितलाभ प्रदान किया जाता है।

विभिन्न जनपदीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्राविधानों को पूर्ण कर भिन्न-भिन्न समय पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है, जिस कारण भुगतान कब तक होगा, इसका आगणन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना का लाभ प्रदान किये जाने विषयक

56-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 29-07-2022 तक सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना में कितने पात्र आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त आवेदनों को विलम्बित किये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिनांक 29-07-2022 तक सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत कुल 32608 अनुशंसित एवं स्वीकृत आवेदन भुगतान हेतु लम्बित हैं।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ वितरण एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसमें आवेदनों की जांच, अनुशंसा, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सम्मिलित है।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सिंगल नोडल एकाउण्ट की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2022-2023 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही एक साथ की जानी है, नयी भुगतान प्रणाली अपनाये जाने हेतु तकनीकी प्राविधान किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है। प्रक्रियागत कारणों से हुए विलम्ब हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत समस्त आवेदनों के सापेक्ष हितलाभ प्रदान किया जाता है।

विभिन्न जनपदीय कार्यालयों द्वारा समस्त प्राविधानों को पूर्ण कर भिन्न-भिन्न समय पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है जिस कारण भुगतान कब तक होगा, इसका आगणन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर में बस स्टेशन को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकास कराये जाने विषयक

57-श्री मनीष असीजा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में बस स्टेशन को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकास कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

पी0पी0पी0 पद्धति पर प्रथम चरण में उ0 प्र0 के 16 जनपदों के 24 बस स्टेशनों के निर्माण कराये जाने की प्रक्रिया गतिशील है। उक्त परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त फिरोजाबाद नगर में पी0पी0पी0 पद्धति पर बस स्टेशन का विकास किये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिरोजाबाद में बस डिपो बनाये जाने विषयक

58-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिरोजाबाद में डिपो बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में फिरोजाबाद बस स्टेशन है जहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं राजस्थान के शहरों के लिये बसें चलती हैं। अतः वर्तमान में यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है तथा बस डिपो न होने पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

फिरोजाबाद जनपद से 24 किमी की दूरी पर शिकोहाबाद डिपो स्थित है, जोकि फिरोजाबाद जनपद के अन्तर्गत ही है, जहां से यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद बस डिपो बनाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

जानकीपुरम में प्रस्तावित बस अड्डे को आई0आई0एम0 रोड/प्रबन्ध नगर अथवा अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने विषयक

59-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के इंजीनियरिंग कालेज चौराहा पर वाहनों के भारी दबाव से जाम की स्थिति के दृष्टिगोचर जानकीपुरम में प्रस्तावित बस अड्डे को आई0आई0एम0 रोड/प्रबन्ध नगर अथवा अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

लखनऊ शहर आई0आई0एम0 रोड/प्रबन्ध नगर मार्ग पर परिवहन निगम की कोई बस सेवा संचालित नहीं है। इस स्थल पर बस स्टैण्ड बनाये जाने पर डेड किमी0 की वृद्धि होगी, जिसका अनावश्यक व्यय भार परिवहन निगम पर पड़ेगा। इंजीनियरिंग कालेज चौराहा के समीप जानकीपुरम में आवागमन हेतु मार्ग चौड़े एवं सुविधाजनक हैं।

अतः प्राधिकरण की प्रस्तावित भूमि के स्थान पर आई0आई0एम0 रोड/प्रबन्ध नगर अथवा अन्य स्थान पर बस स्टेशन बनाये जाने का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में पूंछ से गुरसराय तक की 4.0 किमी0 की सड़क पर आम-जन को आवागमन हेतु शटल बस सेवा विषयक

60-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पूंछ से गुरसराय तक की 4.0 किमी0 की सड़क पर आम-जन को आवागमन हेतु शटल बस सेवा का साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की शटल बस सेवा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

पूंछ से गुरसराय तक परिवहन निगम की बसों का संचालन यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार पर्याप्त संख्या में कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

परिवहन विभाग के अनुबन्ध संख्या-16 ई0ई0/डब्लू/रिपो0/लखनऊ/2018-19 द्वारा अवध डिपो कार्यशाला, लखनऊ के प्रांगण के सुधार एवं भवनों तथा शैडो की विशेष मरम्मत विषयक

61-श्री सचिन यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के अनुबन्ध संख्या-16 ई0ई0/डब्लू/रिपो0/लखनऊ/2018-19 द्वारा अवध डिपो कार्यशाला, लखनऊ के प्रांगण के सुधार एवं भवनों तथा शेडो की विशेष मरम्मत के कार्य का अवशेष भुगतान (लगभग 60 लाख रु0) नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य के भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

ठेकेदार के कृत अपूर्ण कार्य के अन्तिम बीजक के अनुसार देय धनराशि मात्र रु0 16,91,272.00 (समस्त कर सहित) है। उक्त धनराशि सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डालने एवं डेबिटेबिल व्यय भार के कारण रोका गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत बयारा, तहसील डुमरियागंज के कतिपय सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों पर लगभग रु0 25 लाख गबन की जांच विषयक

62-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत बयारा, तहसील डुमरियागंज के कतिपय सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों पर लगभग रु0 25 लाख गबन की जांच में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिट सी0 संख्या-32408/2018 दिनांक 25-09-2018 के पारित आदेश की सूचना मण्डलायुक्त बस्ती, डी0एम0 बस्ती, एस0डी0एम0 डुमरियागंज, खाद्य आयुक्त जवाहर भवन, लखनऊ को दी गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मण्डलायुक्त बस्ती द्वारा दिनांक 19-08-2019 को उक्त प्रकरण में एक पक्षीय आदेश पारित कर एक दुकान को बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर लोवर कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के अवमानना के दोषी मण्डलायुक्त पर विधि सम्मत कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत बयारा, तहसील डुमरियागंज के कतिपय सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों पर लगभग रु0 25 लाख गबन की जांच में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-32408/2018 जगदेव जायसवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-09-2018 की सूचना याची श्री जगदेव जायसवाल द्वारा आवेदन-पत्र दिनांकित 01-07-2019 दिनांक 02-07-2019 को मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती को दी गयी है। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग को उक्त आदेश दिनांक 25-09-2018 की सूचना नहीं दी गई है।

मा0 न्यायालय, आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा अपील संख्या-00118/2019 सुमित्रा देवी बनाम उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज में उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 13-06-2019 को बहाली आदेश पारित किया गया है।

मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के समक्ष आवेदक श्री जगदेव जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-32408/2018 जगदेव जायसवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-09-2018 की प्रति संलग्न कर आवेदन-पत्र दिनांक 01-07-2019, 02-07-2019 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पूर्व मा0 न्यायालय, आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा अपील संख्या-00118/2019 सुमित्रा देवी बनाम उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज में सुनवाई करते हुए 13 जून, 2019 को ही आदेश पारित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में गरौठा से झांसी नगर तक रात्रि 9:00 बजे के बाद सरकारी बसों का संचालन बन्द हो जाने विषयक

63-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में गरौठा से झांसी नगर तक रात्रि 9:00 बजे के बाद सरकारी बसों का संचालन बन्द हो जाने से यात्रियों को आवागमन में कोई साधन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर रत्रि बस सेवा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

वर्तमान में झांसी से गरौठा, गरौठा से झांसी मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित हैं, परन्तु रात्रि 9:00 बजे के उपरान्त यात्रियों की अनुपलब्धता के कारण बसों का संचालन नहीं कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में गरौठा से झांसी मार्ग पर प्रयोग के रूप में निगम बस का संचालन रात्रि सेवा के रूप में कराया गया था। न्यूनतम आय/लोड फैक्टर प्राप्त होने के कारण बस का संचालन निगम हित में बन्द करना पड़ा।

64-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[06-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी की दमोह, समथर, सिकन्दरा, एरच, मऊ, गुरसराय एवं टीकमगढ़ आदि को जोड़ने वाली सड़क राज्य सेक्टर घोषित होने के बावजूद उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं होने विषयक

65-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की दमोह, समथर, सिकन्दरा, एरच, मऊ, गुरसराय एवं टीकमगढ़ आदि को जोड़ने वाली सड़क राज्य सेक्टर घोषित होने के बावजूद उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं हैं ? क्या सरकार आम-जन की सुविधा हेतु उक्त मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद झांसी के अन्तर्गत समथर, सिकन्दरा, एरच, मऊ, गुरसराय एवं टीकमगढ़ आदि मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है।

दमोह, समथर से हटकर अलग मार्ग पर स्थित है, जिसकी दूरी समथर से लगभग 20 किमी0 है। उक्त मार्ग अराष्ट्रीयकृत एवं अन्तर्राज्यीय होने के कारण परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है, परन्तु उक्त मार्ग पर निजी बसों का संचालन पर्याप्त संख्या में होता है।

दमोह, मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन कराया जा रहा है, क्योंकि दमोह मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बस संचालन हेतु एस0टी0ए0 से परमिट की आवश्यकता होगी।

एस0टी0ए0 से परमिट प्राप्त होते ही दमोह, मध्य प्रदेश मार्ग पर संचालन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली में थानाभवन से गंगोह, जलालाबाद से चरथावल-मुजफ्फरनगर तथा थानाभवन से करनाल (वाया झिंझाना) मार्गों पर उ0प्र0 परिवहन की बसों का संचालन कराये जाने विषयक

66-श्री अशरफ अली खान-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में थानाभवन से गंगोह, जलालाबाद से चरथावल-मुजफ्फरनगर तथा थानाभवन से करनाल (वाया झिंझाना) मार्गों पर उ0प्र0 परिवहन की बसों का संचालन नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन

में कठिनाइयों का सामन करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रूटों पर परिवहन सेवा देने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

परिवहन निगम की बसें निम्नलिखित 02 मार्गों पर संचालित हैं :-

1-थानाभवन से गंगोह-इस मार्ग पर गंगोह से जलालाबाद व थानाभवन होकर शामली तक बसों का नियमित संचालन हो रहा है, जिनकी समय-सारिणी निम्नवत् है :-

शामली से थानाभवन-गंगोह	गंगोह से थानाभवन-शामली
06:00, 06:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:45, 11:00 एवं 12:00 बजे	06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 17:45, 08:00, 08:30, 17:00 एवं 18:00 बजे

2-जलालाबाद से चरथावल-मुजफ्फरनगर-इस क्षेत्र के मुजफ्फरनगर डिपो द्वारा बसों को थानाभवन से जलालाबाद-चरथावल होकर मुजफ्फरनगर तक नियमित रूप से संचालन कराया जा रहा है, जिसकी समय-सारिणी निम्नवत् है :-

मुजफ्फरनगर से चरथावल-जलालाबाद-थानाभवन	थानाभवन से जलालाबाद-चरथावल-मुजफ्फरनगर
17:00, 17:30, 17:45 एवं 18:00 बजे	07:00, 07:30, 08:00 एवं 08:30 बजे

थानाभवन से करनाल (वाया झिंझाना) यह मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है। परन्तु उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्यों के पारस्परिक समझौते में अनुमन्य परमिट नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए लागू किए गए श्रम संहिताएं यथा वेतन संहिता, अधिकारियों और कर्मियों में विवाद का निस्तारण संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता एवं कर्मियों के कार्य स्थल की स्थिति को प्रदेश में लागू करने विषयक

67-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए लागू किए गए श्रम संहिताएं यथा वेतन संहिता, अधिकारियों और कर्मियों में विवाद का निस्तारण संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता एवं कर्मियों के कार्य स्थल की स्थिति को प्रदेश में

लागू करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए 04 श्रम संहिताएं यथा मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एण्ड वर्किंग कण्डीशन संहिता, 2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यथा उ0प्र0 मजदूरी संहिता, नियमावली, 2021 उ0प्र0 औद्योगिक सम्बन्ध संहिता नियमावली, 2021, उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2021 तथा उ0प्र0 व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता नियमावली, 2022 राज्य नियमावलियां अन्तिम रूप से प्रख्यापित की जा चुकी हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित श्रम संहिताओं को भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने के दिनांक से ही उक्त चारों श्रम संहिता नियमावलियां राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रवृत्त हो जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ई-श्रम कार्ड बनाये जाने विषयक

68-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ई-श्रम कार्ड बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने ई-श्रम कार्ड जनपदवार अद्यतन बनाये जा चुके हैं एवं इसके माध्यम से कितने श्रमिकों को क्या सहायता धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

भारत सरकार के पोर्टल eshram.gov.in पर असंगठित कर्मकारों का ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन बनाया जाता है। दिनांक 14-09-2022 तक कुल 82937885 असंगठित कर्मकारों का ई-श्रम कार्ड बनाया जा चुका है जिनका जनपदवार विवरण संलग्न[†] है।

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा 80,11,482 असंगठित कर्मकारों को तीन किश्तों में 2000/- रुपये की सहायता प्रदान की जा

[†] देखिये नत्थी (ग) पृष्ठ सं0-240-242 पर।

चुकी है, जिसमें माह जनवरी, 2022 में 1000/- रुपये की प्रथम किस्त तथा माह फरवरी व मार्च, 2022 में 500-500 रुपये की क्रमशः दूसरी व तीसरी किस्त डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में यह योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

69- डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

(02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद ललितपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा रात्रिकालीन ए0सी0 बस सेवा का संचालन कराये जाने विषयक

70-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा रात्रिकालीन ए0सी0 बस सेवा का संचालन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

ललितपुर से लखनऊ मार्ग का झांसी से लखनऊ मार्गांश राष्ट्रीयकृत है। झांसी से ललितपुर मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है।

झांसी-बबीना के मध्य के मार्गांश में घुरई नदी से चकरपुर 1.30 किमी0 एवं मजार से खैला 1.50 किमी0 मध्य प्रदेश राज्य में है।

एस0टी0ए0 द्वारा उ0प्र0 परिवहन निगम को परमिट प्रदान किये जाने के उपरान्त ही बसों का संचालन सम्भव है।

झांसी डिपो से संचालित टूटी-फूटी बसों की मरम्मत यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत कराये जाने की मांग

71-श्री रवि शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी डिपो से संचालित बसों में टूटी-फूटी खिड़कियां, फटी हुई सीटें और बिना वाईपर की बसों के साथ ही वर्षा ऋतु में सीटों में पानी भरने से यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो

क्या सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बसों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

बसों की भौतिक दशा में सुधार हेतु परिवहन निगम द्वारा कायाकल्प योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत यात्रियों की सुविधा हेतु बसों की बॉडी, दशा, फटी हुई सीटें, पेन्ट एवं अन्य आवश्यक कार्य निरन्तर रूप से कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत बस सेवा प्रारम्भ करने विषयक

72-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत ललितपुर से वाया गदयाना, दोड़ी होते हुए बाट तक ललितपुर से वाया सिलगन, रानीपुरा राजघाट होते हुए जखौरा तक, ललितपुर से वाया सिलगन, दैलवारा जखौरा, बिजरौठा का मजरा बौलारी होते हुए तालबेहट तक, ललितपुर से वाया बांसी, तालबेहट, हसांरकला होते हुए पूराकला तक, बालबेहट से वाया हसांरकला, पारौन होते हुए बाट तक, ललितपुर से देवगढ़ तक व ललितपुर से वाया विरधा होते हुए पाली तक बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कब तक उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर ग्राम रोडा में डिपो निर्माणाधीन है। वर्तमान में उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों का संचालन झांसी डिपो से कराया जाता है, चूंकि झांसी से ललितपुर तक मार्ग अराष्ट्रीयकृत व अन्तर्राज्यीय मार्ग होने के कारण एस0टी0ए0 लखनऊ एवं आर0टी0ए0 झांसी से परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट उपलब्ध होने पर वाहन संचालित किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस हेतु ऑनलाइन अथवा अन्य उचित व्यवस्था किये जाने विषयक

73-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन वाले जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अपने आफिस में वाहन सहित बुलाया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय कॉमर्शियल वाहनों में कई ऐसे वाहन हैं जो बिना ट्रॉली के लाना सम्भव नहीं होने एवं वाहन रजिस्ट्रेशन वाले जनपद से अन्य जनपदों में वाहन होने पर फिटनेस के लिए लाने पर व्यापारियों को अतिरिक्त समय व आर्थिक व्यय करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस हेतु उ0प्र0 में भी ऑनलाइन अथवा अन्य उचित व्यवस्था (वाहन उपलब्ध वाले स्थानीय सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा) लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-39 के उपनियम (1) के अनुसार किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र, उस वाहन के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, जिसके कार्यक्षेत्र में यान रखा जाता हो, द्वारा स्वीकृत और जारी किया जा सकता है। अर्थात्, किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र उसी जनपद से निर्गत किया जा सकता है जहां वह वाहन पंजीकृत हो।

अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के समस्त वाहन स्वामियों को प्रदेश के किसी भी जनपद में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दिये जाने एवं वाहनों के अन्य प्रदेश में संचालित होने की स्थिति में प्रदेश के निकटतम जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा हेतु व्यवस्था बनाये जाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-39 में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना से कांथला वाया बुढ़ाना होते हुए खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर रूट पर नई रोडवेज बसों के संचालन विषयक

74-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना से कांथला वाया बुढ़ाना होते हुए खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर रूट पर कितनी रोडवेज बसें वर्तमान में संचालित हैं ? क्या संचालित बसें उक्त रूट के लिए पर्याप्त हैं ? क्या सरकार उक्त रूट पर नई बसों का संचालन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

कैराना से खतौली वाया कांथला-बुढ़ाना मार्ग पर 06 बसें संचालित होती हैं।

उक्त रूट के लिए संचालित बसों की संख्या पर्याप्त है।

सहारनपुर क्षेत्र में प्राप्त नई बसों में से 02 बसें खतौली भेजी गयी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से खतौली से वाया बुढ़ाना-कांथला-कैराना मार्ग पर संचालित करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ महानगर में बढ़ते यात्री दबाव के दृष्टिगत टैम्पो वाहनों के नये रूट और नये परमिट जारी करने विषयक

75-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में बढ़ते यात्री दबाव के दृष्टिगत टैम्पो वाहनों के नये रूट और नये परमिट जारी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

लखनऊ महानगर में टैम्पो टैक्सी के संचालन हेतु 44 मार्ग निर्धारित हैं, जिस पर 2575 वाहनों पर परमिट जारी किये गये हैं। लखनऊ नगर निगम सीमा में 4343 परमिट ऑटो रिक्शा हेतु जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जन सामान्य के यातायात की सुविधा के लिए लखनऊ महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की 260 सिटी बसें एवं 38 निजी सिटी बसें अर्थात् कुल 298 बसें संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति' घोषित की गयी है, जिसे सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19-10-2020 में अंगीकृत किया गया है। शहर में प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन/बढ़ावा दिये जाने हेतु परमिट से मुक्त रखा गया है। लखनऊ महानगर में 36,652 ई-रिक्शा व 481 ई-ऑटो (इलेक्ट्रिक) एवं 135 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इस प्रकार शहर में कुल 37,268 प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहन संचालित हैं। अमौसी एयरपोर्ट से शहर के प्रमुख स्थानों से होकर मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल संचालित हो रही है। इस प्रकार लखनऊ महानगर में जनसाधारण हेतु यातायात के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

लखनऊ महानगर में निर्धारित रूट पर टैम्पो व विक्रम वाहनों के संचालन हेतु जारी कुल परमिट एवं निर्धारित रूट का विवरण एवं अवैध रूप से चलने वाले टैम्पो/विक्रम पर कार्यवाही किये जाने विषयक

76-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में निर्धारित रूट पर टैम्पो व विक्रम वाहनों के संचालन हेतु जारी कुल परमिट एवं निर्धारित रूट का विवरण क्या है ? क्या सरकार अवैध रूप से चलने वाले टैम्पो/विक्रम वाहनों पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

लखनऊ महानगर में टैम्पो/विक्रम वाहनों के संचालन हेतु 44 मार्ग निर्धारित किये गये हैं, जिन पर संचालन हेतु कुल 2517 टैम्पो/विक्रम वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।

अवैध रूप से संचालित टैम्पो/विक्रम वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (01 अप्रैल से 31 अगस्त, 2022 तक) कुल 304 वाहनों का चालान किया गया तथा 134 वाहनों को बन्द किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी महानगर में अधिकांश स्कूली वाहन फिटनेस के बिना संचालित किये जाने विषयक

77-श्री रवि शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी महानगर में अधिकांश स्कूली वाहन फिटनेस के बिना संचालित किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि

हां, तो क्या सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत बिना फिटनेस के संचालित वाहनों को सीज कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हां।

जनपद झांसी में विद्यालयीय वाहनों के रूप में कुल 443 वाहन पंजीकृत हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी है। उक्त वाहनों में से 313 वाहन फिट (मानक के अनुरूप) एवं 130 वाहन अनफिट (मानक के विपरीत) पाये गये। अनफिट/मानक के विपरीत पाये गये 130 वाहनों के स्वामियों को अपनी-अपनी वाहनों की जांच कराते हुए फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। तद्नुक्रम में 40 वाहन-स्वामियों द्वारा अपने विद्यालयीय वाहनों की जांच कराते हुए फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार, कुल 443 विद्यालयीय वाहनों में से मात्र 90 वाहन स्वस्थता-जांच हेतु अवशेष हैं।

विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयीय वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। तत्क्रम में उपरोक्तानुसार अनफिट (मानक के विपरीत) पायी गयी समस्त 90 वाहनों के विरुद्ध नोटिस निर्गत की गयी है। तदोपरान्त विद्यालयीय वाहनों के विरुद्ध सतत् संचालित प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 25 अनफिट (मानक के विपरीत) विद्यालयीय वाहनों का चालान तथा 15 अनफिट (मानक के विपरीत) विद्यालयीय वाहनों को थाने में निरुद्ध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना विषयक

78-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत कक्षा 9, 10, 11 एवं 12वीं में उत्तीर्ण छात्र, छात्राओं को साइकिल वितरण योजना में पूर्व के स्थान पर नये शासनादेश संख्या 2639-38/भ0नि0 बोर्ड (1118)/2022, दिनांक 18-07-2022 के द्वारा श्रमिकों की पुत्र, पुत्रियों को पहले साइकिल खरीदने एवं उसकी रसीद प्रस्तुत किये जाने के बाद धनराशि खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गयी है ? यदि हां, तो पूर्व की भांति सन्त रविदास योजना के अन्तर्गत छात्र, छात्राओं को साइकिल वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग को

प्रेषित पत्रांक क-6 589129, दिनांक 29-07-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-2629-36/भ0नि0 बोर्ड-(1118)/2022, दिनांक 18-07-2022 द्वारा 'सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना' के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं :-

साईकिल में घण्टी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्राण्डों के बेस मॉडल की साईकिल क्रय हेतु रु0 4500/- की धनराशि (चार हजार पांच सौ रुपये मात्र) अधिकतम सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा सम्बन्धित रसीद प्रस्तुत करने पर डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में तैनात सहायक श्रमायुक्त के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शासन में जांच कराने एवं नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने विषयक

79-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में तैनात सहायक श्रमायुक्त के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शासन में जांच कराने एवं नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के प्रकरण में सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर को प्रेषित पत्रांक-145-55/भ0नि0बो0 (1940)-22, दिनांक 03-06-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-145-55/भ0नि0बो0 (1940)-22, दिनांक 03-06-2022 के साथ संलग्न

श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती पत्र दिनांक 07-01-2022 के क्रम में कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-132-33/परि0-22, दिनांक 15-06-2022 द्वारा श्री आर0पी0 गुप्ता, उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मुख्यालय, कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई कार्य के श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई कार्य के श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत सरकारी गजट संख्या 409/छत्तीस-1-2021-9(जी) 2020, दिनांक 6 मई, 2021 का सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद के द्वारा अनुपालन नहीं कराये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक-क-6 नं0-589516, दिनांक 03-08-2022 एवं क-6 नं0-589544, दिनांक 02-08-2022 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को सम्बोधित पत्र संख्या क-6 नं0-589516, दिनांक 03-08-2022 प्राप्त नहीं हुआ है एवं पत्र संख्या क-6 नं0-589544, दिनांक 02-08-2022 प्राप्त हुए हैं।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशों के क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों से जांच करायी गयी, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा श्री विनोद पुत्र श्री बाबू राम नि0 आजाद नगर, फिरोजाबाद को शासनादेश के अनुसार रुपये 69,550/- का भुगतान कराया गया तथा गजट संख्या-409/छत्तीस-1-2021-9(जी) 2020, दिनांक 6 मई 2021 का अनुपालन कराये जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सजग दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में संचालित कांच-चूड़ी के कारखानों में शासन के निर्देशों की अवहेलना करने विषयक

81-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में संचालित कांच-चूड़ी के कारखानों में शासन के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए 8 घण्टे के स्थान पर 9 से 11 घण्टे कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद कार्यालय की मिली-भगत से कराये जा रहे इस अनैतिक कार्य को रोकने एवं जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, श्रम मंत्री, अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग एवं जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क्रमशः क-6 नं0-589521, क-6 नं0-589520, क-6 नं0-589518, एवं क-6 नं0-589517, दिनांक 05-08-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र सं0-क-6 नं0-589518, दिनांक 05-08-2022 प्राप्त हुआ, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से कार्यालय श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-315-17/परि0-22, दिनांक 12-09-2022 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त, आगरा के पत्र दिनांक 15-09-2022 के साथ संलग्न सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 15-09-20222 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या-क-6 नं0-589517, दिनांक 05-08-2022 की प्रति प्राप्त हुई, जिसमें जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देश के क्रम में जनपद फिरोजाबाद स्थित 17 औद्योगिक इकाइयों का श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की टीम के माध्यम से जांच करायी गयी, जिसमें स्थलीय जांच के दौरान आठ घण्टे से अधिक कार्य लिये जाने की पुष्टि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान/इकाई में नहीं हुई है। उक्त आख्यानुसार आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से मुख्य मंत्री पोर्टल सन्दर्भ संख्या-18147220140632 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र संख्या

क-6 नं0-589521, दिनांक 05-08-2022 की प्रति प्राप्त हुई, जिसकी जांच श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा करायी गयी थी, जिसमें शिकायत असत्य पायी गयी।

पत्र संख्या-क-6 नं0-589520, दिनांक 05-08-2022 की प्रति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्थापित जिला कारागार में हाईमास्ट लाइट, नाला निर्माण, समरसेबिल पम्प, एप्रोच रोड एवं एम्बुलेन्स हेतु वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित कराने एवं बजट आवंटन विषयक

82-श्री मनीष असीजा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थापित जिला कारागार में 1 हाईमास्ट लाइट, जेल परिसर में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण, जेल लाइन में 2 समरसेबिल पम्प की स्थापना, पार्क निर्माण, आन्तरिक एप्रोच रोड का निर्माण एवं एक एम्बुलेन्स हेतु वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित कराने एवं बजट आवंटन कराते हुए उक्त कार्यों को कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जिला कारागार, फिरोजाबाद में हाईमास्ट लाइट एवं एम्बुलेन्स की व्यवस्था का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में उक्त कारागार पर 01 एम्बुलेन्स उपलब्ध है।

जिला कारागार, फिरोजाबाद में कारागार परिसर से जल निकासी हेतु नाले का निर्माण, 01 समरसेबिल पम्प की स्थापना, पार्क की बाउण्ड्रीवाल व इण्टरलॉकिंग सहित गेट का निर्माण, आन्तरिक सी0सी0 रोड/एप्रोच रोड के कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। कार्य योजना की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में सहायक श्रमायुक्त की अवैध वसूली, अनियमितता की शिकायत के सम्बन्ध में

83-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नियुक्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम विभाग की अनियमितताओं के विरुद्ध घोर लापरवाही एवं अवैध वसूली आदि की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, लखनऊ को

प्रेषित पुष्टि पत्र सं0-क-6 नं0-516375, दिनांक 14-03-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र दिनांक 07-01-2022 एवं पुष्टि-पत्र दिनांक 14-03-2022 के क्रम में कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-132-33/परि0-22, दिनांक 15-06-2022 द्वारा श्री आर0पी0 गुप्ता, उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मुख्यालय, कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती स्थित वाल्टरगंज चीनी मिल के कर्मचारियों का विगत छः वर्षों के बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत वाल्टरगंज चीनी मिल के कर्मचारियों का विगत छः वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल के कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद बस्ती के अन्तर्गत वाल्टरगंज चीनी मिल (ए यूनिट आफ फेनिल शुगर लि0) निजी क्षेत्र की शुगर मिल है, जिसमें पेराई सत्र, 2018 से उत्पादन कार्य बन्द है। शुगर मिल के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान माह मार्च, 2018 से नहीं किया गया है।

शुगर मिल के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने के लिए उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (वेतन का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत मार्च, 2018 से जनवरी, 2022 के बकाया वेतन भुगतान कराने हेतु रु0 6,52,39,992/- (छः करोड़ बावन लाख उन्तालीस हजार नौ सौ बानबे) की वसूली का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। वसूली में प्राप्त रु0 15,66,532/- (पन्द्रह लाख छाछठ हजार पांच सौ बत्तीस) की धनराशि का भुगतान शुगर मिल के कर्मचारियों को कर दिया गया है। शेष वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[11:13] नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को नियम-300 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं। उसमें से कोई भी सूचना ग्राह्य नहीं है, सब अग्राह्य की जाती हैं। औचित्य का कोई प्रश्न ग्राह्य नहीं है।

[11:14] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 के अन्तर्गत आज 128 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आपको विशेषाधिकार है, लेकिन जो लोग बॉयकाट करके गये, उनके बारे में वह नियम नहीं लागू होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम हाजिरी ले लेते हैं, जो लोग उपस्थित हैं, हम उनकी सूचनाएं लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सत्र का अन्तिम दिन है, जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हों।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, नियम-301 में जिन्होंने नोटिस दी है और सदन में उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव आ गया है। आदरणीय मोना जी, मैं उपस्थिति देख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 128 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से 56 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री अजय सिंह की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद कौशाम्बी में मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा की तहसील इटावा में नगर के अन्तर्गत ग्वालियर बाई पास एवं नगर को जोड़ने वाली रोड के मध्य में पड़ने वाले प्राचीन हनुमान मन्दिर के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजमणि की जनपद वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय एवं वाहन के लिए सरकार के द्वारा दिये जा रहे बजट के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद कानपुर नगर हाल्सी रोड, थाना बादशाही नाका में अवैध सब्जी मण्डी हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम रेवटा में चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत शक्ति पीठ देवीपाटन तुलसीपुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र खतौली में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने हेतु काली नदी में गंग नहर का पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की खादिम इण्डिया लि0 के वेन्डरों पर स्कूल बैग की आपूर्ति के क्रम में आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तहसील गोला में बिजली के बिल में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई में सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री रामदुलार की जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री हरिओम की जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर, कासगंज में सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रमा शंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां वाया जौगढ़ से गोल्हनपुर से होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में गोराघाट-रामगंगा नदी के तट पर पक्का

घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रदीप शुक्ला की जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री कैलाश की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत विकास खण्ड चकिया में रामपुर कला में मुख्य मार्ग से गांव के पश्चिम तरफ देतरा बाबा मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में अण्डर ग्राउण्ड सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत गिलौला से सिवारा घाट मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में न्याय पंचायत चन्दौली के अन्तर्गत मठ वाली गली में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0 167/2021 में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही न कर उन्हें विधि विरुद्ध ढंग से बचाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताईसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत मदरसा आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाईसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में नगर निगम के अन्तर्गत सड़क, नालियों-सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा की विधान भवन में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, जवाहर भवन के अन्तर्गत आने वाले वायर मैन, पम्प चालक, लिफ्ट आपरेटर एवं हेल्पर आदि के साथ हो रहे न्याय तथा शोषण के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझगवां के अन्तर्गत ब्लाक सीटी में बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की प्रदेश में समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के

लिए आवश्यक राड, नेल, स्क्रू, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाने से रोके जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत बल्दीराय स्थित पूरे प्रतिपाल मिश्र का पुरवा ग्राम सभा बहुरावां में नये पोल लगाने एवं 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालीसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की लखनऊ, उत्तर विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा स्वीकृत आई0टी0आई0 निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में लम्बित भूमि के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री बाबू लाल की जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के ग्राम नाननपुर, रामपुर के पास से जमुना के खादरों से अवैध बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला राधा नगर में नाले एवं खड़न्जे के निर्माण के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव में नवसृजित विकास खण्ड मांखी को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के थाना मदेयगंज में पंजीकृत प्रकरण की विवेचना पुलिस उपायुक्त चौक के अन्तर्गत आने वाले समस्त थाने को छोड़कर जनपद लखनऊ के किसी अन्य थाने से कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत आगरा-बाह मार्ग भदरौली-खरकपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनचालीसवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास खण्डों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गोमती नदी की सूखी जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना डॉ0 विमलेश पासवान की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के बेलीपार में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र भवन की मरम्मत एवं विस्तार हेतु

धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक) की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद हरदोई के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय रैसों में वर्ष 2008 से कार्यरत सहायक अध्यापिका द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है तथा छप्पनवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री मो0 हसन 'रूमी', श्रीमती मीनाक्षी सिंह, हाजी इरफान सोलंकी, श्री संग्राम सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री नफीस अहमद, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सन्दीप सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री मूलचन्द्र सिंह, श्री आशु मलिक, श्री जियाउर्रहमान, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री अशरफ अली खान, श्री जाहिद, श्री चन्दन चौहान, श्रीमती महाराजी प्रजापति, श्री गौरव कुमार, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी एडवोकेट, इं0 बृजेश कठेरिया, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री सर्वेश सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अभय सिंह, श्री अनिल प्रधान, श्रीमती ऊषा मौर्या, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री लकी यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जै किशन साहू, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री लालजी वर्मा, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री राम अचल राजभर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अमरेश कुमार, श्री तेजपाल सिंह नागर, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री प्रभाष कुमार, श्री बेचई सरोज, श्री रामचन्द्र यादव, श्री राम अवतार सिंह, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री रमेश, श्री ओम प्रकाश, श्री सचिन यादव, श्री प्रसन्न कुमार, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री मो0 फहीम इरफान, श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, श्री मनोज कुमार पारस, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री अवधेश प्रसाद, डॉ0 रागिनी, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्रीमती सैय्यदा खातून तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद गोण्डा सहित पूरे देवीपाटन मण्डल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। जनपद व मण्डल के समस्त स्थापित महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से है जिससे जनपद व मण्डल के छात्र व छात्राओं तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अपने कार्यों के लिए अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जनपद गोण्डा मण्डल मुख्यालय होने के साथ-साथ मण्डल के मध्य में स्थित है। मुख्यालय के निकट ही विकास खण्ड परसपुर के ग्राम पंचायत डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि भी उपलब्ध है। जनपद व मण्डल में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

जनपद कौशाम्बी में मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहती हूँ कि जनपद कौशाम्बी के नगर पंचायत मंझनपुर के सिराथू-मंझनपुर मार्ग से असकरनपुर-मंगरोहनी सम्पर्क मार्ग जो अति प्राचीन शिवालय तक मार्ग संकरा एवं क्षतिग्रस्त है। ग्राम स्थित अति प्राचीन शिवालय तक मार्ग का चौड़ीकरण कर मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार से इस सदन में वक्तव्य की मांग करती हूँ]

जनपद इटावा की तहसील इटावा नगर के अन्तर्गत ग्वालियर बाईपास एवं नगर को जोड़ने वाली रोड के मध्य में पड़ने वाले प्राचीन हनुमान मन्दिर के आवागमन हेतु सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत एक प्राचीन हनुमान जी का मन्दिर है। जिसको पडराया हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस मन्दिर पर लोगों की बहुत आस्था है। इस मन्दिर पर जाने के लिए एक दुर्गम कच्चा रास्ता है (एन0एच0-2 ग्वालियर बाइपास) एवं नगर को जोड़ने वाली मरघट के रास्ते कच्ची रोड के मध्य में पड़ने वाले इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राचीन मन्दिर पर लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क का निर्माण इटावा मरघट से लेकर पडराया मन्दिर होते हुए (एन0एच0-2 ग्वालियर बाइपास) तक कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इटावा मरघट से लेकर पडराया मन्दिर होते हुए (एन0एच0-2 ग्वालियर बाइपास) तक सड़क निर्माण के लिए वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय एवं वाहन के लिए सरकार के द्वारा दिये जा रहे बजट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजमणि कोल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी मण्डल के जनपद चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए वाहन, वाहन फ्यूल, कार्यालय, कार्यालय व्यय के लिए सरकार से कितना बजट प्रदान किया जाता है, प्रदेश के वाराणसी मण्डल में ऐसे भी जनपद हैं जहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए न तो वाहन, वाहन फ्यूल, कार्यालय व्यय, कार्यालय तक नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए सरकार से कितना बजट प्रदान किया जाता है, उक्त का विवरण प्रदान/कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर हाल्सी रोड, थाना बादशाहीनाका में अवैध सब्जी मण्डी हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान कानपुर नगर हाल्सी रोड, थाना बादशाहीनाका के ठीक सामने भांग ठेका के पास से मकान नं0 75/01, 75/02, 75/03, 75/04, 75/05, हाल्सी रोड व खेतान भवन से लेकर कांटा बांट वाली गली, हाल्सी रोड पर प्रतिदिन सुबह 04:00 बजे से सुबह 09:00 बजे के बीच अवैध सब्जी मण्डी लगवाई जा रही है, जिस कारण वहां के निवासियों, राहगीरों व स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्कूली बच्चों को लेने आने वाले रिक्शा चालकों से आये दिन मारपीट होती रहती है। ये सब्जी लगवाने वाले उक्त स्थानों पर बच्चों को लेने आये रिक्शा वालों को खड़ा नहीं होने देते हैं। यह अवैध सब्जी मण्डी बीच रोड पर लगने से सुबह-सुबह हाल्सी रोड पर जाम लग जाता है। जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में देरी होती है, यदि इन सब्जी बेचने व लगवाने वालों से हटने के लिए कहा जाता है, वह सब सब्जी लगाने वाले व्यक्ति झगड़ने व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस सब्जी मण्डी के मुख्य सड़क पर लगने से वहां पर गाय व साड़ का जमावड़ा लगा रहता है, जोकि कई बार बच्चों, बुजुर्गों को उठाकर पटक चुके हैं।

इस सन्दर्भ में कई बार थाना बादशाहीनाका, कानपुर को क्षेत्रीय निवासियों द्वारा शिकायत करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह अवैध सब्जी मण्डी थाना बादशाहीनाका, कानपुर की शह से लगवायी जा रही है। जबकि पूर्व में यह सब्जी मण्डी निर्धारित स्थान गली के अन्दर तक ही लगती थी।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए आग्रह करता हूँ कि सम्बन्धित थाने की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए भविष्य में पुनः ऐसा करने पर उन लोगों को दण्डित करने व मकान नं0 75/01, 75/02, 75/03, 75/04, 75/05, हाल्सी रोड व खेतान भवन से लेकर कांटा बांट वाली गली, हाल्सी रोड, कानपुर के सामने सब्जी मण्डी शीघ्र हटवाये जाने की वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[महोदय, जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा से एन0एच0-28 राष्ट्रीय राजमार्ग बीचों-बीच से होकर गुजरती है जो उत्तर प्रदेश को बिहार व बंगाल से जोड़ती है। हाटा तहसील मुख्यालय के साथ-साथ मुख्य बाजार भी है जहां हजारों की तादाद में लोग अपने जरूरत के सामान को खरीदने आते हैं। सड़क पार करते वक्त आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रामा सेण्टर नहीं होने के चलते दुर्घटना की स्थिति में घायलों को हाटा से 35 किमी0 दूर गोरखपुर ले जाना पड़ता है। घायलों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के चलते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अतः हाटा में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[महोदय, अवगत कराना है कि देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। यह सड़क लगभग 60-70 ग्राम सभा को जोड़ती है एवं मुख्य सड़क होने के कारा इस सड़क पर आवागमन ज्यादा रहता है एवं भारी गाड़ी की चलने वाली संख्या भी ज्यादा रहती है, परन्तु यह सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। आज के समय में इस सड़क पर चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, पूरी सड़कों में यह नहीं पता चलता है कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है, सड़क की हालत खराब होने के कारण राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम रेवटा में चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र -

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा-314, घनघटा, जनपद सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम रेवटा, विकास खण्ड नाथनगर जो स्थित है, जो कोविड काल से पूर्व में प्रारम्भ होना था जो अभी तक नहीं हो सका है जिससे आम जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृषित कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत शक्ति पीठ देवीपाटन तुलसीपुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, 291-तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत शक्ति पीठ देवीपाटन (तुलसीपुर) देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां पर प्रतिवर्ष देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं परन्तु तुलसीपुर में कोई बस स्टेशन न होने के कारण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यात्रियों को सदैव विशेष रूप से शरदीय एवं चैत्र नवरात्र में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त स्थान पर बस स्टेशन बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र खतौली में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने हेतु काली नदी में गंग नहर का पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-15, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में काली नदी के आस-पास 25 गांव हैं। नदी का पानी प्रदूषित होने के कारण गांव के निवासीगण गम्भीर बीमारी हिपेटाईटिस, कैंसर, हैजा, एलर्जी आदि बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में कैंसर के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। काली नदी की साफ-सफाई कराते हुए जनहित में इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काली नदी में गंग नहर का पानी छोड़ा जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

खादिम इण्डिया लिमिटेड के वेन्डरों पर स्कूल बैग की आपूर्ति के क्रम में आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि खादिम इण्डिया लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्र-छात्राओं के शिक्षण हित में महानिदेशक स्कूल शिक्षा, लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति टेण्डर के सापेक्ष निःशुल्क स्कूल बैग की आपूर्ति गुणवत्तापूर्वक कराया गया। आपूर्ति के सापेक्ष उक्त कम्पनी का अवशेष भुगतान न होने के कारण कम्पनी से सम्बद्ध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित व्यक्तियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त कम्पनी के वेन्डरों पर उक्त आपूर्ति के क्रम में आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिससे उक्त कम्पनी से जुड़े व्यक्तियों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार की तहसील गोला में बिजली के बिल में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, अवगत कराना है कि गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार (तहसील गोला) में बिजली उपभोक्ताओं के जो बिल आ रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। जिन एजेन्सियों को मीटर रीडिंग करने और बिल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, वे काफी मनमानी कर रहे हैं। मीटर रीडिंग कुछ और कहती है और उस हिसाब से बिल कुछ और आता है जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा कर दिया है, उनके ऊपर भी बकाये की राशि दिखाकर फिर से बिल भेज दिया जाता है। इस मनमानेपन से बिजली उपभोक्ता काफी परेशान हैं। बिजली बिलों में गड़बड़ी के नाते वे अपना बिल भी जमा कराने से हिचकिचाते हैं तथा बिजली बिल को ठीक कराने के नाम पर अधिकारियों की मिलीभगत से विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि जिन प्राइवेट एजेंसियों को मीटर रीडिंग और बिल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उन पर सरकार नकेल कसे ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को सही बिल समय से मिल सके जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली नियम-301 के तहत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई में सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे फाटक रिनिया से जी0टी0 रोड, पीली कोठी, मच्छर चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, सरदार पटेल चौराहा होते हुए राजकीय मेडिकल कालेज चौराहा तक चौड़ीकरण एवं आर0सी0सी0 रोड बनाये जाने अति आवश्यक हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामदुलार-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को कराया जाना अति आवश्यक है :-

1-विकास खण्ड म्योरपुर एम0एम0बी0जी0बी0 मार्ग के किमी0 63 से भंटवारी टोला (मेमना) सम्पर्क मार्ग 2.76 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-विकास खण्ड म्योरपुर एम0एम0बी0जी0बी0 मार्ग से कुण्डाडीह होते हुए परनी सम्पर्क मार्ग 4 कि0मी0।

3-विकास खण्ड दुब्धी के दुब्धी जपला मार्ग के किमी0 5 से पूरब टोला प्रा0वि0 होते हुए ठेमा नदी तक सम्पर्क मार्ग 2 कि0मी0।

4-विकास खण्ड बभनी ग्राम चौना में गिधिया टोला सम्पर्क मार्ग वाया जूडा 02 कि0मी0।

5-विकास खण्ड म्योरपुर ग्राम रजमिलान दनुआ से मैनहवा सम्पर्क मार्ग 2.50 कि0मी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिओम-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

जनपद कासगंज के अमापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निरीक्षण भवन, कासगंज रोड, अमांपुर का जीर्णोद्धार काफी लम्बे समय से नहीं हुआ है जिससे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी विशिष्ट अतिथि/माननीयों के ठहरने हेतु कोई अन्य स्थान नहीं है, जबकि विभाग द्वारा उक्त भवन का डिजाइन भी तैयार किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को कई बार अनुरोध किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निरीक्षण भवन, कासगंज रोड, अमांपुर का जीर्णोद्धार कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निरीक्षण भवन, कासगंज रोड, अमांपुर का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर, कासगंज में सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद कासगंज के अन्तर्गत 100-सदर, कासगंज के ब्लाक कासगंज में कासगंज-सिकन्दराराऊ मार्ग पर ग्राम-मोहनपुरा पंचायत पर हरी मटर की फली की मण्डी अन्तर्राज्यीय स्तर की मण्डी है। यहां से जिला अलीगढ़-गंगीरी के लिए रोड मौजूद है। जनता की आवागमन की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

उक्त रोड तीन मीटर चौड़ा है जिससे हरी मटर की फली के ट्रैक्टर व ट्रकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की समस्या को देखते हुए कासगंज जनपद की सीमा तक चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उपरोक्त सड़क के चौड़ीकरण से किसानों की समस्या का समाधान होगा ही और अलीगढ़ जनपद को भी जोड़ेगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कासगंज-सिकन्दराराऊ मार्ग पर ग्राम-मोहनपुरा पंचायत से जनपद कासगंज की सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। मैं उक्त मार्ग के चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां वाया जौगढ़ से गोल्हनपुर होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर पटेल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बरगवां वाया जौगढ़ (चट्टान नगर) से गोल्हनपुर होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग बहुत जीर्णशीर्ण हालत में है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण आये दिन जाम की समस्या तथा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मार्ग को 5.5 मीटर चौड़ीकरण करके निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बरगवां वाया जौगढ़ (चट्टान नगर) से गोल्हनपुर से होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में गोराघाट-रामगंगा नदी के तट पर पक्का घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत गोराघाट रामगंगा नदी के पुल के पास लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं, अतः नदी के तट पर पक्का घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृषित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप शुक्ला-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र-324, सहजनवां के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है :-

1-बेजलपुर से रावपार सिवान तक (विकास खण्ड सहजनवां)।

2-उदादेवी चौदहा अन्नतपुर से दरघट होते हुए पटकोलिया (विकास खण्ड सहजनवां)।

3-उनवल नगर पंचायत में पुराने नगर पंचायत भवन से लेकर टेकवार चौराहा तक (विकास खण्ड बांसगांव)।

4-सतुआ भार चौराहा से विहारी तक विशेष मरम्मत (विकास खण्ड खजनी)।

5-सतुआ भार चौराहा से रावत डाडी माडे तक (विकास खण्ड खजनी)।

6-खुटहना मार्ग से रामपुर तक (विकास खण्ड खजनी)।

7-तेनुआ टोल प्लाजा से नेवास मार्ग तक (विकास खण्ड पिपरेली)।

8-खरेला पानी टंकी से आदिलनगर होते हुए गारड तक विशेष मरम्मत (विकास खण्ड पिपरेली)।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत विकास खण्ड चकिया में रामपुर कला में मुख्य मार्ग से गांव के पश्चिम तरफ देतरा बाबा मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-383, चकिया, सु0, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत विकास खण्ड चकिया में रामपुर कलां में मुख्य मार्ग से गांव के पश्चिम तरफ देतरा बाबा मन्दिर तक एक सड़क मार्ग की आवश्यकता है। उस मार्ग से सैकड़ों कृषकों का कृषि कार्य हेतु आना-जाना रहता है। 1.5 किमी0 लम्बा मार्ग जनहित में बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में अण्डरग्राउण्ड सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जोकि राजधानी लखनऊ की स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत आता है। इस शहरी क्षेत्र में सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में घोषित स्मार्ट सिटी लखनऊ में समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता पर अण्डरग्राउण्ड सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत गिलौला से सिसारा घाट मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के ब्लाक गिलौरा अन्तर्गत गिलौला से सिसारा घाट मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 10.00 किमी0 है, यह मार्ग बहुत ही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संकरा है जिसके कारण दो वाहनों का आवागमन नहीं हो सकता है। इससे जाम की स्थिति आये-दिन उत्पन्न होती है। इससे बच्चे अपने स्कूल, कालेज, मरीज अस्पताल तथा कर्मचारी अपने कार्यालय समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जनहित में इस मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गिलौला से सिसवारा घाट मार्ग का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में न्याय पंचायत चन्दौली के अन्तर्गत मठ वाली गली में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय, जनपद चन्दौली के न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत मठ वाली गली पर नाला निर्माण के कार्य हेतु पूर्व में अनेक बार प्रस्ताव दिये गये, परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त कार्य संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि वहां के निवासियों के लिए उक्त नाला निर्माण अति आवश्यक है।

अतः आपसे निवेदन है कि जनपद चन्दौली के न्याय पंचायत चन्दौली के अन्तर्गत मठ वाली गली में नाला निर्माण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नव्वागांव, तहसील मनकापुर के खलिहान की भूमि गाटा सं0-67/0.266 एअर जो सरकारी खलिहान की भूमि है। उस पर भू-माफिया पूर्व प्रधान छेदी खां द्वारा सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा/मकतब स्कूल का पक्का निर्माण करा दिया गया है। जनहित में उक्त ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत की सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को भू-माफिया से खाली कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-67, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में अवन्तिका देवी का मन्दिर गंगा किनारे स्थित है। यह अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ है तथा यहां मन्दिर के साथ-साथ एक संस्कृत महाविद्यालय व कई आश्रम स्थित हैं। यहां पर नवरात्रों में विशाल मेले लगते हैं, जिसमें लाखों लोग गंगा स्नान व दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ-साथ अनेकों पर्वों पर पूर्णिमा तथा अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मन्दिर को जोड़ने वाली सड़क मात्र 03 मीटर चौड़ी है, जिससे आये दिन वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि मार्ग में पड़ने वाले गांव के नागरिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इस मन्दिर को जोड़ने वाली सड़क सफीनगर, दरावल, मौहम्मदपुर, अवन्तिका देवी का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0-167/2021 में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही न कर उन्हें विधि विरुद्ध ढंग से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि समीउल्ला पुत्र कयूमउल्ला, निवासी ग्राम व पोस्ट-सिघियावां, थाना जगदीशपुर, जिला अमेठी का उनके पड़ोसी अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब के साथ चुनावी रंजिश के चलते दिनांक 11-05-2021 को थोड़ा वाद-विवाद हो गया था, जिसकी थाना जगदीशपुर में शिकायत की गयी थी। दिनांक 12-05-2021 को उक्त शिकायत में थाने से जमानत कराने के पश्चात् जब ये लोग वापस गांव में आये तो शाम को लगभग 06:15 बजे अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब कुछ अन्य साथियों के साथ घातक हथियार जैसे रायफल, पिस्टल इत्यादि से लैस होकर समीउल्ला के घर आये और वहां उपस्थित परिवार के सदस्यों पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी, जिसमें समीउल्ला

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के पुत्र शानू व हसीन तथा भतीजे शादाब व सलमान को गोलियां लगीं और गम्भीर चोटें आईं जिनको तत्काल सी0एच0सी0 जगदीशपुर ले जाया गया, जहां से इन्हें ट्रॉमा सेन्टर लखनऊ रेफर कर दिया गया। दिनांक 13-05-2021 को थाना जगदीशपुर में अभियुक्तगण अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी जिसके क्रम में मु0सं0-167/2021 दर्ज कर विवेचना शुरू की गयी तथा समीउल्ला व उनके भाई श्री कलीमउल्ला के बयान के आधार पर इरफान, सद्दाम, अरमान व छोट्टन को भी अभियुक्त बनाया तथा आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब, इरफान, सद्दाम, छोट्टन व अरमान को एक गाड़ी में असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नसीब व सुहेल स्वयं थाने में उपस्थित हो गये और उन्हें भी जेल भेज दिया गया था।

इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्तों में सम्मिलित अकील, असलम व अकरम के विरुद्ध पुलिस वभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा विवेचक महोदय अभियुक्तों से मिले हुए हैं और जानबूझ कर उनको बचा रहे हैं साथ ही विवेचना की रिपोर्ट में शेष अभियुक्तों पर आरोप को कमजोर कर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है, जिस कारण सभी अभियुक्त या तो पुलिस विभाग द्वारा विवेचना से बाहर कर दिये गये हैं या फिर जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान मो0 शफीक को गवाह बनाया गया है, जिनकी तरफ से दिनांक 10-01-2022 को एक शपथ-पत्र दाखिल कराते हुए इनकी गवाही के आधार पर मुकदमे के मुख्य अभियुक्त को ही आरोप-पत्र से बाहर कर दिया जाता है, जबकि मो0 शफीक दिनांक 18-12-2021 से ही देश के बाहर हैं। यह पुलिस विभाग की मिली-भगत का स्पष्ट उदाहरण है। पुलिस विभाग द्वारा अभियुक्तों को बचाने तथा पीड़ित पक्ष को धमकाने की शिकायत समय-समय पर पुलिस अधीक्षक व सी0ओ0, मुसाफिरखाना को की गयी तथा कार्यवाही न होने पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, ए0डी0जी0, जिलाधिकारी, कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग को भी रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से शिकायत किया, परन्तु अब तक इन अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सदन के माध्यम से सूचना मांगे जाने पर विवेचक श्री राहुल कुमार के खिलाफ प्रविष्टि कर खानापूर्ति कर लिया गया, परन्तु न तो अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हुई और न ही उनके विरुद्ध आरोप-पत्र सही ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कृपया पुलिस विभाग को सही विवेचना करने तथा सभी अभियुक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष उचित धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूँ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत मदरसा आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि SPEMM योजना (स्कीम फार प्रोवाइडिंग एजुकेशन माईनारटी ऑफ मदरसा) में पिछला बकाया केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक का कुल 48 माह का मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है।

लगभग 10 वर्षों से किसी भी नये मदरसे को योजना से आच्छादित नहीं किया गया है, जबकि निदेशालय में नव नियुक्त आधुनिक शिक्षकों का प्रस्ताव विगत कई वर्षों से लम्बित है।

राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा रहा अतिरिक्त राज्य अंशदान 3000 व 2000 प्रतिमाह के बजट में बढ़ोत्तरी किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि लगभग 10 वर्षों से अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आधुनिक शिक्षकों के मानदेय केन्द्रांश मद में बढ़ोत्तरी किया जाना अति आवश्यक है। पूर्व में शिक्षकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पी0ए0बी0 की बैठक में पास किया गया था, परन्तु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों को पोर्टल पर नहीं लिया गया, जिससे उक्त मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का भुगतान होने में दिक्कतें हो रही हैं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र-371, जफराबाद, जौनपुर में शहर जौनपुर के जेसीज चौराहा से वाजिदपुर तक सड़क बनी है, मुख्य मार्ग है, उसके निर्माण के पूर्व लो0नि0 विभाग द्वारा कतिपय जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। रोड उस जमीन पर न बन कर सम्पूर्ण नाले पर बन गयी है। अधिग्रहीत भूमि पर लोगों द्वारा निर्माण कर लिया गया है। वाजिदपुर, हुसेनाबाद में रोड के पूरब बड़ी संख्या में आबादी बस गयी है, आये दिन वहां पर संशय की स्थिति रहती है। भू-माफिया फायदा उठा रहे हैं।

उक्त क्षेत्र की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में मा0 सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, आग्रह है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ट्रामा सेण्टर की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, जिसकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर पत्रावली शासन में विचाराधीन है।

अतः जनहित में नियम-301 के अन्तर्गत याचिका स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम पंचायत लहसड़ी के मजरा राजस्व ग्राम भुड़िया, तहसील पेहना में बहगुल नदी पर पुल का निर्माण न होने से कृषकों एवं क्षेत्रवासियों को ब्लाक व तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर जाने में लगभग 20 किमी0 रास्ता तय करके जाना पड़ता है। उपरोक्त गांव से बहगुल नदी पर बने हुए पुल की दूरी लगभग 10 किमी0 है। मेरे द्वारा एवं क्षेत्र की जनता द्वारा लिखित एवं मौखिक शिकायत कई बार शासन एवं प्रशासन से की गई, परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त गांव में बहगुल नदी पर पुल निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता के लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे क्षेत्र के उपरोक्त ग्राम भुड़िया, तहसील पेहना में बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में नगर निगम के अन्तर्गत सड़क-नालियों-सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र में आने वाली मलिन बस्तियों में सड़कों पर अपशिष्ट जल निकासी की सुविधा सही प्रकार से नहीं है, जिस कारण वहां रहने वाले नागरिकों को गन्दगी में एवं टूटी-फूटी सड़कों पर चलना पड़ता है, जिससे सही प्रकार सफाई न होने से वहां पर बीमारियां भी बहुत अधिक बढ़ती हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में सहारनपुर नगर निगम में आने वाली मलिन बस्तियों के विकास के लिए सड़कों-नालियों, सीवर आदि के निर्माण के लिए योजना बनाकर विकास कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान भवन में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, जवाहर भवन के अन्तर्गत आने वाले वायर मैन, पम्प चालक, लिफ्ट आपरेटर एवं हेल्पर आदि के साथ हो रहे अन्याय तथा शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान भवन में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, जवाहर भवन के अन्तर्गत पद वायर मैन, पम्प चालक, लिफ्ट आपरेटर, हेल्पर आदि आते हैं। जिनका वेतन एवं ई0पी0एफ0 के पास बुक के अनुसार कर्मचारियों का वेतन रु0 11250.00 दिखाया गया है। 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 तथा पेंशन टोटल प्रतिमाह रु0 1763.00 काट लिया जाता है, जो ई0पी0एफ0 पास बुक में वर्णित है। शेष रु0 2487.00 बचता है, लेकिन कर्मचारियों को रु0 7920.00 प्रतिमाह खाते में दिया जाता है। रु0 1567.00 अधिकारी कर्मचारी का प्रतिमाह गबन कर जाते हैं जबकि अभियन्ता द्वारा प्रतिमाह रु0 14663.95 से लेकर रु0 24929.61 तथा रु0 27625.49 की दर से प्रत्येक कर्मचारी का वेतन संचालन का पेपर बनाया जाता है। कर्मचारियों का ई0एस0आई0सी0 कार्ड भी नहीं बना है। कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय तथा शोषण से मुक्ति दिलाये जाने का कष्ट करें।

अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले की जांच विशेष अधिकारी से कराने की कार्रवाई कराते हुए सरकार से अनुरोध करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत ब्लाक सीटी में बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद मिर्जापुर, सीटी ब्लाक, मझवां विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने के लिए 15 किमी0 दूर जाना पड़ता है, जिससे बालिकाओं को आने-जाने में बहुत असुविधा होती है। जनहित के लिए बालिका इण्टर कालेज बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिए आवश्यक राड, नेल, स्क्रू, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, उत्तर प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी टूटने के कारण बहुत बड़ी संख्या में नागरिक अपने इलाज हेतु आते हैं।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में हड्डी जोड़ने हेतु राड, स्क्रू, प्लेट आदि की आवश्यकता होती है, जिनकी कीमत अधिक होती है। इन रोगियों को खुले बाजार से लाने को मजबूर होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में चिकित्सकों के द्वारा भी मनमानी दुकान एवं ब्रांड के कंज्यूमेबल्स मंगाये जाने की शिकायत बहुत आम है।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में उत्तर प्रदेश के रोगियों विशेषकर गरीब रोगियों को समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने में आवश्यक कंज्यूमेबल्स नेल, राड, स्क्रू, प्लेट आदि निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिए आवश्यक नेल, राड, स्क्रू, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे नदी में बहाने से रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर एक औद्योगिक नगरी है जहां विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, मिलें व कारखाने संचालित हैं। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने यहां का केमिकल युक्त पानी सीधे हिण्डन नदी में बहाया जा रहा है जिससे हिण्डन नदी प्रदूषित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प से जो पीने का पानी लिया जा रहा है वह काफी प्रदूषित और केमिकल युक्त आ रहा है, जिसे पीने से लोग काफी गम्भीर बीमारियों कैंसर व अन्य असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं। जनहित में जनपद सहारनपुर में संचालित होने वाली छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों व मिलों को अपने यहां का प्रदूषित पानी हिण्डन नदी में बहाने से रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत बल्दीराय स्थित पूरे प्रतिपाल मिश्र का पुरवा, ग्राम सभा बहुरावां में नये पोल लगाने एवं 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक, तहसील बल्दीराय स्थित पूरे प्रतिपाल मिश्र का पुरवा ग्राम सभा बहुरावां में नये पोल लगाने तथा केबिल लगाकर पुराने तारों को बदला जा रहा है, जिसमें चार पोल श्री राम सहाय पासी, श्री त्रिभुवन मिश्र, श्री मिश्री लाल मिश्र तथा श्री चन्दर सिंह के दरवाजे पर लगना तथा विद्युत केबिल लगना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व एवं जनहित में ये चारों पोल लगवा कर केबिल लगाने हेतु आदेश लेते हुए प्रतिपाल मिश्र के पुरवा में 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था हेतु समुचित आदेश देते हुए शासन से उत्तर दिलाने का कष्ट करें ताकि इस गांव को समुचित विद्युत मिल सके।]

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे की आबादी लगभग 50 हजार से अधिक है। कस्बे में इण्टर कालेज तो हैं लेकिन कोई राजकीय डिग्री कालेज नहीं है। कस्बे का ग्रामीण इलाका बहुत विस्तृत हैं। इण्टर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र-छात्राओं को दूर झांसी में स्थित राजकीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। बहुत से बच्चों को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ जाती है। गरीब बच्चे एवं लड़कियां महंगी फीस के कारण शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पाती हैं। कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना छात्रों के हित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया एक बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्रफल का जिला है, परन्तु यहां पर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं है, जिससे यहां के गरीब, मेधावी छात्र/छात्रायें पैसे के अभाव में दूरस्थ स्थानों पर इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और कुंठा के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, कोई भी इंजीनियरिंग कालेज जनपद बलिया से 200 से 250 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

मान्यवर, जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में कताई मिल की 50 एकड़ से ज्यादा जमीन वर्षों से खाली पड़ी हुई है तथा इस कताई मिल के आस-पास भी काफी जमीन उपलब्ध है। यदि यहां पर मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कर दी जाती है तो जनपद बलिया के साथ ही साथ इससे सटे जनपदों के छात्र/छात्राओं को भी इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया की रसड़ा तहसील में स्थित कताई मिल की खाली पड़ी 50 एकड़ से अधिक जमीन पर एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

लखनऊ जनपद लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा स्वीकृत आई0टी0आई0 निर्माण हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में लम्बित भूमि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा आई0टी0आई0 कालेज खोले जाने का निर्णय लिया गया था। खेदजनक है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाद भी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। इस विषय को लेकर सम्बन्धित को अनेक पत्र लिखे गये, सदन में ध्यानाकर्षण कराया गया, किन्तु अधिकारियों की उदासीनता से अभी तक कार्य इसलिए आरम्भ नहीं हो पाया है, क्योंकि कालेज हेतु चिन्हित और डालीगंज में उपलब्ध भूमि नजूल की होने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है तथा इसे कालेज निर्माण हेतु दिये जाने विषयक प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत लम्बित है। अधिकारियों की लेटलतीफी और गैर जिम्मेदाराना कृत्य के चलते यह कार्य वर्षों से प्रतीक्षित है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लम्बित प्रस्ताव के निस्तारण में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण तथा इससे सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस व्यापक लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कुछ ग्राम यमुना नदी के पार हरियाणा की ओर स्थित हैं। कतिपय गांवों के निवासित व्यक्तियों को जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधा हेतु अम्बाला रोड पर स्थित यमुना पुल से काफी दूरी तय करके आवागमन करना पड़ता है तथा कृषकों को अपनी फसल सहारनपुर अनाज मण्डी में विक्रय करने हेतु लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। यदि गांव सौंधेबांश-आल्हणपुर में यमुना नदी पर पुल का निर्माण हो जाये तो आम-जनमानस को आवागमन में काफी सुविधा/राहत प्रदान हो सकेगी एवं कतिपय गांवों के निवासितों/कृषकों को असुविधा/कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के ग्राम नानकपुर, रामपुर के पास से जमुना के खादरों से अवैध बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल-

[महोदय, जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के ग्राम नानकपुर के पास जमुना नदी के खादरों से दबंग लोगों द्वारा राजनीतिक संरक्षण में अवैध बालू का खनन किया जा रहा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जो करीब 5-6 साल से हो रहा है। जबकि विधान सभा क्षेत्र छाता के ग्राम शेरनगर में जमुना नदी से बालू खनन की (पट्टा) परमीशन सरकार द्वारा दी गयी है, जिसके कारण बाजना से रामपुर, नानकपुर ग्रामों के समस्त सड़क मार्गों को ट्रकों, डम्फरों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जनता को सड़क खराब होने की वजह से आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अवैध खनन मांट तहसील के ग्राम नानकपुर से हो रहा है। अविलम्ब रोक कर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के मोहल्ला राधा नगर में नाले एवं खड़न्जे के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मोहल्ला राधानगर की बड़ी पुलिया से रेलवे स्टेशन रोड तक निकट गौरीशंकर महाविद्यालय तक नाला एवं कच्चा रास्ता है, इस रास्ते व नाले की लम्बाई लगभग 350 मीटर है। ये रास्ता पूरी तरह दयनीय स्थिति में है। यह रास्ता आने-जाने योग्य नहीं है। यह रास्ता हाईडिल कालोनी, रेलवे स्टेशन कालोनी, ट्यूबवेल कालोनी, बहलीमपुरा, जालखेड़ा कई कालोनी को जोड़ता है। रेलवे स्टेशन जाने वाले व गौरीशंकर महाविद्यालय की छात्राओं को कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है।

अतः इस क्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी। जनहित में उपरोक्त पक्के नाले व खड़ंजे का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है।]

जनपद एटा में सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद एटा में अलीगंज-पटियाली मार्ग से राजा का रामपुर तक मार्ग की चौड़ाई काफी कम है। राजा का रामपुर नगर पंचायत के लिए यह मुख्य मार्ग है। यह मार्ग कम्पिल तीर्थ स्थल को भी जोड़ता है, जिस कारण से इस मार्ग पर यातायात का भारी दबाव रहता है और प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। जनहित में अलीगंज-पटियाली मार्ग से राजा का रामपुर तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक सिकन्द्राबाद के ककोड व आस-पास के 100 गांव के नजदीक कोई भी राजकीय महिला डिग्री कालेज नहीं है, जिस कारण से यहां की छात्राओं को दूर-दराज के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। ककोड के ग्राम सभा-वैर में भूमि भी रिक्त है। जनहित में ककोड के ग्राम सभा-वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव में नवसृजित विकास खण्ड माँखी को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 द्वारा 'नवसृजित विकास खण्ड माँखी' के सम्बन्ध में आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि लम्बे समय से जनता की मांग एवं शासन स्तर पर जांच-पड़ताल के बाद विकास खण्ड माँखी का नियमानुसार गठन किया गया था। इसे जनहित में बनाये रखते हुए चालू कराया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि उन्नाव जनपद के बड़े-बड़े ग्राम सभा अपने विकास खण्डों से अधिक दूरी होने के कारण विकास सुविधाओं से वंचित एवं समस्या ग्रस्त थे, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर नये विकास खण्ड माँखी का सृजन किया गया है, जो भारत सरकार की इस विषयक गाइडलाइन के अनुरूप है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए 20-12-2016 द्वारा 'नवसृजित विकास खण्ड माँखी', जनपद उन्नाव को बहाल रखते हुए ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 का क्रियान्वयन करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के थाना मदेयगंज में पंजीकृत प्रकरण की विवेचना पुलिस उपायुक्त चौक के अन्तर्गत आने वाले समस्त थाने को छोड़कर जनपद लखनऊ के किसी अन्य थाने से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, जनपद लखनऊ के थाना मदेयगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-0020/2022, थाना-भ0द0सं0-323, 342, 476, 504, 506 दिनांक 22-08-2022 में आरोपियों की गिरफ्तार न किये जाने की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उक्त प्रकरण में आरोपियों की पुलिस से मिली-भगत होने के कारण आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। पीड़ित पक्ष लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कराये जाने हेतु आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157220161592 के माध्यम से एवं शासन-प्रशासन को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध करता आ रहा है, किन्तु सम्बन्धित विभाग की उदासीनता के कारण आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है, जिस कारण पीड़ित व्यक्तियों में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः मा0 सदन के माध्यम से उक्त मुकदमे में नामजद सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कराये जाने एवं उक्त प्रकरण की विवेचना पुलिस उपायुक्त चौक के अन्तर्गत आने वाले समस्त थाने को छोड़कर जनपद लखनऊ के किसी अन्य थाने से किये जाने हेतु कार्रवाई किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत आगरा-बाह मार्ग भदरौली-खरकपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाह, जनपद आगरा के ब्लाक बाह अन्तर्गत आगरा-बाह मार्ग भदरौली-खरकपुरा तक लगभग 3.00 किमी0 कच्चा मार्ग है। मार्ग कच्चा होने व जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में तो और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का पक्का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा-बाह मार्ग भदरौली-खरकपुरा तक लगभग 3 किमी0 पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के ग्राम सभा शाहपुर में बांसडीह सब्जी बाजार रजवावीर से ग्राम सभा डूहीजान होते हुए राजकीय आई0टी0आई0 तक सड़क खराब व जर्जर स्थिति में है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। जनहित में इस मार्ग का नव निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास खण्डों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सुरभी-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कायमगंज में 96000 विद्युत उपभोक्ता हैं जिसके सापेक्ष केवल आठ विद्युत उपकेन्द्र हैं। विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम तीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना करना अति आवश्यक है, जिसमें विकास खण्ड शमशाबाद में शुकुरलापुर, नवाबगंज विकास खण्ड में अचरा बाकरपुर तथा कायमगंज विकास खण्ड में मेंदपुर में किया जाना अति आवश्यक है, जिससे वोल्टेज ड्राप जैसी समस्यों से निजात पाया जा सके, जिससे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिना अवरोध सिंचाई व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शमशाबाद में शुकुरलापुर, नवाबगंज विकास खण्ड में अचरा बाकरपुर तथा कायमगंज विकास खण्ड में मेंदपुर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत गोमती नदी की सूखी जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत गोमती नदी पीलीभीत के माधौटाडा नामक स्थान से प्रारम्भ होकर निकलती है। उक्त नदी में बालू एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जलकुम्भी होने के कारण पानी का बहाव अवरुद्ध है तथा अविरल धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। गोमती नदी एवं इसकी सहायक भैसी नदी के दोनों किनारों पर नदी की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे भी हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जनहित में मांग करता हूँ कि क्या सरकार उपरोक्त गोमती नदी की सूखी जमीन पर अवैध कब्जे हटवा कर जनहित में सफाई करायेगी, जिससे पानी का बहाव हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के बेलीपार में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र भवन की मरम्मत एवं विस्तार हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विमलेश पासवान-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के बेलीपार में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र का भवन जनपद का सबसे पुराना केन्द्र रहा है, जो काफी जर्जर है और सुविधा हेतु अपर्याप्त है। लोकहित और किसानों का समय-समय पर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए इसका उपयोग होता है। इस भवन के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए कोई अन्य बजट नहीं है। अतः इसके विस्तार हेतु धन आवंटित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र भवन के भवन की मरम्मत एवं विस्तार हेतु धन आवंटित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद अमरोहा के अन्तर्गत धनौरा विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक धनौरा में राजकीय महाविद्यालय न होने से गरीब परिवार के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद अमरोहा के धनौरा विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक धनौरा अन्तर्गत कोई भी महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण यहां के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी दूर आना-जाना पड़ता है। बहुत से गरीब छात्र/छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से यहां पर महाविद्यालय खोले जाने की मांग को यहां के उदासीन अधिकारी शासन एवं प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। जनहित में ब्लाक धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए धनौरा विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर में तहसील के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मण्डी समिति की स्थापना कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। बरेली के मण्डी अधिकारियों द्वारा लगातार शासन को गलत सूचनाएं देने के कारण फरीदपुर में मण्डी की स्थापना का कार्य लगातार बाधित हो रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक)-

[महोदय, जनपद कुशीनगर के कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र के कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने से क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों का विकास होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय रैसों में वर्ष 2008 से कार्यरत सहायक अध्यापिका द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय रैसों, विकास खण्ड बेंहदर में वर्ष 2008 से कार्यरत सहायक अध्यापिका (पूर्व इन्चार्ज प्रधानाध्यापिका) द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं तथा बच्चों/स्टाफ के साथ दुव्यर्वहार व जाति-पाति व ऊंच-नीच का भेद-भाव किये जाने के कारण सरकार व विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उक्त शिक्षिका द्वारा की गयीं घोर वित्तीय व अन्य अनियमितताओं की जांच दो सदस्यीय जांच कमेटी (खण्ड शिक्षा अधिकारी अहिरोरी/बेंहदर) द्वारा की गयी, जिसमें उक्त शिक्षिका के विरुद्ध सभी गम्भीर आरोप सिद्ध पाये जाने पर उसे तत्काल अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने तथा नियमानुसार रिकवरी किये जाने की संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को की गयी थी। बी0एस0ए0, हरदोई द्वारा कई महीनों तक कोई कार्यवाही न किये जाने पर मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-5387, दिनांक 01-09-2021 के क्रम में मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2265/वी0आई0पी0/रा0म0स्वा0प्र0/20, दिनांक 07-09-2021 के द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् को सम्बोधित एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को पृष्ठांकित पत्रांक-डी0ई0(बी)/555-56/2021-22, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी अहिरोरी/बेंहदर द्वारा जांचोपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 23-01-2020 के अनुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, किन्तु सांठ-गांठ के चलते 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में श्री अतुल गर्ग, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र संख्या-337, दिनांक 02-07-2021 के द्वारा मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री को तथा श्री पल्टूराम, मा0 विधायक, बलरामपुर, सदर के पत्र दिनांक 16-09-2022 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री से शिकायत भी की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी भी शिक्षक का कभी भी प्रशासनिक आधार पर जिलाधिकारी अथवा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरण किया जा सकता है, किन्तु फिर भी उक्त शिक्षिका की सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् एवं बी0एस0ए0, हरदोई कार्यालय में सांठ-गांठ होने के कारण न तो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उसका अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है और न ही रिकवरी की गयी है। जबकि उक्त शिक्षिका के क्रिया-कलापों में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतएव, महोदय जनहित एवं लोकहित के इस विषय पर मैं सरकार से विद्यालय में स्वच्छ एवं तनाव रहित वातावरण बनाये रखने हेतु मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री के आदेश पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में जांच कमेटी की जांच आख्या दिनांक 23-01-2020 में की गयी संस्तुति के अनुसार उक्त सहायक अध्यापिका को तत्काल अन्य सुदूर विद्यालय में स्थानान्तरित करने तथा नियमानुसार रिकवरी किये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि श्री दिलीप कुमार मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी जो नवाबगंज ब्लाक में पूर्व में हुए बी0आर0जी0एफ0 घोटाले के मुख्य आरोपी भी रहे हैं, जिसके सन्दर्भ में मुकदमा अपराध संख्या-175/18 की धारा-406, 409, 419, 420, 467, 468, 471 में कोतवाली अजगैन में पंजीकृत होने के बावजूद श्री दिलीप कुमार मिश्रा को ब्लाक नवाबगंज में पुनः चुनिन्दा ग्राम पंचायतों के साथ कार्य पर तैनाती दी गई, जिसका परिणाम श्री दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा नवाबगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत जन्सार में वर्तमान प्रधान श्री पवन कुमार शर्मा से मिलकर कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्रांक संख्या-2554 के अनुसार 617011 की वित्तीय अनियमितता कर गबन के मामले में पुनः श्री दिलीप कुमार मिश्रा व सह अभियुक्त पवन कुमार शर्मा के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या-268/22 की धारा-409, 420 कोतवाली अजगैन में पंजीकृत कराने के तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार मिश्रा को निलम्बित कर दिया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूर्व श्री दिलीप कुमार मिश्रा, बिछिया ब्लाक की ग्राम पंचायत मुलुक, सोनिक, पवई व रूपाऊ में तैनाती थी, जिसमें श्री दिलीप कुमार मिश्रा ने बिछिया ब्लाक की ग्राम पंचायतों में मुलुक में 471678 रुपये, सोनिक 140217 व पवई 208535 में कुल राशि रुपये 820430 की सरकारी धनराशि को फर्जी प्रपत्र तैयार कर अपने तथाकथित सहायक मियांगंज ब्लाक के रहने वाले श्री देवेश कुमार के पंजाब नेशनल बैंक की खाता संख्या-5263000100061337 में डाल कर वित्तीय अनियमितता कर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया तथा बिछिया ब्लॉक की ग्राम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायत रूपाऊ में श्री दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा अपने तथाकथित सहायक श्री देवेश का नाम (फर्जी प्रपत्र तैयार कर) बदलकर मोहित के नाम से सिटीजन टेण्डर फीड करा करके श्री देवेश कुमार का ही दूसरा बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या-730510110002952 में 568614/- रुपये का गबन अभिलेखीय षडयंत्र के तहत किया गया है, जोकि घोर निन्दनीय है। लगभग 1389044/- रुपये का भ्रष्टाचार श्री दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा किया गया है।

इसी प्रकार जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज की ग्राम पंचायत मालवा की ग्राम प्रधान द्वारा केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों का भुगतान अपने पारिवारिक सदस्यों और उनकी फर्मों के नाम पर कराकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त धनराशि से कराये गये सभी कार्य अधोमानक तथा गुणवत्ता विहीन हैं। शासनादेश संख्या-730/33-3-2022-11-2022, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 द्वारा स्पष्ट रूप से पारिवारिक सदस्यों एवं उनकी फर्मों को इसके लिए प्रतिबन्धित किया गया है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान ने शासनादेश का उल्लंघन करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती है। जनहित में पारिवारिक सदस्यों की फर्मों को किये गये भुगतान तथा कराये गये अधोमानक कार्यों की जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

[11:23] उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 (दिनांक 23-05-2022 से दिनांक 31-05-2022 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

[11:23] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022

को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को वापस प्राप्त किया गया।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1958, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को वापस प्राप्त किया गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को वापस प्राप्त किया गया।

श्री अध्यक्ष-

सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि की कोई सूचना नहीं है। अब मद सं0-6 इसमें मैं नाम लेता हूँ जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे उनकी याचिका प्रस्तुत मानी जायेगी और जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होंगे उनकी याचिका ड्राप कर दी जाएगी।

मा0 सदस्य श्री सचिन यादव, श्री श्याम सुन्दर, श्री प्रसन्न कुमार, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री कविन्द्र चौधरी, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री महेश त्रिवेदी, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री मौ0 फहीम इरफान, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस, श्री हिमांशु यादव, श्री विपुल दुबे, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री जियाउर्रहमान, श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रदीप कुमार, श्री रमेश शंकर सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रवि शर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे।

श्री श्यामधनी राही, श्री रवेन्द्र पाल सिंह, श्री बृजेश कुमार, श्री बम्बा लाल, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, कुं0 सुशान्त सिंह, श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री विकास गुप्ता, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री हरि प्रकाश वर्मा, श्री पंकज सिंह, श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), श्री हरिओम, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री राज प्रसाद उपाध्याय ये जितने भी मा0 सदस्य सदन में उपस्थित हैं, उन सब की याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की हुई मानी जाती हैं।

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम जहानपुर में रखे 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर रखवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवकील प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम चिरावली में याचीगण श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री राजन सिंह के घर के ऊपर से गयी 440 वोल्ट विद्युत लाइन को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम खेरिया अहमद में रखे गये 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर रखवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के कस्बा एका में श्री श्याम सिंह पुत्र श्री सालिग राम, निवासी प्रेमपुर रोड एका को विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम जलालपुर में स्थित श्री बचान सिंह के ट्यूबवेल को आ रही विद्युत लाइन का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री श्यामधनी राही, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 03 तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री श्यामधनी राही, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत रामकोला में गोविन्द चित्रालय में घनी आबादी के ऊपर हाईटेंशन लाइन बिजली के तार एवं खम्भे हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभूषण तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे शहीद पथ निकट हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय लखनऊ में सर्विस रोड से एल0आर0 सचान व कविता मिश्रा के घर तक डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री एल0आर0 सचान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सिंगहा से रामकोला मार्ग पर झब्बू गुप्ता के राइस मिल से ब्रहीम टोला होते हुए माठिया धीर नहर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के नगर क्षेत्र रामकोला में स्थित गाटा/आराजी संख्या-284 के प्रकरण को त्वरित निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभनरायन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के वृन्दावन कालोनी के सेक्टर-6बी की गली सं0-2 में मकान संख्या-53 से 74 तक सड़क के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत करनपुर लखनऊ प्रयाग मार्ग से हरदोई-महराजगंज पक्के रोड तक कच्चा सम्पर्क मार्ग को पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत उमरपुर से गुमानखेड़ा तक कच्चा सम्पर्क मार्ग को पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनासी यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत मजिगवां पहाड़गंज से अड़ारूगंज तक कच्चा सम्पर्क मार्ग को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इसिया में गुरबक्श खेड़ा से जमादार खेड़ा होते हुए कच्चे मार्ग को पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरसिंहखेड़ा कच्चे मार्ग से कुंवर नियतखेड़ा होते हुए कोटवा भौसी कच्चे मार्ग तक को पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अकराबाद के अन्तर्गत ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

2-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

3-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड गंगीरी के अन्तर्गत ग्राम गंगीरी क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गजमोतिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज एवं औरास में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज, विकास खण्ड नवाबगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश साहू, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में रैथा रोड पर किया गया अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शीला सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तर में स्थित मड़ियांव पुलिस स्टेशन के निकट नेशनल हाई-वे-24 पर बने ओवरब्रिज की सर्विस लेन पर बनी दुकानों पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्ष बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत ग्राम ढकवा से नवीपनाह सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कांधला में ग्राम भभीसा से डांगरौल तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड शामली में दोआब शुगर मिल के दक्षिण की ओर से ग्राम लिलौन तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबा संजय कालखण्डे व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कैराना में कण्डला इण्डस्ट्रियल एरिया से ग्राम एरटी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू डागर व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कांधला में फजलपुर राजवाहा नहर की पटरी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कांधला में गंगेरू फीडर के पास से ग्राम-गाढ़ी रक्खा तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हम्माद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम मामन खुर्द में अहमद शहीद के घर से दर्शन सिंह के घर तक लगभग 130 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम अख्तयारपुर में रामलाल राठी के घर से मेन सड़क तक लगभग 200 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम फतेहगढ़ी में रज्जू लम्बरदार के घर से सचिन जयभगवान के घर तक लगभग 300 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम भड़ौली में जौलीगढ़ विसुन्धरा सम्पर्क मार्ग से गांव में अन्दर की तरफ सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण लगभग 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम मीरपुर में मेन रोड से अनन्त कुमार शर्मा के यहां से डालेश्वर के घर तक लगभग 300 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डालेश्वर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सिरसा सरहद खैरगाड़ा हरिहरपुर पंडित हाता के मध्य सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बक्श यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज के ग्राम पंचायत रामापुर (तरबगंज)/नगर पंचायत में बने पी0डब्लू0डी0 डाक बंगला/अतिथि गृह का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर ग्राम पंचायत सोनौली में उपलब्ध भूमि पर पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत दुर्जनपुर से बलेश्वरगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में बिजनेस प्लान 2019-20 के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र में मां बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना हेतु धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरा सिंह मधुर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत स्थित असही बाजार से कस्बा फतेहपुर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत स्थित बड़गहन से बरौना तक जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सकल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत स्थित पल्थी बाजार से शाहगंज तक जर्जर मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत स्थित हैदराबाद से बखरा तक जर्जर मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मोहम्मदपुर के अन्तर्गत स्थित कोटिल बाजार से खालीसपुर तक जर्जर मार्ग का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का डामरीकरण व विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में ग्राम गोपालपुर पिच मार्ग से राजाजोत गांव तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामललित वर्मा, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत सरैंया प्राथमिक विद्यालय से गढ़हा गौतम सरकारी ट्यूबवेल तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रनबहादुर यादव, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम कौड़ीकोल पोखरा कप्तानगंज मार्ग से स्वर्ग आश्रम मन्दिर से लेकर पिकौरा गांव तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द्र चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम बड़हरा गांव से सब्जी मण्डी रोड तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश गौंड, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत हफीजाबाद में बांगरमऊ-उन्नाव रोड से हफीजाबाद होते हुए रेलवे अण्डर पास तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के ग्राम खम्भौली से कपूरपुर गंजमुरादाबाद मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणविजय उर्फ मोनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की ग्राम पंचायत सकरौली मजरा नैनसुख खेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की ग्राम पंचायत वंशखेड़ा में पप्पू दिवान के खेत से वंशखेड़ा तक नवीन डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की ग्राम पंचायत मेलाराम कुंवर बाजार से मेन रोड बिल्हौर रोड मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

कुंवर सुशान्त सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका †

कुंवर सुशान्त सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर के तहसील नगीना, विकास खण्ड कोतवाली के 17 राजस्व ग्रामों के राजस्व विवाद को रुकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 तथा कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में म0 संख्या-1/174 एवं म0 संख्या 1बी/174, जानकीपुरम विस्तार के मध्य स्थित सीवर टैंक में रिसाव एवं लीकेज रोकने हेतु श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन नं0-05, वार्ड नं0-7 निराला नगर में स्थित कम्पोजिट विद्यालय की टूटी बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य द्वार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में म0 संख्या-1/174 एवं म0 संख्या 1बी/174, जानकीपुरम विस्तार के पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन नं0-03, वार्ड नं0-14 व वार्ड नं0-92 के अन्तर्गत मकान नं0-133/19ए से लेकर दनादन शिव मन्दिर मकान नं0-133/15 तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के किदवई नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन नं0-03, वार्ड नं0-328 के अन्तर्गत लक्ष्मनपुरवा बारादेवी, जूही बस डिपो के निकट सड़क इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरस्वरूप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के परसा जागिर सम्पर्क मार्ग से त्रिलोकी नाथ सिंह के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के कटरा खुर्द सम्पर्क मार्ग से टेबुल यादव के घर के बगल से काली मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के ग्राम रैकवार में श्रीनिवास के घर से शंकर जी के मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के ब्लाक सदर के अन्तर्गत ग्राम-मड़वानगर में नीलाम्बर चौधरी के घर से ललसू हरिजन के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के ब्लाक सदर के अन्तर्गत महुआपार प्रा0वि0 से होते हुए अमहरी गांव तक की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बिचौला कुन्दरकी में ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर हाजी मौहम्मद इरफान पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री माजिद हुसैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी की ग्राम सभा गौराशाहगढ़ में बृजपाल के मकान से सुभाष के मकान तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आराम सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी-सिरसी मार्ग पर शुगर मिल में खेल के मैदान के ऊपर से विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहसिन कमाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बेहटा सरथल में जूनियर हाई स्कूल से कर्बला तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हसनैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के नगर बिलारी में स्थित दादा करम अली मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज आलम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में वार्ड नं0-5 सुभाष चन्द्र नगर, कस्बा शिवराजपुर में धोबी तालाब से तारा चक के मकान से होते हुए नाले के पास तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताराचक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में स्थापित सभी 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वार्ड ब्वाय एवं सफाई कर्मियों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर की तहसील बिल्हौर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बोधराज सिंह एडवोकेट व अन्य निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 शैय्या के सरकारी अस्पताल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानस मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर में ग्राम गोविन्दपुर में नून नदी पर पुल व सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला पिपरानी में राकेश के मकान से रामनरेश के मकान तक सी0सी0 व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला राधे में भान सिंह के मकान से राकेश के मकान तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम बाधिकपुर में हरी सिंह के मकान से डामर रोड तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम वासठ में मालती फर्नीचर की दुकान से राज कपूर के घर तक सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सावन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद प्रेमपुर रैपुरा चौराहे से प्रा0पा0 फूलवाडी होते हुए सुबोध फौजी की दुकान तक सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुबोध व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक विशुनपुरा में मंसा छापर बाजार में शुभम जायसवाल के घर से रवि जायसवाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक पडरौना नगर क्षेत्र में गुदरी बाजार में चावल मण्डी से आलू मण्डी तक 500 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्टू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक विशुनपुरा में डिबनी बाजार से सिसवा गोईती लाला टोला तक 500 मीटर पिच रोड कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय राय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक पडरौना नगर क्षेत्र में मेन बाजार उत्तरी में पडरौना नगर पालिका के द्वारा बिछाये गये मानक के विपरीत सिवरेज की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक विशुनपुरा में खेसिया में महामाया पालीटेक्निक स्कूल जाने वाली सड़क तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत बाबा मंशापुरी स्थल को पर्यटन स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओसाह, विकास खण्ड शिवगढ़, तहसील महाराजगंज, जनपद रायबरेली में पूर्व दैनिक आपदा से क्षतिग्रस्त छप्पर तले रह रहे लाभार्थियों की जांच तहसील स्तर से न कराकर मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ के ग्राम सलेमपुर में एक बारात घर एवं ग्राम पंचायत मुर्शिदाबाद मजरे में एक आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के ग्राम सरांय अख्तियार रोहनियां नगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के ब्लॉक ऊंचाहार के ग्राम पंचायत अरखा से निगोहा जाने वाले मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री साईम राजा साहब व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम भनेडा जू0 हाई स्कूल के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षेष सिंह पारस व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में मौ0 असलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के खस्ता हाल रोडवेज बस स्टैण्ड को शहर से बाहर एन0एच0-74 के करीब बनवाने के सम्बन्ध में श्री एहतशाम अली, निवासी जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री हिमांशु यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री हिमांशु यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर में बदायूं से ककराला मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमीर खां व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका तथा

2-जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर में कतिपय ग्रामों में कृषि भूम खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं †

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर में अग्रसेन चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

2-जनपद फतेहपुर के गोपालनगर में श्री राम बाबू अग्रहरि के मकान के बगल से श्याम डिग्री कालेज गोपाल नगर तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद फतेहपुर के अयाहशाह के ग्राम सभा महमदपुर के ब्लॉक बहुआ में ए0एन0एम0 सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशिभूषण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

4-जनपद फतेहपुर के अयाहशाह के ग्राम सभा शाह ब्लॉक बहुआ में 50 बेड के हास्पिटल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशिभूषण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ब्लाक ज्ञानपुर में धनापुर से सदाशंकर के घर तक मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

2-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ब्लाक ज्ञानपुर के चन्दापुर में सूर्यभानपुर मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

3-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ब्लाक ज्ञानपुर में धनतुलसी मुख्य मार्ग पर गंगापट्टी यादव बस्ती से ग्राम भिखीपुर सीमा तक के मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जटाशंकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

4-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत धनतुलसी डेंगुरपुर होते हुए मेहराद तक मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विधान दुबे व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका तथा

5-जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत पाली सुरियांव से वारी तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर व व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत नगर बीसलपुर में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम नबी आजाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत परिसीमन कर नया क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशनलाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के गांव पैनिया रामकिशन में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत में बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बीसलपुर का विस्तारीकरण एवं डिस्टलरी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

5-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव फैजुल्लागंज उर्फ कढ़ैला से गांव खानपुर उर्फ वीरमपुर के मध्य जर्जर मार्ग एवं पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामऔतार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कौआसार-पकड़ियार मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में तुर्कहा में नवनिर्मित राजकीय इण्टर कॉलेज में शिक्षण कार्य-संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के ग्राम महादेवा में नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण रिहायशी मकानों के कटान होने के कारण प्रभावित जनमानस के पुनर्वास व कटान रोकने हेतु समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरसिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत खड्डा-सिसवां मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नेबुआ-जहटा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मोहल्ला पटेल नगर में बिना मानचित्र अनुमोदन के सार्वजनिक मार्ग पर कराये गये अवैध पक्के निर्माण एवं स्थापित गेट को ध्वस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम मानपुर मड़ैया से यमुना जी घाट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती निशा देवी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम चुर्खी में हरजापुर मौजा में नाला पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निशा देवी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम कोढ़ा किराही से यमुना जी घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पाठक, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम रायपुर में सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी, निवासी जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम बम्हौरी खुर्द तथा उरकरा के बीच मलंगा नाला पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल यादव, निवासी जनपद जालौन की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउल हक व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में खेलकूद के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परवेज व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिराज पुत्र श्री मौ0 यूनुस व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिराज पुत्र श्री मौ0 यूनुस व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री खलील पुत्र श्री शौकीन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर में ओवरलोडिंग के कारण स्थानीय स्तर से की जा रही विद्युत कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कलान की स्थापना के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका †

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत विद्युत केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री पंकज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री पंकज सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा के ग्राम हरौली में प्रजापति मोहल्ला से मुख्य रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल अवाना व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

2-जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा के ग्राम भूड़ा में सीवर लाइन एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

3-जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा के ग्राम मोहिद्दीनपुर कनावनी में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था (जल भराव, सड़क, पानी, बिजली, सीवर आदि) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

4-जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा के अन्तर्गत बने श्रमिक कुंजों की व्यवस्था/विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका तथा

5-जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र नोएडा के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर, सेक्टर-43 में निर्माणाधीन बारात घर का कार्य पूर्ण कराने एवं आने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव पंडित व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका।

श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के विकास खण्ड कसया के अन्तर्गत पौराणिक स्थल कुशीनगर का परिक्रमा पथ एवं सर्वांगीण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कस्तूरी चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा चिल्ली करमा में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर एवं बिजली के खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा लवायन नन्दी राइस मिल के सामने रति का पुरा बस्ती में ट्रान्सफार्मर एवं बिजली के खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा सुल्तनवा, बलीपुर में विद्युत ट्रान्सफार्मर की क्षमता 100 के0वी0ए0 किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा नेवादा समोगर में 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर एवं बिजली के खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा चुप्पेपुर, डीहा में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर एवं बिजली के खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अर्चना प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत खुटिहन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में सरयू नहर खण्ड-4 के अन्तर्गत मछली गांव तामापार, गड़रही, ऐलनपुर जोड़ने वाली मुख्य नहर के पटरी पर डामरीकरण/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया, शीतलगंज ग्रान्ट मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत में बभनान-गौरा चौकी मार्ग के विसुही नदी पर घारीघाट पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान पटेल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत में मछली गांव, गौरा चौकी-बभनान मार्ग का अवशेष भाग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वनारसी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री प्रदीप कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत गढ़ीगुमानी से ग्राम करसौरा तक राजवाहे की पटरी पर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

2-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम पंचायत एहरई के ग्राम लालपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत नौगवां के ग्राम नगलाबड़ा मनवीर सिंह के घर से व्योंही बिझारी नाले तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

4-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम सुशासन ऊंचागांव में देवेन्द्र सिंह पुत्र उदयभान सिंह के घर से बम्बा तक सी0सी0/खड़न्जा व

[†] छापी नहीं गयीं।

जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

5-जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में आगरा रोड से ईदगाह होते हुए मथुरा रोड तक सड़क मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जफरुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्री रमेश, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री रमेश, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर के शाहगंज कस्बा में भादी-नटौली मार्ग पर रामकला राइस मिल के आगे राजाराम के चक से विजय बहादुर व मान बहादुर के प्लॉट तक डामर रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि के गन्ना विकास परिषद् द्वारा कराये गये सभी कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पट्टी नरेन्द्रपुर से सरपतहां मोड़ तक जर्जर मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत समोधपुर से सरपतहां मोड़ तक जर्जर मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुइथाकला में 132 के0वी0ए0 के नये ट्रांसमिशन उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर के ब्लॉक महराजगंज अन्तर्गत सई नदी के किनारे स्थित कलछुली नाथ मन्दिर के घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जौनपुर के ब्लॉक बदलापुर के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे स्थित आदि गंगा गोमती, पछुवाहिनी मन्दिर के घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के ब्लॉक बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के ब्लॉक महराजगंज के अन्तर्गत कंधी पम्प कैनाल को जीर्णोद्धार व पक्कीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के ब्लॉक महराजगंज के अन्तर्गत विझवट नहर की पटरी से बासूपुर सम्पर्क मार्ग तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धार्थ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईः-

1-जनपद झांसी में महानगर के वार्ड नं0-30, उन्नाव गेट बाहर, अशोक नगर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी में महानगर के वार्ड नं0-09, रेलगंज पुलिया नं0-09 में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राय व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी में महानगर के वार्ड नं0-15, गढ़ियागांव में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी में महानगर के वार्ड नं0-50, विश्वपुरम कालोनी के पास खाराकुआं, सूजे खां खिड़की में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी में महानगर के वार्ड नं0-32, पिछोर एवं गुमनावारा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय दुबे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में कतिपय नालों को ढकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हनीफ रज्जाकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कें बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में कैसरबाग बस स्टैण्ड चौराहे से जगत नारायण रोड होते हुए सिटी स्टेशन से मेडिकल कॉलेज तिराहे व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुनीता पाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में फूलबाग चौराहे से नजरबाग होते हुए मछली मोहाल से लाटूश रोड तक व अन्य सड़कें बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रीता टण्डन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद कन्नौज से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)†

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं -

1-जनपद लखनऊ के पुरानी पारा चौकी के सामने ट्रैफिक लाइट सिग्नल चौराहा बनवाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में ग्राम हांसापुर से खरगापुर तक का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सम्भल के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर राज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में स्थित कटरा को नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में सेमगढ़ा में वृहद् गौ आश्रय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिपाही लाल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में गिलौला से सिसवारा घाट मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे पर गिलौली बाजार को नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नाथ व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

5-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती में बस डिपो स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कजपुरा में रामआसरे जायसवाल के आवास से कईमुल्ला के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का

† छापी नहीं गयीं।

नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा जोगापुर प्रधानमंत्री सड़क से सुरेश पाठक के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग से राजाराम की दुकान से स्व0 राजबली (ग्राम अहेथिया किशुनीपुर) तक (ल0 लगभग 02.00 किमी0) मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोछाड़े दादा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा डल्ला नजामपुर (मानशाहपुर) मनबहादुर दुबे के खेत से राम भवन के घर से होते हुए स्व0 मातादीन के आवास तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश राव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित मुरादपुर पिच मार्ग से अलावलपुर (आई0टी0आई0 विद्यालय) तक (ल0 लगभग 1.5 किमी0) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं[†]

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर में आजाद चौक से कुशकुटी के मध्य शहजाद नदी पर दीर्घ सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका तथा

2-जनपद ललितपुर के नगर ललितपुर में शहरी भाग में घण्टाघर से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश लिटोरिया व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में जोहवा सर्की से किशुनपुर तक 1.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय विरसिंहपुर व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीह, ढग्गूपुर को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

2-जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर सिंचाई खण्ड 16 का अतिथि गृह की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

3-जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर स्थित बरौसा बाजार में बस डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि शुक्ला (तिवारी) व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

4-जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर स्थित एल0टी0 कम्पनी द्वारा खम्भे लगाने में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री मोनू व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका तथा

5-जनपद सुल्तानपुर के ग्राम फतेहपुर संगत में पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी योजनान्तर्गत आस्था के अनुरूप मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष-

श्री सन्दीप सिंह, श्री संग्राम सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री दुधराम, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अनिल कुमार, श्री अभय सिंह, श्री आशु मलिक, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री लालजी वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), डॉ0 रागिनी, डॉ0 विरेन्द्र कुमार यादव मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं।

मा0 सदस्य श्री राजमणि, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राजेश चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री संजय कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री वाचस्पति, श्री बाबूलाल, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अजय सिंह, श्री गणेश चन्द्र, श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री गुरु प्रसाद मौर्या, श्री लक्ष्मी राज सिंह, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती केतकी सिंह, श्रीमती सरोज कुरील, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, डॉ0 एम0पी0 आर्य, डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, श्रीमती सलोना कुशवाहा, डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 नीरज बोरा, डॉ0 अमित सिंह चौहान, डॉ0 रश्मि आर्या उपस्थित हैं। जितने मा0 सदस्य उपस्थित हैं, उन सबकी नियमानुसार याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री राजमणि, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री राजमणि, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कोरांव के बेलन नदी में ग्राम भोगन तथा लौवा कोन के बीच में लिफ्ट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जमुना प्रसाद मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के कोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोरांव नगर पंचायत क्षेत्र में गांधी चौराहा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आगे तक जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृष्ण केशरी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के नगर पंचायत कोरांव में राजकीय महिला चिकित्सालय के भूमि की पैमाइश, बाउण्ड्री बनवाने एवं चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री नरसिंह केशरी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद प्रयागराज के कोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बढ़वारी नहर के पुल से पर्यटन स्थल भोले नाथ जी के मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र मणि प्रसाद मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम खूंटा में विकास खण्ड का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी कृष्ण द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं[†]

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ब्लॉक बड़हलगंज में राम जानकी मार्ग से मैथरा, लखनौरी और मोहन पौहरिया बैरिया खास मार्ग को ऊंचा और चौड़ा करते हुए कविता पुल नाले पर एक बड़े पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अष्टभुजा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका,

2-जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ब्लॉक बड़हलगंज में सरयू नदी में रिंग बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नगीना त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका तथा

3-जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार (तहसील गोला) के गोला, उरूवा, बड़हलगंज के साथ-साथ अन्य गांवों के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री महेश उमर व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं[†]

श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मथुरा के नौहझील या उसके आस-पास के क्षेत्र में कृषि मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

2-जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में विकास खण्ड नौहझील में बाजना-अहमदपुर सम्पर्क मार्ग से बदौठ ग्राम तक जर्जर रोड को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिरजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित

05 याचिकाएं †

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत सण्डवा चण्डिका-अमेठी मार्ग से बहरिया-तारनपुर-धरौली मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

2-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत सण्डवा चण्डिका-कटका मार्ग से बझान सम्पर्क मार्ग, बाबूलाल के घर तक सड़क मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड सदर के ग्राम रंजीतपुर चिलबिला में 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार राय व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

4-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम के ग्राम ताला में 10 के0वी0ए0 के स्थान पर 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना पाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के गाम धन्नौर में 25 के0वी0ए0 के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित

02 याचिकाएं †

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर, विकास खण्ड देवमई में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री सन्दीप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री सन्दीप सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा दिघिया (चलंगा) में बेलन नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा बरहा कला में बेलन नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम शंकर पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड लखावटी में खेड़ा-मेसोना रोड ईदगाह के सामने से अडौली रजवाहा होते हुए अकबराबाद कूड़ा जमुनाठेर तक मार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनकी प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पवसरा में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज वार्ड स्थित एवन सिटी (मोहान रोड) में सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूप शहर के ग्राम गंगावास पहाड़ा में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के गांव शेखूपुर रौरा से भैयापुर आने वाली सड़क पर डिबाई रजवाहा बम्बे की पुलिया को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार में रतसड़ मिशन से चौरी गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार में गड़वार से सुखपुरा मार्ग स्थित खरहा ताल अस्पताल से कोदई घोसौती से नरैनापाली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअवध वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार में रतसड़ गड़वार बाईपास स्थित काली मन्दिर से फुलवरिया-कटरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार में गड़वार से सुखपुरा मार्ग से धोमहा उत्तम होते हुए कोटवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताज अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विकास खण्ड गड़वार में गड़वार से सुखपुरा चौराहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअवध वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री समरपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं-

1-जनपद अमरोहा के चौधरपुर में निर्माणाधीन पानी टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मकबूल प्रधान व अन्य निवासी जनपद अमरोहा की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद अमरोहा के ब्लाक हसनपुर के ग्राम तसीहा में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर व अन्य निवासी जनपद अमरोहा की याचिका,

3-जनपद अमरोहा के ग्राम कासमपुर ड्योढ़ी में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री निशा चौधरी व अन्य निवासी जनपद अमरोहा की याचिका,

4-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के ग्राम कैलबकरी में श्मशान घाट का निर्माण व पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान व अन्य निवासी जनपद अमरोहा की याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के ग्राम घावी से नौगावां सादात की नहर तक सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काले सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम पाडला से ग्राम रायपुर-जलालपुर मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम कुतुबपुर गावड़ी जलीलपुर रोड से महाशय कल्याण सिंह आर्य के सामने से सरदार बलविन्दर के मकान तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाशय कल्याण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम संसारपुर चुचौला कलां मार्ग से ग्राम मिर्जापुर बकैना तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम पाडला इण्टर कालेज से ग्राम रवाना तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम चौधेड़ी से इंजीनियरिंग कालेज होते हुए चांदपुर-जलीलपुर मार्ग तक क्षतिग्रस्त पक्के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगवीर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में नई सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों में सीवर की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर में कानपुर महानगर स्थित झकरकट्टी मुख्य बस स्टेशन के आधुनिकीकरण एवं गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय स्थानों से घण्टा घर तक जाने हेतु बस सुविधा को लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर में वार्ड-8, मसवानपुर स्थित सदियों पुराने नकटी तालाब पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जों के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत विशुनपुरा बाजार में सड़क के दोनों पटरियों का इण्टरलॉकिंग व नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारकेश्वर मिश्रा 'दीपू' व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत निर्मित जर्जर हो चुके विशुनपुर कला कुशहरी महुवापाटन मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष साहनी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत महुआनी चौराहा आमघाट पुल से सरौरा बिहार तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत गुद्वी जोर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

5-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बेलवनिया चौराहे से मेहरौना, सोहनीपार होते हुए आमघाट (नहर के किनारे) तक पिच सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील मदेशिया व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं[†]

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड बढ़पुर के ग्राम पचपुखरा रोड से जसमई-नूरपुर रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिलाषा दुबे व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका,

2-जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड कमालगंज में स्थित ग्राम भोजपुर में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवन चन्द्र बरतरिया व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका,

3-जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्राम रामपुर डफरपुर में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरोत्तम राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका तथा

4-जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम रूनी चुरसाई के मजरा बिरियानगरा से कंझाना रोड तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एडेड विद्यालय को मूल भवन में ही संचालित करने अथवा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परिषदीय अथवा अन्य एडेड विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं †

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम थाना गजरौला मार्ग से श्री सिद्ध बाबा मन्दिर तक लम्बाई 3 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम थाना गजरौला के पास मांडव ऋषि आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतनदीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के गांव औरंगाबाद ताहरपुर से प्राचीन श्री सिद्ध बाबा मन्दिर मां गंगा घाट तक लम्बाई लगभग 3 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम एमनपुर से मकसूदाबाद तक डामरीकरण व बूढ़ी गंगा पर बड़ी पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत तैय्यबपुर सुजातगंज बम्बा की पुलिया से नगला जोर जूनियर हाई स्कूल तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप किशोर व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

3-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर-सिरौली रोड से नगला पट्टी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

4-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी से ग्राम सेवर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका तथा

5-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दादनपुर को खैरपुर तक अथैला-ढोलना मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पं0 राम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका।

श्री दुधराम, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री दुधराम, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बस्ती सदर में जमराव से कुम्हींया मचल कहांर के घर से सिकरा हकीम तक मार्ग का मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बहादुरपुर मल्हवारे घाट में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड कुदरहां गोसैसीपुर (मईपुर मांझा) में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बनकटी-बस्ती-महुली मार्ग कैथवलिया गांव तक मार्ग का मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बनकटी, सैदवार भट्ठे से मेहड़ा गांव तक मार्ग का मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री असरफ अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम कोना याकूबपुर से मंगटोर डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम पेहना से फरीदापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम ककरौआ डामर रोड से धीरपुर होते हुए माथना कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम सुरजूपुर से सिकली पट्टी डामर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम कुर्बानपुर से खुण्डरा डामर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री वाचस्पति, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

श्री वाचस्पति, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के ब्लॉक शंकरगढ़ के अन्तर्गत झंझरा चौबे, छतरगढ़, झरखोरी एवं विकास खण्ड जसरा के भड़िलवा, अमिलिया तरहार एवं कौंधियारा

[†] छापी नहीं गयीं।

के कुलहड़िया, पंवरी के ग्रामों में गौशाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल गोविन्द भारती व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड जसरा के गोझवार, गड़रा आदि कतिपय गांवों में ट्रांसफार्मर एवं नवीन लाइन लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल पाल, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड कौंधियारा के अकोढ़ा, अम्बा आदि कतिपय गांवों में हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश बिन्द, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड जसरा के बघोला, बरेठिया आदि कतिपय गांवों में ट्रांसफार्मर एवं नवीन लाइन लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद केशरवानी, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के झंझरा चौबे, छतरगढ़, झरखोरी एवं विकास खण्ड-जसरा के भड़िलवा, अमिलिया तरहार व विकास खण्ड कौंधियारा के कुलहड़िया, पंवरी के गांवों में गौशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल गोविन्द भारती व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा के ग्राम मनवारी की पोखरों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम दौरेठा की सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा के फतेहपुर सीकरी राजवाह पर ग्राम गडीमा की पुलिया से गोबरा ग्राम की सड़क तक नहर पटरी को पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बलदेव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा के ग्राम पनवारी में पनवारी से जऊपुरा सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा भरतपुर सड़क से ग्राम तुरकिया सूरौटी, मड़ौली गोटरा से फतेहपुर सीकरी भरतपुर सड़क 05 मी0 चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत गोसमी तलवार खड़ंजा पर महिपाल के खेत से नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होशियार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत रामनगर-चौगानपुर मोड़ से भगवान सिंह के ट्यूबवेल तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेम सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ब्लाक दानपुर भवन से सनातन सन्त आश्रम तक की सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम औखन्द से हीरापुर खुर्द तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत एन0एच0-509 से दानपुर विकास खण्ड मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत बी0एम0टी0 बांध से रामपुर कोडरहा होकर बिहार बार्डर तक ले जाने वाले मार्ग का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के भगवानपुर प्रा0पा0 से सावन छपरा मार्ग तक के जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के भगवानपुर-रामनगर जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम मौर्या, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सोनवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित इलाज हेतु उपकरण व दवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि मिश्रा, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत लालगंज से शिवपुर कपूर दियर (सिनपुर धारी) मार्ग का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मृत्युन्जय उपाध्याय, निवासी जनपद बलिया की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा जनपद झांसी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं[†]

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय ग्रामीण इलाकों में बारात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा, ग्राम पंचायत बछौरा में प्राथमिक विद्यालय, बछौरा से भादिन तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद झांसी के गुरसराय के गांधी नगर में पेयजल पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री लछमन नेता व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के गरौठा के इन्द्रा नगर गढ़ी के ऊपर ऊंचाई पर पेयजल पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के सेरसा, चितगुआं, बरनाया, बकुआं, खड़ौरा, एवनी आदि में ट्रांसफार्मर/डी0पी0 की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमा शंकर राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी मोहल्ला एकता विहार एवं जाकिर कालोनी में विद्युत लाइन खिंचवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर मलिक व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के रोहाना मिल से रोहाना कला व खुर्द के सम्पर्क मार्ग तक का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मास्टर सत्यवीर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड चरथावल के बडकली फाटक से बहेडी सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) †

श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज के कतिपय विकास खण्डों में विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री आशु मलिक, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री आशु मलिक, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं:-

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम कोटासे उगाही तक लम्बाई 800 मीटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राव बजरुल व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम रिढी मोहीउद्दीनपुर से पानसर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल राशिद व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ब्लॉक बलियाखेडी में प्राइमरी स्कूल माल्ली से लेकर पुण्डैन होते हुए भारापुर मार्ग तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

4-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ब्लॉक पुवांरका में देवला से लेकर सरकड़ी खुमार तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जुलफान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा में घाघरा नदी पर बनी एल्गिन ब्रिज चरसडी तटबन्ध का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण लाल, निवासी जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा में विकास खण्ड करनैलगंज के शाहपुर में 33/11 के0वी0 पावर हाउस स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के शाहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर दूबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के सुकुण्डा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद सन्त कबीरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं †

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत गीतापल्ली मजार से लेकर ओ0पी0 तिवारी के मकान कैलाशपुरी तक पड़ी सीवर लाइन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर्यन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम चवरिया में बसन्त नारायण की दुकान से अरविन्द चौधरी के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धि सागर दुबे व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका,

3-जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम कोड़इचा में निर्माणाधीन चिकित्सालय को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका तथा

4-जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम लोहरैया में सार्वजनिक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र पाठक व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम हरदोई गूजर में बस स्टैण्ड से लेकर विक्रम राजा के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम राजा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन हरदोई-गूजर मार्ग पर नारायणपुरा के पुल से देवरी तक डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज बादल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम मकरेछा में इन्द्रजीत राजपूत के मकान से राजेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश परिहार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम टिमरों में राजू के मकान से लक्ष्मीकान्त के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र विक्रम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के उरई नगर पालिका के अन्तर्गत लिटिल एन्जिल्स स्कूल के पास से इन्द्रपाल मास्टर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू परिहार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री गुरु प्रसाद मौर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री गुरु प्रसाद मौर्या, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिहर प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के कौड़िहार विकास खण्ड क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिंस गिरि व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के कौड़िहार विकास खण्ड क्षेत्र में पक्के घाट का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के श्रृंगवेरपुर विकास खण्ड क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिहर प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास, मेरठ के नगर पंचायत खिवाई के वार्ड नं0-3, 11 तक 11 हजार की विद्युत लाइन को आबादी क्षेत्र से हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सहाबुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के ग्राम पिठलोकर में भूरे की डेयरी से कय्यूम के घर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार की विद्युत लाइन को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनव्वर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के विकास खण्ड मेरठ के ग्राम रोहटा में मेन रोड पर तालाब का सौन्दर्यीकरण/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकीन व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास, मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर के ग्राम देवली खेड़ा उर्फ जैनपुर में आबादी क्षेत्र के ऊपर से 11 हजार की विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री शुएब व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

5-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास, मेरठ के विकास खण्ड जानी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रसूलपुर धौलड़ी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब कुरैशी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ग्राम सहपानी में इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम महौली में खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आसिफ व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर बकसुका में सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम पिलखनवाली में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राना व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम रिटौली में सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आजाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखीमपुर की तहसील मोहम्मदी को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक शुक्ल एडवोकेट, सिविल बार एसो0, निवासी जनपद लखीमपुर की याचिका तथा

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड मोहम्मदी में गोमती नदी पर जमुनिया घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम भरोसे वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम अवसानपुर में श्री बच्चाराम वर्मा के ईंट भट्ठे से श्री हर प्रसाद फौजी के घर तक (ल0 लगभग 450 मी0) मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा अलनपुर में मदरसा मिस्बाहुल उलूम से ग्राम कनासपुर तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 हबीबुर्रहमान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत गोसाईगंज-भीटी मार्ग से धामा पट्टी गांव तक खड़न्जा (ल0 लगभग 1.5 किमी0) मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर चर्मुखा में मदनगढ़ पिच रोड से सेमरा घाट पुल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत जु0हा0 स्कूल दशरथपुर से ग्राम फूलपुर पुरवा तक (ल0 लगभग 01 किमी0) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम पंचायत डुमरिया बाजार से राजेन्द्र यादव के डेरा तक नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रियम्बदा सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम पंचायत बिसौली में बब्बन राजभर के घर से बिसौली-केवरा नहर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनाथ गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम बड़गांव करबला स्थान पर 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवजी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम कित्तुपुर में चौहान बस्ती से ब्रम्ह स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम रामपुर नम्बरी का मौजा चित्तविश्राम कलां का चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम नागल में शीशपाल सिंह के मकान से राजकुमार सिंह के मकान तक (लम्बाई लगभग 150 मी0) रास्ते की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम हसनपुर में ब्रम्ह सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक (लम्बाई लगभग 170 मी0) रास्ते की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम धरारी में अनिल के मकान से मेन रास्ता वीर सिंह के मकान तक (लम्बाई लगभग 250 मी0) रास्ते की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहर सिंह सोलंकी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम ठकपुरा में पथवारी से राम किशन के मकान तक (लम्बाई लगभग 125 मी0) रास्ते के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत ग्राम नायसर में रजवाह पुल से नयाबांस वाली काली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

2-जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सरायवशी पक्की सड़क से आगे योगेश पाल के घर तक व अन्य मार्गों पर इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से 01 याचिका तथा कानपुर नगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में कोरों का पुल का चौड़ीकरण कराकर ऊंचाई से बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कानपुर नगर की बरीपाल अस्पताल में स्टाफ नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू शिवहरे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत भीतरगांव ब्लाक में टेक होम राशन न्यूट्रीमिक्स टी0एच0आर0 प्लाण्ट स्थापित कर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल की बाउण्ड्री एवं गेट तथा छत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अंजली तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के कोरों ग्राम सभा में कन्या विद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में कल्याणपुर उत्तरी, कल्याणपुर दक्षिणी, आवास विकास, विनायकपुर, नानकारी वार्डों में सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर के बलरामपुर से उतरौला, आसाम रोड के किनारे ग्राम पंचायत खरदौरी में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई कतिपय भू-खण्डों का दाखिल-खारिज किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवल प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में मऊआइमा अन्तर्गत बन्द सहकारी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मूरत यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में कतिपय ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतवन्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम शेखपुर मउआइमा में स्थापित नलकूप (पानी की टंकी) के बोर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली में पनघौली नदी पर ग्राम नरहपुर गौरी खेड़ा और नकटपुर के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत बिजासिन से आनन्दापुर-माधवपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत मुड़िया भीखमपुर से रसूला होते हुए नवदिया पुलिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत अब्दला से बड़ेपुरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम अटंगा योगी के पास बहगुल नदी पर एक नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के ग्राम मगरदा कला में पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

2-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी की ग्राम सभा सिरसी गहरवार में प्राथमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लाल बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

3-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी से भदोही, वाराणसी एवं प्रयागराज तथा सिन्धोरा घाट से सिखड़ चुनार, वाराणसी तक कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमा प्रसाद बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

4-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में पी0डब्लू0डी0 से बनी प्रयागराज, वाराणसी रोड बैरहवां चौराहा से ग्राम गोपालपुर व चितावनपुर, रानी बारी व राजापुर के लिए सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका तथा

5-जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी, ग्राम सभा पिपराडाड व विकास खण्ड मझव, ग्राम सभा बरैनी में श्मशान घाट व विश्राम स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका।

डॉ0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

डॉ0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछली शहर के ग्राम गोहात मीरगंज पिच रोड नहर से दक्षिण सरोज बस्ती तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में ग्राम पंचायत अगहुआ पक्की सड़क से श्री कैलाश मौर्य के घर तक सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में ग्राम पंचायत अदारी ऊंचडीह पक्की सड़क से जगन्नाथ यादव के मकान से होते हुए मन्दिर के पास देवनरायन यादव के घर तक सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के मीरपुर खास में श्यामलाल कबाड़ी के मकान से मतऊ के बगीचा तक सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री याकूब अली व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के जंघई पिच रोड से पूरब ग्राम रामगढ़ महावत बस्ती तक सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं[†]

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के बिरहना एवं बरंचा में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के निगोही से पुवायां मार्ग पर उपरिगामी सेतु का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के खडकरी से हाजीपुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के न्यू हैदरगंज वार्ड में शान्तिनगर मायापुरम, बुद्धेश्वर चौराहे से श्री पवन कपूर के घर से श्री घनश्याम के मकान तक इण्टरलॉकिंग/सी0 सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका।

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सिंधौली में भाखड़ा नदी के पुल के पास बाल्मीकि बस्ती में पत्थरों की पिचिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम गुगई में आबादी वाले क्षेत्र में सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू भारती व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम दौली जवाहरलाल तालाब से गौरा नाला तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत) †

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा चम्पारन पट्टी रामपत यादव के घर से प्रा0 विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम अबिसहन जगदीशपुर, विकास खण्ड-मरदह के नहर की पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनन्जय चौहान व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम बीरवलपुर में नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मलेठी पाहीपुर में किताबुद्दीन के घर से उमाशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड बिरनों की ग्राम सभा शहाबुद्दीनपुर में रामकेवल यादव के घर से श्रीकृष्ण मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम् शिवविहार कालोनी, सेक्टर-आई, जानकीपुरम्, लखनऊ में सैम लखनऊ पब्लिक इण्टर कालेज से दिव्यता लॉन तक नाली, सड़क एवं सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0 एस0 चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ के यशोदापुरम् शिव विहार कालोनी, सेक्टर-आई, जानकीपुरम्, लखनऊ में खुली 11 के0वी0ए0 लाइन को अण्डरग्राउण्ड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं \†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड बीकापुर के अन्तर्गत रुसिया माफी से भदरसा मार्ग पर मडहा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमिल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड बीकापुर में आई0टी0आई0 कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा सन्यासी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की ग्राम पंचायत कलाफरपुर में घाघरा नदी के कटान से सैकड़ों मकान नदी में समाहित हो जाते हैं तथा नदी का कटान रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड बीकापुर के नगर पंचायत बीकापुर मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या के ब्लाक सोहावल में पेयजल की असुविधा के कारण पानी टंकी के माध्यम से जल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

डॉ0 रश्मि आर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका[†]

डॉ0 रश्मि आर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी की मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-105 व 106 में कुछ नहीं है।

[11:35] विपक्ष द्वारा सदन में उठाये गये प्रदेश की समस्या सम्बन्धी सभी विषयों पर शासन का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी, आज विशेष रूप से आपकी अनुमति से मैं दो बातें जरूर कहना चाहता हूँ। आज नेता प्रतिपक्ष का कोई अपना निजी एजेण्डा रहा होगा जिसके तहत वह हाउस छोड़कर गये, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं था जिसकी वजह से वह वॉक आउट करते। जिन विषयों को उन्होंने यहां पर उठाया था उस पर कल, परसों और उसके एक दिन पहले आपकी अनुमति से सदन में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे सम्बन्धित सभी मंत्रियों ने जो-जो विषय उठाये थे उसके ऊपर पूरी तन्मयता के साथ जवाब भी दिया और हर बात का समाधान होता दिखायी पड़ रहा था। जहां तक महंगाई, कानून-व्यवस्था और चिकित्सा स्वास्थ्य

[†] छापी नहीं गयीं।

की बात है, माननीय योगी जी की सरकार में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आज अपने किसी कार्यक्रम की वजह से उन्होंने सदन का बहिष्कार किया। उनके पास कोई विषय नहीं था लेकिन उन्होंने जो विषय रखा, उसके इस सम्बन्ध में मैं समझा कि उसके ऊपर हमें कहना जरूर है, हमने हर क्षेत्र में सुधार किया है, इसलिए आज की कार्यवाही में हालांकि अगर वो होते तो अच्छा था। मा0 मंत्री जी का वक्तव्य अभी और आना है।

[11:37] पशुओं में होने वाली लम्पी स्किन डिजीज के सम्बन्ध में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री का सदन में वक्तव्य

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने लम्पी जैसे खतरनाक वायरस पर सदन में बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज अपने पैर पसार रहा है जिसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिली तो उन्होंने तत्काल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी। उसमें संक्रामक रोग की रोकथाम कैसे की जाय उस पर प्रभावी निर्णय लिये गये। मान्यवर, लम्पी स्किन डिजीज (एल0एस0डी0) ठीक कोरोना की तरह पशुओं के लिए खतरनाक और जानलेवा संक्रामक रोग है। मान्यवर, यह देश के 14 प्रदेशों में फैला है। हमारे प्रदेश में इस वायरस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखण्ड की सीमा से प्रवेश किया है। हमने प्रदेश की सीमावर्ती सीमा पर बसे प्रदेशों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि की सीमाएं सील कर दीं और उत्तर प्रदेश में पशुओं के यातायात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। कोई भी पशु परिवहन द्वारा इन प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। हॉट, बाजार, नुमाईश, क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गयी है। सतर्कता हेतु सीमा पर बसे झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मण्डलों के 28 जिलों पर वायरस का प्रभाव है इसलिए इनमें पूरी तरीके से रोक लगा दी गयी है।

मान्यवर, सरकार की चिन्ता है कि यह रोग पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में न आ पवो इसलिए पशुओं पर हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन लगा दिया है। लम्पी वायरस रोग की पहचान है पशुओं की आंख और नाक से पानी बहने लगेगा, तेज बुखार आयेगा, भूख कम हो जायेगी, सिक्के के बराबर चकत्ते और फफोले पड़ेंगे जो फूट जायेंगे। इस पर मक्खी और मच्छर बैठेंगे जो दूसरे पशुओं को प्रभावित करेंगे। यह जानलेवा बीमारी है लेकिन मान्यवर, इससे मनुष्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलेगा इसके लिए सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 26,197 गौवंश इससे संक्रमित हुए हैं और 26,197 में से 16,872 पशु रोग मुक्त हुए हैं जिनका प्रतिशत 64 है और प्रदेश में 26,04,500 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है।

मान्यवर, 1126 टीमें टीकाकरण का काम कर रही हैं। प्रभावित पशुओं को गौआश्रय स्थलों से अलग रखने हेतु 76 आइसोलेशन सेण्टर स्थापित किये गये हैं। मान्यवर, लम्पी संक्रमित पशुओं की चिकित्सा हेतु समस्त जनपदों में औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालकों को नीम की पत्तियों को जलाकर उससे उत्पन्न धुएं से मच्छर, मक्खियों आदि को दूर रखने हेतु गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। पशुपालकों को पारम्परिक चिकित्सा व्यवस्था जैसे-नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर और उस पर पानी को हल्दी के साथ लेप बनाकर पशु के शरीर पर लगाने का परामर्श दिया गया है, जो कि बहुत प्रभावी है। प्रदेश स्तर पर लम्पी चर्मरोग के सघन अनुश्रवण हेतु कोरोना जैसी ही टीम-9 का गठन किया गया है। रिंग एवं बेल्ट के माध्यम से सघन टीकाकरण हेतु नेपाल से मध्य प्रदेश तक 320 किमी0 लम्बी और 10 किमी0 चौड़ी रिंग-बेल्ट बना दी गई है ताकि यह रोग पश्चिम से पूरब की ओर उत्तर प्रदेश में प्रवेश न कर सके। मान्यवर, हमने इसके लिए और भी कुछ प्रयास किये हैं। विभाग बड़े प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। हर जिले के मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिये गये हैं और लखनऊ मुख्यालय पर भी एक कन्ट्रोल रूम बना दिया गया है, जो प्रदेश के पशुपालकों से सूचनायें प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही कर रहा है। उसका टोल-फ्री नम्बर 18001805141 व लैण्डलाइन नम्बर 0522-2741992 और मोबाइल नम्बर 8807766567 है। इन पर सूचनायें दी जा सकती हैं। मान्यवर, यह सूचनायें हमने सदन को इसलिए दी क्योंकि पशुधन बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। जहां भी इस रोग की इस तरीके की कोई सूचनायें मिलें तो इस टोल-फ्री नम्बर पर सूचित करेंगे तो इस रोग का निराकरण तत्काल किया जायेगा और जिले में भी कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिये गये हैं। यह गौवंशीय पशुओं पर ज्यादा प्रभावी है और हम इनको बचाने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से योगी सरकार संक्रमित पशुओं को मरने नहीं देगी और वह उन्हें बचा रही है। हर जिले में हमारी टीमें काम कर रही हैं। मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। मद संख्या-107 में और कोई मंत्रीगण अगर अपना वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

[11:43] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिन सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनने के लिए स्वीकार किया गया था, उसमें पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री अतुल प्रधान, श्री राहुल राजपूत, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री मनोज कुमार पारस और श्री उमाशंकर सिंह की है-प्रदेश

में सूखे से हुई किसानों की क्षति एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हानि का आंकलन करके आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

इनमें से कोई माननीय सदस्य हो तो वह अपनी बात रख सकता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मुझे सुन लीजिए।

[11:44] संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिलों को पहले लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, रोज सवा बारह बजे तक सूचना आती है, मेरा अनुरोध यह था कि बिलों को आप पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी का अनुरोध सही है। हम बिलों के बाद कार्य-स्थगन ले लेंगे।

[11:45] उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस पर मैं कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल, बन्द, दंगा, लोक उपद्रव, विरोध-प्रदर्शन में सार्वजनिक सम्पत्ति पब्लिक प्रापर्टी, या प्राइवेट प्रापर्टी का जो नुकसान होता था, उसके लिए वर्ष 2020 में कानून बनाया था ताकि इस प्रकार की गतिविधियां रुक सकें और जो लोग इसके बाद भी कोई दंगा करें, कोई उपद्रव करें, कोई सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान पहुंचायें, या निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायें तो उसके लिए उनको उसका प्रतिकर भी देना पड़ेगा। वर्ष 2020 में विधान सभा में क्षति वसूली के सम्बन्ध में कानून पास किया गया था। मान्यवर, उसी के सम्बन्ध में 4, 5 संशोधन लेकर आये हैं और उसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई पर्सनल लाइफ का नुकसान होता है उसमें किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसके सम्बन्ध में भी प्रतिकर के रूप में वसूली भी हो सके, अगर किसी आदमी की पर्सनल डिसेबिलिटी होती है तो उसके सम्बन्ध में भी हम संशोधन लेकर आये हैं। इसमें एक बात और कहनी है अगर किसी की जान जाती है किसी दंगा में, किसी जुलूस में तो 5 लाख रुपया मिनिमम उसके लिए जो ट्रिब्यूनल है उसको देने का अधिकार है ज्यादा ट्रिब्यूनल के ऊपर है कि ट्रिब्यूनल कितना दे सकता है।

मान्यवर, इसमें एक प्रोविजन और किया गया है कि अगर वह कंट्रीब्यूटली नेगलिजेंस का जिसके ऊपर दावा किया जाये वह यह आधार नहीं ले सकता कि उसकी भी जिम्मेदारी थी,

उसको भी सावधानी बरतनी चाहिए थी यानि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो सताया हुआ व्यक्ति है, या किसी तरीके से डिसेबल हो गया, या जिसकी जान चली गई उसका कोई उत्तराधिकारी उसको क्लेम कर सकता है इस प्रतिकर के लिए और जो खुद डिसेबल हो गया तो उसके लिए 1 लाख रुपये का प्रोविजन किया गया है। 1 लाख रुपया तो उसको मिलना ही मिलना है ज्यादा उस ट्रिब्यूनल के ऊपर होगा कि ट्रिब्यूनल किस प्रकार से उस पर अपना फैसला देता है। दावा करने वाले की जो समय सीमा थी उसको 3 महीने से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इसमें एक पावर और दी गई है कि जो दावा प्राधिकरण है वह सुओ-मोटो काग्नीजेंस ले सकता है और डिले को भी कंट्रोल कर सकता है यह कुछ औपचारिक संशोधन थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई विवादित चीज नहीं है इसलिए जिन लोगों ने भी इसमें अपना संशोधन दिया हो तो हमारा यह अनुरोध है कि कृपा करके वह वापस ले लें तो यह बिल पास हो जायेगा। इसमें एक बात और कहने की है। इस सम्बन्ध में जितने भी केसेस ट्रिब्यूनल के समक्ष पेंडिंग हैं उसको उसी प्रकार से आगे स्वीकार करके इन संशोधनों के माध्यम से उसको आगे चलाया जाये यह मेरी आपसे अपील है और इसमें कोई ऐसी विवादित बात नहीं है। पहले हम इस प्रकार का एक्ट भी बना चुके हैं और मैं समझता हूँ कि यह लोगों की सुविधा के लिए है और खास तौर से इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए है और जो लोग क्षतिगस्त हों या डिसेबल हों, या जिन व्यक्तियों की जान चली जाये उसको प्रतिकर का भी अधिकार है और उसको प्रतिकर मिलना चाहिए इस उद्देश्य से यह लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उमाशंकर सिंह जी और आराधना जी आप इसको वापस ले रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह विधेयक माननीय मंत्री जी के ही कार्यकाल 2020 में लाया गया था। उस समय भी इधर से इस बात के लिए आग्रह किया गया था कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इसमें कुछ समय बढ़ाकर कुछ और लोगों से ओपिनियन ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उस समय यह भी बात हुई थी कि जिस तरह से भारत सरकार ने जल्दीबाजी में जी0एस0टी0 लागू किया था, हालांकि उसका यहां संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उस समय भी यह

कहा गया था कि यह जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है लेकिन उधर से खारिज किया गया। इससे इस बात पर बल मिलता है कि हमने न जाने कितने सौ उसमें संशोधन कर दिये। मा0 मंत्री जी, 2020 में इस विधेयक को लाये और 2022 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। हो सकता है कि कुछ और अच्छे विचार इसमें आ जायें। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक महीने का समय दे करके इसको अच्छे से एग्जामिन करा लें, बेहतर करा लें, फिर पास करायें। यह अजीब सी स्थिति हो जाती है कि हम ही कुछ दिन पहले जिसे लागू करायें और कुछ समय बाद हम ही उसमें संशोधन करें। सरकारें चेंज होती हैं तो बात समझ में आती है क्योंकि उनका अपना पोलिटकल एजेण्डा होता है उनकी अपनी सोच होती है। मेरा अनुरोध है कि अगर बहुत जल्दीबाजी न हो तो मुझे लगता है कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और विचारोपरान्त एक महीने बाद इसे पास करें तो हम लोग इसे सर्वसम्मति से पास कर देंगे, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। संशोधन में आपने बताया कि जो जो डिसेबल हो जायें, जिनकी जान चली जाय, मुझे लगता है कि ट्रिब्युनल को भी इसमें बाउंड करना चाहिए क्योंकि जब दंगे होते हैं, आन्दोलन होते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग घरों से सड़कों पर देखने निकल जाते हैं, वह निर्दोष होते हैं। अगर उनकी जानें चली जाती हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी और कठोर सजा होनी चाहिए क्योंकि घर के बाहर हो-हल्ला हुआ, वह घर से बाहर निकले तब तक उनकी हत्या हो गई। इसमें माननीय मंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इसे प्रवर समिति को भेज देना चाहिए, वहां इस पर पर्याप्त विचार हो जायेगा और कुछ और सुझाव भी आ जायेंगे। उसके बाद समिति जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार यह सदन में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या मोना जी, आप इस पर कुछ बोलेंगी ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैं, श्री उमाशंकर सिंह जी द्वारा कही गई बातों से अपने आपको सम्बद्ध करती हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 2011 में एक शासनादेश बहुजन समाज पार्टी की सरकार लायी थी, तब मान्यवर, ये यहां इधर बैठते थे, अब 11 से लेकर 11 वर्ष हो गये, 12 वर्ष में तो ना मालूम किसके-किसके भाग्य बहुर जाते हैं। 11 वर्ष में अभी तक एक महीना ही पूरा नहीं हो पाया, मान्यवर, यह आपका ही लाया हुआ है, यह शासनादेश वह है जो आप लाये थे, जिसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार लायी थी। मैंने कल भी कहा था कि योग्य वारिस वह होता है जो अपने पूर्वजों की जाति, जायदाद, नाम और ख्याति को आगे बढ़ाये और आप उन्हीं को धता बता रहे हो और कह रहे हो कि एक महीने का समय दे दो। दूसरी बात जो आपने उठायी कि अगर कोई व्यक्ति इन्नोसेंट किसी जुलूस या किसी दंगे को देखने पहुंच जाये इसीलिए इसमें यह

प्रोविजन किया गया है कि जो व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसको यह आधार लेने का मौका नहीं होगा कि उसकी भी कंट्रीब्यूटी नेग्लीजेंस है जो व्यक्ति इसमें आया वह इस आधार के ऊपर उसको खारिज नहीं करा सकता है। यानी अगर उसको धोखे से, या उसकी नेग्लीजेंस भी हो, जो व्यक्ति हताहत हुआ है, जो व्यक्ति डिसेबल हुआ है, या जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है, तो जिसके ऊपर दंगे का मुकदमा चलाया जा रहा है या दोषी पाने के लिए जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है, उसको ये अधिकार नहीं होगा कि वह कंट्रीब्यूटी नेग्लीजेंस के आधार पर बच जाये। अगर उसकी असावधानी नहीं होती, तो वह नहीं मरता, उसकी असावधानी नहीं होती, तो वह डिसेबल नहीं होता। इसमें इस बात की मोमानियत है, उसको रोका गया है।

इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बिल में ऐसी कोई लीगल चीज नहीं है। हमने उसको और सरल बनाने के लिए, उसका दायरा चौड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये बिल लाये हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि मा0 उमाशंकर सिंह जी से एक बार फिर से कहा जाये कि इसको वापस ले लें, तो सर्वसम्मत से हो जायेगा, नहीं तो मान्यवर, इसके ऊपर जो प्रक्रिया है, उसके तहत इसे लाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर सिंह जी, आप इसको वापस ले लेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के वर्ष 2011 वाले विधेयक को मा0 मंत्री जी ने वर्ष 2020 में लाकर उसमें काफी कुछ संशोधन किया, उसको और परिपक्व बनाया। क्योंकि वारिस के तौर पर इन्होंने वर्ष 2011 को वर्ष 2020 में आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी ही बात को पुनः वर्ष 2022 में चेंज करने जा रहे हैं। मैं अपने आपको मा0 मंत्री जी से अलग नहीं रख रहा हूँ।

मेरा मा0 मंत्री जी से केवल इतना सब्मिशन है कि इसे एक महीने के लिए प्रवर समिति को दे दिया जाये, अन्यथा इस समिति का महत्व ही समाप्त हो जायेगा। अगर हम इन विधेयकों को, इन बिलों को प्रवर समिति में नहीं भेजेंगे, तो मा0 अध्यक्ष जी का प्रवर समिति बनाने का जो उद्देश्य है, वह समाप्त हो जायेगा। इसलिए हमें प्रवर समिति को भी जिन्दा रखना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत लम्बा अनुभव है। आप देख रहे होंगे कि प्रवर समिति को कोई केस ट्रांसफर नहीं हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब आप इधर बैठे थे, तो एक बार भी प्रवर समिति नहीं बनी, जब वो उधर बैठे थे, तो भी एक बार प्रवर समिति नहीं बनी। हमने तो पिछले 34 साल से इस विधान सभा में प्रवर समिति बनते हुए नहीं देखी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा अनुरोध है कि इस मिथ्या को इस बार तोड़ दिया जाये, जिससे ये भी रिकार्ड में लिखा जाये कि जिस तरह से आपकी उपस्थिति में रोज यह विधान सभा नया-नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उस कीर्तिमान में एक ये भी आ जाये कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का जो 34 साल का कार्यकाल रहा है, उस बीच में आज तक कोई भी बिल प्रवर समिति को नहीं सुपुर्द किया गया, लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष के कहने पर इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया। ये भी एक कीर्तिमान स्थापित हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर सिंह जी, उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे पहले बहुत इश्यूज होते थे कि पहले नहीं हुआ, इसलिए हुआ। जैसे नियम-311 में चर्चा हुई, तो मैंने यह नहीं कहा कि पहले कभी नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लेंगे। ग्राह्यता में आयेगा, तो लेंगे, नहीं आयेगा, तो नहीं लेंगे। जब कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो देखी जायेंगी, लेकिन आज तो नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2020 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) मे, धारा 9 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका, जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रुपये की फीस संलग्न होगी, तीन वर्ष के भीतर दाखिल की जायेगी।"

धारा 11 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"11 (1) जहाँ कहीं हड़ताल, बंद, दंगों, लोक उपद्रव या प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहाँ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के अधिमानतः तीन वर्ष के भीतर प्रतिवाद का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा :–

(क) लोक सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, बंद, हड़ताल, दंगा, लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान और उसके फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या कार्यालयाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे;

(ख) निजी सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, निजी सम्पत्ति का स्वामी, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी, जिसके पास अनन्य और आत्यांतिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, में निहित होगा;

(ग) वैयक्तिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व,–

(एक) ऐसे व्यक्ति में निहित होगा, जो क्षतिग्रस्त हुआ हो, अथवा जहाँ मृत्यु, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि के कारण हुई हो; अथवा

(दो) ऐसे अभिकर्ता में निहित होगा, जो यथास्थिति क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) दावा अधिकरण किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या स्वयं अपनी जानकारी पर स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है कि इस अधिनियम के अर्थांतर्गत क्षति हुई है।

(3) दावा अधिकरण, दावा याचिका दाखिल करने में विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक तद्निमित्त युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।"

धारा 12 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी" के पश्चात् शब्द "क्षति के लिए क्षति दावा याचिका में दावेदार" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(4) किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम पाँच लाख रुपये की धनराशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम एक लाख रुपये की धनराशि होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाय तब ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के सम्बन्ध में किसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा की जाय, को दावा अधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से अधिनिर्णीत, जैसा कि दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, ऐसे व्यक्ति, जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, के किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जायेगी।"

धारा 21 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा,—

(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति;

(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति;

(तीन) वैयक्तिक क्षति;

(चार) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियाँ करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।"

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी घटना के कारण कोई ऐसी क्षति या क्षतियाँ हुई हों, जिसमें,—

(क) किसी नेत्र की दृष्टि का या किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन होना; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी होना; या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण होना,

सम्मिलित हो, तो ऐसी निःशक्तता, स्थायी निःशक्तता मानी जायेगी।"

नई धारा 28क का बढाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"28क—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति अथवा उससे हुई वैयक्तिक क्षति की वसूली के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के पूर्व शासनादेश संख्या 4131/छः-पु0-9—14-10-500(289)-09, दिनांक 8 जनवरी, 2011 और शासनादेश संख्या 1057/छः-पु0-3—2011-63पी-10, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के अनुसरण में कृत कार्यवाहियाँ, जैसा है, जहाँ है, के आधार पर दावा अधिकरण को अन्तरित हुई मानी जायेंगी और ऐसे मामलों में इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दावा याचिका दाखिल करने की आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी।"

दावा अधिकरण के मामलों का अन्तरण

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[11:56] दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

सी0आर0पी0सी0 में अभी तक यह व्यवस्था थी कि 438 में सेक्शन 6 में हमने एंटीसिपेट्री बेल कुछ मामलों में देने का प्रावधान किया था। उसमें कुछ जो गम्भीर अपराध हैं, उनको उससे बाहर निकाला जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर पॉक्सो के जितने भी सम्बन्धित केस होंगे, उसको उससे बाहर निकाला जा रहा है। उसमें एंटीसिपेट्री बेल नहीं ले सकते। यह 438 उप धारा (6) में हम यह संशोधन करने जा रहे हैं। इसके 6क में क्लाज 4 जोड़ा जा रहा है फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2012, अधिनियम संख्या-32 सन् 2012 से उदभूत होने वाले अपराध और उसके अतिरिक्त चूंकि इसमें ए में यह 4 क्लाज हैं जो एड किया जा रहा है और इसमें एड किया जा रहा है कि भारतीय दण्ड संहिता यानी आई0पी0सी0 की धारा 376, 376क, 376क,ख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घ,क, 376र में जितना भी चाहे इसमें वह अवैध मैथुन हो इससे सम्बन्धित जो अपराध होंगे उस पर भी यह लागू नहीं होगा। यानी कि एंटीसिपेट्री बेल महिलाओं के सम्बन्ध में, बलात्कार के सम्बन्ध में और पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में यह नहीं दी जाएगी। इसका सारांश यह है। यही दो संशोधन सी0आर0पी0सी0 में हम लाये हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने और इसमें संवेदनशीलता भी दिखती है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें एंटीसिपेट्री बेल नहीं मिलेगी। इसमें मेरा जो सबसे पहले सुझाव है और जो मुझे लगता है कि वह इसमें सबसे आवश्यक है। हम एंटीसिपेट्री बेल तब देंगे या बेल तब मिलेगी जब हम अरेस्ट करेंगे, उन अपराधियों को उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। सबसे बड़ी जो गम्भीर समस्या है, आज की तारीख में है कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं और जो बढ़ते चले जा रहे हैं, वह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपराधियों को समय पर पुलिस अरेस्ट करके अपनी कार्यवाही नहीं करती। इसमें मेरा सबसे पहला सुझाव है कि इसके साथ-साथ इसमें यह समय निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि यह जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, बलात्कार जैसे अपराधों से सम्बन्धित है, बलात्कार के बाद हत्या और पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित है। ऐसे जघन्य अपराधों में सरकार को यह बाध्य करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को 24 घण्टे के अन्दर या 48 घण्टे के अन्दर इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं उसमें अरेस्टिंग होना आवश्यक है, क्योंकि जिस लिए आप एंटीसिपेट्री बेल नहीं दे रहे हैं उसमें जो कारण दिये हैं कि उसमें जो गवाह हैं उनके ऊपर दबाव ना डालें, साक्ष्य ना मिटा दें, इन्हीं वजह से आपने एंटीसिपेट्री बेल देने का प्रावधान समाप्त किया। अगर उस पर समय रहते आप कार्यवाही नहीं करेंगे, उन अपराधियों को तत्काल अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। अपराधी लम्बे समय तक घूमते रहेंगे और प्रभावित करते रहेंगे केस को और जो बेटी पीड़ित है, जो महिला पीड़ित है कभी भी उसको ना तो समय पर न्याय मिल पायेगा और वह दबाव में आकर केसेज वापस भी ले लेती है, ऐसे मैंने कई केसेज देखे हैं। तो मेरा इसमें सबसे पहला अनुरोध यह है कि इसमें समय-सीमा भी होनी चाहिए कि इस तरह के जघन्य अपराधों में एक निश्चित समयावधि में पुलिस अरेस्ट करेगी।

दूसरा, इसमें और भी संशोधन लाये जा सकते थे जो महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में कमी लायें। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें इतनी जल्दबाजी ना करें। एक बहुत अच्छा संशोधन सरकार लायी है और जो सुझाव हैं उनको जोड़ दें, प्रवर समिति के जो सुझाव हों, उसको जोड़ करके एक ऐसा कानून लायें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिला अपराधों में जो नम्बर एक पर है उसमें कमी आये और गर्व से कह सकें कि हम ऐसा कानून ले करके आये हैं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध कर रहे हैं इस प्रदेश में उनको सख्त से सख्त सजा मिल रही है और समय पर मिल रही है। Because it is well said – "Justice delayd is justice denied." समय रहते अगर हम इस कानून में यह प्रॉविजन जोड़ देंगे तो शायद

महिलाओं को समय रहते न्याय भी मिल सकेगा और अपराध में कमी भी आयेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे सुझाव भी इसमें जोड़ दें और इसमें आप एक कमेटी भी बनायें। महिलाओं का कल आपने इतना बड़ा अधिवेशन किया तो उनसे भी सुझाव लें कि महिलाओं और बेटियों के प्रति हो रहे अपराधों को किस तरह से रोक सकते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर विचार करे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल हमने एक केस कोट किया था कि पहली व दूसरी तारीख को रिपोर्ट लिखी गयी और 14 तारीख को उसमें चार्जशीट फाइल हो गयी। मैं समझता हूँ कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो भी मान रहा है कि उत्तर प्रदेश सजा दिलाने के मामले में एक नम्बर पर है और हमने 7713 मामलों में सजा दिलायी है अैर यह 59.1 प्रतिशत है। सारे राज्यों के आंकड़े मैं दोहराना नहीं चाहता, सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश एक नम्बर पर है। जो आपने कहा तो सरकार इस तरीके के मामलों में बिना रुके, बिना किसी का इन्तजार किये स्वयं इतनी ज्यादा सख्त है कि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जब से योगी जी की सरकार आयी है, उसमें बहुत तत्परता से कार्रवाई हुई है। इसीलिए पब्लिक परसेप्शन भी यह है कि सबसे ज्यादा कठोर निर्णय करने वाली और सबसे ज्यादा लोगों को राहत देने वाली और सबसे ज्यादा rule of law को मानने वाली यह योगी जी की सरकार है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए कि कोई मुल्जिम चाहे वह कितना ही बड़ा हो, उसका किसी प्रकार का असर पड़ेगा। अगर प्रथम-दृष्टया यह माना जाता है कि उसके खिलाफ कोई मामला है तो उसके खिलाफ कानून-सम्मत कार्रवाई जरूर होगी। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसमें प्रवर समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी भावना से यह लाया गया है। पॉक्सो के मामले और बलात्कार के मामले में हम किसी प्रकार से एंटीसिपेट्री बेल न दें इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

कल हमने यह प्रकरण उठाया था कि 02 सितम्बर को देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एक पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश में लम्बित मामले 70 प्रतिशत हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहां यह विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, आप बहुत समझदार व वरिष्ठ सदस्य हैं और रिफरेंस टू कांस्टेक्स्ट पर बोलिये। अब आप बैठिये। क्या आप अपना संशोधन वापस ले रही हैं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रही हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 438 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(6) इस धारा के उपबंध–

(क) (i) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1967);

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985);

(iii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923);

(iv) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986);

(v) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2012); से उद्भूत होने वाले अपराधों,

(ख) ऐसे अपराधों, जिनमें मृत्युदण्डादेश अधिनिर्णीत किया जा सकता है; और

(ग) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 376, 376–क, 376–कख, 376–ख, 376–ग, 376–घ, 376–घक, 376–घख, 376–ङ में संख्यांकित बलात्संग और अवैध मैथुन के अपराधों,

पर लागू नहीं होंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

[12:11 बजे] जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत बन्द पड़े पी0पी0सी0 महिला चिकित्सालय के स्थान पर एक नया 100 बेड का चिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री राम निवास वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री राम निवास वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत बन्द पड़े पी0पी0सी0 महिला चिकित्सालय के स्थान पर एक नया 100 बेड का चिकित्सालय बनाया जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि इसमें फाइनेंशियल मैटर इनवॉल्व है इसलिए यह वित्तीय संसाधनों पर ही निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब वित्तीय संसाधन होंगे, तब इस पर विचार करियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चाहें तो इसे डिफर कर दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत बन्द पड़े पी0पी0सी0 महिला चिकित्सालय के स्थान पर एक नया 100 बेड का चिकित्सालय बना दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

[12:11] विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र को पुनः स्थापित कर बीते 25 वर्षों से बन्द पड़े ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड ए0एल0टी0 को पुनः चालू करवा कर क्षेत्र की जनता को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र को पुनः स्थापित कर बीते 25 वर्षों से बन्द पड़े ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड ए0एल0टी0 को पुनः चालू करवा कर क्षेत्र की जनता को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। यह माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी है। अदालत के द्वारा प्रस्ताव लगभग आ चुका है कि पैसा जमा करके इसे औद्योगिक विस्तार के रूप में विकसित करके वहां पर नये-नये उद्योग स्थापित हों।

मान्यवर, हमारा यह निजी मानना है क्योंकि हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवला क्षेत्र आता है मैं सदन के माध्यम से चाहता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए और भी इकाईयां इस क्षेत्र में स्थापित हों, क्योंकि इसका परिसर बहुत बड़ा है जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को वहीं पर रोजगार मिले और प्रतापगढ़ प्रदेश एवं देश में अपना नाम कर सके।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह सही है कि 25 से 30 साल पहले बन्द हो चुकी है अब इसमें लिक्वीडेशन भी हो चुका है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में यू0पी0 सीडा कानपुर द्वारा उक्त 97.92 एकड़ भूमि प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु 67.92 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड की भूमि को औद्योगिक उपयोग में लाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है आप अपना संकल्प वापस ले लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो आप की मंशा है वह पूरी हो रही है उसमें और उद्योग स्थापित होंगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिये यह संकल्प वापस हुआ और व्यपगत हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा क्षेत्र विकसित हो, यही हमारी कामना है।

[12:11 बजे] जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में किसानों के हित हेतु उप मण्डी का निर्माण विषयक श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि 'इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में किसानों के हित हेतु उप मण्डी का निर्माण कराया जाये'।

क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्णतया कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र से मण्डी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है और हम लोगों को अपना गल्ला ले जाने के लिए मण्डी में जाना पड़ता है और जो ग्रामीण अंचलों में सेण्टर लगते हैं उनमें कई बार सही से तौल नहीं हो पाती है। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक मण्डी का निर्माण कराया जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, एक मण्डी बनाने में काफी पैसा खर्च होता है वित्तीय संसाधन हमारे पास इस समय सीमित हैं। नई योजना के लिए अभी हम हां भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहेंगे कि जमीन की व्यवस्था करवाओ।

श्री वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जमीन की व्यवस्था वहां पर चिन्हित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जमीन की व्यवस्था के लिए रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा अनुरोध यह है कि इसको डिफर एवं वापस कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को भी धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि नगर में हो आस-पास कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है।

श्री वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, खसरा ग्राम पंचायत में जमीन चिन्हित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस ले लिया।

[12:11 बजे] जनपद फिरोजाबाद के हृदय रोगियों के इलाज, आपरेशन आदि की सुविधा के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एक कैथलैब की स्थापना विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि 'इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद के हृदय रोगियों के इलाज, आपरेशन आदि की सुविधा के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजबाद में एक कैथलैब की स्थापना करायी जाये'।

मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम अपने प्रदेश के मुखिया को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमने कभी सोचा नहीं था कि चिकित्सा की सुविधाओं में इतना बड़ा परिवर्तन आयेगा। एक मांग के साथ-साथ मैं यह बात बड़े खुले मन से रखना चाहता हूँ कि आज हमारे जनपद में 15 डायलिसिस की मशीने हैं जो पूरी तरह निःशुल्क रोगियों की सुविधा के लिए अपनी सेवा दे रही हैं हमारे यहां मेडिकल कॉलेज में एक सी0टी0 स्कैन भी है जो पूरी तरह से निःशुल्क सेवाएं दे रहा है ऐसी सब सुविधाओं के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस विषय के ऊपर बात रखना चाहता हूँ हम सब इससे परिचित हैं। हृदय रोग किसी समय में ऐसा होता था कि बहुत बड़े परिवारों में थोड़ा-बहुत सुनने में आता था, लेकिन आज बदलते वातावरण, खान-पान और अन्य कारणों से हृदय रोग की घटनाएं, हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या प्रत्येक वर्ग में आज बहुत बड़ी संख्या में हैं और अगर उनको सरकारी इलाज की सही सुविधा नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो इतने महंगे होते हैं कि उनकी कमर टूट जाती है, उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई उसमें लुट जाती है। इसी भावना से फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में और आपके माध्यम से मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ कि मा0 योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरे प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जहां-जहां कैथलैब की या इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा नहीं है, उस सुविधा को उपलब्ध कराने की कृपा

करे। इसके साथ-साथ मैं कुछ और भी बात कहना चाहता हूँ कि अगर धन की ही बात है तो हमारी सरकार के मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पहले चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपने अनेक प्रकल्प पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर भी बहुत सफलतापूर्वक स्थापित कराये हैं तो कैथलैब को पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर भी स्थापित कराया जा सकता है और एक बात और मैं मा0 वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मा0 योगी जी के नेतृत्व में सहानुभूतिपूर्वक बिना जाति-धर्म के, बिना पक्ष-विपक्ष के बहुत बड़ी संख्या में असाध्य रोग निधि में भी ऐसे रोगियों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन जो धनराशि हमें उपलब्ध करायी जाती है और जो प्राइवेट हास्पिटल में व्यक्ति जाता है तो हमारी सरकार का पैसा उसको मिल तो जाता है, हमारी सरकार का पैसा भी खर्च होता है, लेकिन उसको वह लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां बहुत महंगा इलाज है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनपद फिरोजाबाद में एक कैथलैब की स्थापना कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कैथलैब सुपर स्पेशियालिटी का एक हिस्सा है और सुपर स्पेशियालिटी के लिए कम से कम 08 वर्ष चाहिये। जब तक हम एम0बी0बी0एस0 करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे फिर कहीं जाकर एम0डी0 और एम0सी0एच0 का नम्बर आयेगा तो इसलिये अभी तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम मा0 सदस्य श्री असीजा जी से कहेंगे कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें और हमने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है। आप इसको कृपा करके वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 असीजा जी, मा0 मंत्री जी ने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प को वापस तो लेता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि एम0सी0एच0 या डी0एम0 (कॉर्डियोलॉजी) की शिक्षा एक अलग विषय है। हृदय रोगयों के लिए सहजता से सुलभ और सस्ता इलाज हो, उसके लिए कैथलैब की मेरी बात है। इसलिये एक बार अगर उचित लगे तो पुनः विचार कर लें, चर्चा को जारी रख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बोला है कि आप संकल्प वापस ले लीजिये। आपका जो सुझाव है वह उसका ध्यान रखेंगे।

जनपद कुशीनगर की तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा हेतु एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराने विषयक श्री असीम कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री असीम कुमार जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। श्री असीम कुमार जी अनुपस्थित हैं। अतः यह संकल्प व्यपगत हो गया।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर चर्चा :-

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना बाजार को टाउन एरिया का दर्जा दिलाने विषयक श्री बेचई सरोज द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री बेचई सरोज जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। श्री बेचई सरोज जी अनुपस्थित हैं। अतः यह संकल्प ड्रॉप किया जाता है।

जनपद बस्ती की नगर पंचायत गणेशपुर को आदर्श नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् बस्ती को आदर्श नगर पालिका के रूप में बनाये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र नाथ यादव जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। श्री महेन्द्र नाथ यादव जी भी उपस्थित नहीं हैं। अतः यह संकल्प ड्रॉप किया जाता है।

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल लि0 की क्षमता वृद्धि कर 5000 टी0सी0डी0 एवं आधुनिकीकरण कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभी द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 सुरभि जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

डॉ0 सुरभी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, 'इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल लि0 की क्षमता वृद्धि कर 5000 टी0सी0डी0 एवं आधुनिकीकरण कराये जाने की कार्यवाही की जाये'।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में जो चीनी मिल है, वह 47 वर्ष पुरानी है और अभी वर्तमान में उसकी क्षमता 1250 टी0सी0डी0 है और उसमें जो डिस्टलरी है उसकी क्षमता 30 के0एल0 है, तो मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसकी क्षमता वृद्धि करें, क्योंकि कायमगंज क्षेत्र में शमशाबाद ब्लाक ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह ऐसा विषय है जो वित्तीय संसाधनों पर ही निर्भर है। वैसे तो सरकार की नीति है कि हम इसका एक्सपैंशन भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और किसानों को राहत भी मिले, उनको गन्ने का पर्याप्त मूल्य मिल जाये, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। लेकिन इसीलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि कृपा करके इस संकल्प को वापस ले लें, या चर्चा जारी रख दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने सरकार की मंशा बताई है कि इस प्रकार के एक्सपैंशन करे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, सरकार की प्रियारिटीज में है, लेकिन जब तक उसके लिए वित्तीय संसाधन नहीं होते तब तक यहां पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रियॉरिटी में है, इसलिए आप संकल्प वापस लेने पर विचार कर सकती हैं।

डॉ0 सुरभी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र कायमगंज में रोजगार के रूप में केवल एक चीनी मिल है और वहां पर रोजगार के लिए कोई इण्डस्ट्री या उद्योग नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर इसकी क्षमता वृद्धि हो जाये, तो वहां के क्षेत्र के लोगों को राहत मिल जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप अलग से लिखकर मंत्री जी को दे दीजियेगा।

डॉ0 सुरभी-

ठीक है मान्यवर, मैं संकल्प वापस लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ये संकल्प वापस हुआ।

वाणिज्यिक उत्पादों तथा उनके पैकेट/रैपर आदि पर देवी-देवताओं के नाम व उनकी छवि का उपयोग प्रतिबन्धित किये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प

डॉ0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाणिज्यिक उत्पादों तथा उनके पैकेट/रैपर आदि पर देवी-देवताओं के नाम व उनकी छवि का उपयोग प्रतिबन्धित किया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, देवी-देवताओं का चित्र और उनका नाम हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और ये बड़ा विषय है, क्योंकि तमाम उत्पाद ऐसे हैं जहां पर मादक पदार्थ, गणेश छाप बीड़ी, गणेश छाप गुटका लोग उपयोग करने के बाद जमीन पर या वॉशरूम में डाल देते हैं जहां पर उन देवी-देवताओं की छवि को देखकर मन दुखी होता है और हमारी आस्था को चोट पहुंचती है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार देवी-देवताओं के चित्रों का उपयोग सभी प्रकार के वाणिज्यिक उत्पादों पर रोक लगाने का कार्य करे जिससे कि हम सबकी भावनायें आहत न हों और हम अपने देवी-देवताओं का सम्मान कर सके। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, सरकार इस पर विचार करे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आप की बात सही है हमने इसका संज्ञान ले लिया है लेकिन इस पर संकल्प की आवश्यकता नहीं है, इस पर हम अलग से विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान ले लिया है वह आपकी बात से सहमत हैं और उस पर विचार कर लेंगे।

डॉ0 नीरज बोरा-

बहुत-बहुत धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत महमूदपुर माफी को आदर्श नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद् बिलारी को आदर्श नगर पालिका परिषद् के रूप में बनाये जाने विषयक श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री मो0 फहीम इरफान जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। श्री मो0 फहीम इरफान अनुपस्थित हैं। अतः यह संकल्प व्यपगत हुआ।

[12:28] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के ऊपर सूचनाएं, आज आखिरी दिन है, इसलिए सारी सूचनाएं ले लेते हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका निर्णय निदेश में जाता है और निदेश इस हाउस की परम्परा बनती है। मेरा सब्मिशन है कि ऐसी परम्परा न हो, देखिये वो लोग बाईकॉट करके गये हैं बिना वजह बाईकॉट किया है, इसका कोई कारण नहीं था उनका निजी एजेण्डा था। इसलिए निजी एजेण्डे के तहत हाउस का बाईकॉट कर रहे हैं, तो फिर हाउस की वह परम्परा जिसका फायदा लोग उठा लेते हैं वह नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनकी सूचना आप ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज नियम-51 के अन्तर्गत 180 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अब यहां पर जो मा0 सदस्य उपस्थित होंगे वह लोग उपस्थिति जोर से लगा देंगे तो यहां पर अंकित हो जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की उपस्थिति लेना प्रारम्भ किया गया)

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत शहीद स्मृति एवं शहीद द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजमणि

की ग्राम दिघिया, थाना माण्डा, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज में भूमि पर बिना सहमति नाली व चकमार्ग बनवाने की जांच की मांग के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम आलापुर को ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री श्यामधनी राही की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर में कतिपय घर के पास लगे दो पेड़ों को हटवाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्रीमती नीलिमा कटियार की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में आवास विकास द्वारा द्वारा निर्मित सपना इन्क्लेव की पार्किंग आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला, ब्लॉक भरावन में बिना निर्माण भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहां मिश्र में संचालित मदरसे में प्रबन्धक के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में बस स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत धनौरा विधान सभा क्षेत्र कुमराला-चकनवाला में जर्जर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद प्रयागराज के छिवकी स्थित ब्वायज इण्टर कालेज के संचालन के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री विक्रम सिंह सैनी की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली में जर्जर सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम पनवारी में मानकों के विरुद्ध चल रहे कॉलेज के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा की जनपद जालौन के उरई नगर पालिका के अन्तर्गत टाउन हाल से करमेर इटौरा को जाने वाली सड़क का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह निरंजन की जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत बहादुर से जगम्मनपुर पर सम्पर्क मार्ग के पास नाले का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र में बुलन्दशहर-सैदपुर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती मीनाक्षी सिंह की जनपद बुलन्दशहर की खुर्जा नगर विधान सभा क्षेत्र में नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री कैलाश की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद गोण्डा के दुग्ध संघ से पूर्णकालिक कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राम दुलार की जनपद सोनभद्र के दुद्धी, ओबरा विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में उच्च

शिक्षा संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में थाना जसरथपुर की पुलिस चौकी ढटिगरा में बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के कल्लरपुर गुर्जर के पास पूर्वी यमुना नहर पर बने पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री अशोक कुमार कोरी की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ग्राम हाजीपुर में पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत की जनपद कासगंज के अन्तर्गत 100 सदर कासगंज में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राम प्रताप वर्मा की जनपद लखनऊ की महानगर सचिवालय कालोनी में टाइप-3, भवन सं0-11 की जीर्ण-शीर्ण की अवस्था के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के ग्राम नगरिया कला एवं ग्राम सेरा के मध्य पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत पटिहटा से छिवलहिया सम्पर्क मार्ग मय पुलिया सहित निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री हर्षवर्धन बाजपेयी की जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के ग्राम तिलका में कतिपय जमीन के प्रकरण में दोषी कर्मचारियों, अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना डॉ0 विमलेश पासवान की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ग्राम सभा ऊंचेर, विकास खण्ड कौड़ीराम के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में भीषण बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान के कारण मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवी सूचना श्री राहुल बच्चा की जनपद उन्नाव के पुरवा में विद्युत उपकेन्द्र के लोड को बढ़वाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री राम निवास वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पौराणिक स्थल के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद महाराजगंज के फरेन्दा के सनौली मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में विपणन निरीक्षण में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा' की उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में कतिपय प्रोजेक्ट की जांच के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद हरदोई के अन्तर्गत बी0पी0 मार्ग निर्मित सड़क की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्रीमती मुक्ता संजीव राजा की जनपद अलीगढ़ के ग्राम बढ़ाकलाँ में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ब्लाक खुटार में गौशाला निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर पाठशाला की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद अयोध्या के राम भवन में गुमनामी बाबा की धरोहरों को म्यूजियम में संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं

सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर धान केन्द्र की जांच के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के पक्का पुल से पुरनिया तिराहे तक गोमती किनारे बने तटबन्ध व सम्पर्क की मरम्मत जल शक्ति विभाग द्वारा की जा रही हीलाहवाली के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री बम्बालाल की विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लाइन बनाकर जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की जनपद बांदा के बांदा नगर में अधूरे बाइपास को बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कैथी माझा नदी पे बसे 90 गांवों को नदी के बाहर बसाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की जनपद मेरठ के ग्राम मुक्कबरपुर के विकास खण्ड परगना दरौला, तहसील सरधना में ऑटो टायर उद्योग स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री लक्ष्मीराज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में मन्दिर को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ला की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में लिंक नहर व पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री हरी ओम वर्मा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में क्रीड़ा स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री संजय शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में नये चिकित्सालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के अन्तर्गत विकास खण्ड मनिअर में जर्जर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में ऑडीटोरियम के निर्माण के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में पक्का बन्धा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज में जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0 स्कूल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राम कृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के प्रमुख चौराहों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद कुशीनगर के क्षेत्र रामकोला में भूमि अभिलेखों में वारिसों के नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद

कुशीनगर के पडरौना में मृतप्राय हो चुकी बांसी नदी का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक, तहसील बल्दीराय में दरवाजे पर विद्युत केबिल लगवाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर के नगर निगम की वार्ड सं0-39 में इन्दिरा गांधी कालोनी में विद्युत लाइन हटवाने के सम्बन्ध में है, सढ़सठवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर के सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के शाहगंज विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद खीरी के मोहम्मदी में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्हत्तरवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ला की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र में किसानों की फसलों को कटान की वजह से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की कतिपय दरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण व बकाया पेंशन का भुगतान के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना डॉ0 राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में बांस-बल्लियों पर दिये गये विद्युत कनेक्शनों को विद्युत पोल पर दिये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चहत्तरवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री बेदी की मु0अ0सं0-169/21 धारा-147, 148, 149, 342, 307, 392, 427, 504, 506 एस0सी0 एस0टी0 एक्ट-3(2) थाना जलालपुर के जनपद जौनपुर में माल बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्रीमती गुड़िया कठेरिया की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के सदर तहसील में नवनिर्मित बारातशाला की बाउण्ड्री एवं आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा उन्यासीवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की प्रदेश में चाइनीज मांझे पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

1-श्री रविदास मेहरोत्रा
2-श्री अमिताभ बाजपेयी
3-मो0 हसन रूमी
4-श्री विनोद चतुर्वेदी
5-हाजी इरफान सोलंकी
6-श्री राहुल राजपूत
7-श्री शशांक वर्मा
8-इंजी0 सचिन यादव

9-श्री प्रसन्न कुमार
10-श्रीमती पल्लवी सिंह
11-श्री विनय प्रकाश गोंड़
12-श्री आशीष कुमार सिंह
13-श्री समरपाल सिंह
14-श्री राजपाल सिंह बालियान
15-श्री योगेश वर्मा
16-श्री राम खिलाड़ी सिंह
17-श्री गणेश चन्द्र मौर्य
18-श्री अरमान खान
19-श्री संग्राम सिंह
20-श्री तेजपाल सिंह नागर
21-श्री किरत सिंह
22-श्री राकेश पाण्डेय
23-श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी
24-श्री विवेकानन्द पाण्डेय
25-श्रीमती रानी पक्षालिका
26-श्री भगवान सिंह कुशवाहा
27-श्री बृजभूषण सिंह राजपूत
28-श्री धर्मराज सिंह यादव
29-श्री माता प्रसाद पाण्डेय
30-श्री प्रदीप कुमार सिंह
31-श्री अशरफ अली खान
32-श्री अनिल कुमार
33-श्री चन्दन चोहान
34-श्री पंकज गुप्ता
35-श्री मुकेश वर्मा
36-श्रीमती इन्द्राणी देवी
37-डॉ0 शिव प्रताप यादव
38-इंजी0 बृजेश कठेरिया
39-श्री जाहिद बेग
40-श्री आशुतोष मौर्य
41-श्रीमती सैय्यदा खातून
42-श्री चन्द्र प्रकाश लोधी
43-श्री सर्वेश सिंह
44-श्री जय प्रकाश अंचल
45-श्री अभय सिंह
46-श्री राजेन्द्र कुमार
47-श्री विशम्भर सिंह यादव
48-श्री प्रदीप कुमार यादव
49-श्री वीरेन्द्र यादव
50-श्री नफीस अहमद
51-मो0 ताहिर खान
52-श्री अनिल प्रधान
53-श्री तूफानी सरोज
54-श्रीमती ऊषा मौर्या
55-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव
56-श्री लकी यादव
57-श्री दुर्गा प्रसाद यादव
58-श्री गौरव कुमार रावत
59-श्री हाकिम लाल बिन्द
60-श्री जगदीश नारायण राय

61-श्री लालजी वर्मा
62-श्री कमलाकान्त राजभर
63-श्री अमरेश कुमार
64-श्री राम अचल राजभर
65-श्री महबूब अली
66-मो0 फहीम इरफान
67-श्री मनोज कुमार पारस
68-श्री राम सिंह
69-श्री बेचई सरोज
70-श्री रफीक अंसारी
71-श्री बंबालाल दिवाकर
72-श्री गुलाम मोहम्मद
73-श्री रिशी त्रिपाठी
74-श्रीमती रेखा वर्मा
75-श्री अवधेश प्रसाद
76-इंजी0 सरवन कुमार निषाद
77-श्री प्रदीप कुमार सिंह
78-श्री सौरभ सिंह
79-श्री नन्द किशोर गुर्जर
80-श्री आशु मलिक
81-श्री जै किशन साहू
82-श्री जियाउर्रहमान बर्क
83-श्री रमेश जायसवाल
84-डॉ0 आर0 के0 वर्मा
85-श्री रमेश जायसवाल
86-श्री हाजी इरफान सोलंकी
87-श्री समरपाल सिंह
88-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट
89-श्रीमती राजबाला सिंह
90-श्री पंकज मलिक
91-श्री सर्वेश सिंह
92-डॉ0 रागिनी
93-मो0 ताहिर खान
94-श्री राकेश प्रताप सिंह
95-श्री मनोज कुमार पाण्डेय
96-श्रीमती पूजा पाल
97-श्री बृजेश यादव

खेत की बाड़ में फंसकर पशुओं के साथ दुर्घटना होने पर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किये जाने पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूँ। किसानों की खेत की बाड़ में फंसकर यदि किसी पशु के साथ दुर्घटना होती है तो उसमें किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का प्राविधान किया जा रहा है। मान्यवर, कोई भी किसान अपनी मर्जी से कंटीले तार नहीं लगाता है, बल्कि जब बहुत मजबूरी होती है तब वह कंटीले तार लगाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-311 के अन्तर्गत इसकी सूचना नहीं दी है। बीच में इसे नहीं उठाया जा सकता है। इस समय यह रिलेवैन्ट नहीं है इसलिये अब इसे उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है। आपने यह सूचना ना तो नियम-311 में प्रस्तुत की है और ना ही यह इसमें ग्राह्य है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। कृपया इसे ग्राह्यता पर सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको ग्राह्य नहीं करेंगे। कृपया आप बैठ जाईये।

[12:44] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-56 की सूचनाएं लेते हैं। नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त पहली सूचना प्रदेश में सूखे और बाढ़ से किसानों के प्रभावित होने से सम्बन्धित हैं। श्री उमाशंकर सिंह जी आप बोलिये। जितने माननीय सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रगान किये बिना कोई सदन से ना जाये।

श्री उमाशंकर सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे किसान भाई हैं उनको दो तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

(कुछ सदस्यों के आपस में बात करने पर)

मा0 अध्यक्ष जी सदन व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आपस में बात न करें। अगर किसी को बात करनी हो तो बाहर जाकर बात करें। मा0 सदस्य अपनी बात रखें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो यह महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आये हैं चूंकि अगर हमारे सदस्य इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनका इम्पार्टेंस समझ में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आपस में बातचीत न करें। अगर किसी को बहुत जरूरी हो तो पीछे लॉबी में बात कर लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस साल जो हमारे किसान थे, उन्होंने शुरू से ही सूखा की मार झेली। इस कदर सूखा पड़ा कि जो किसान की सबसे आसान खेती धान की होती थी, न धान की रोपाई हो पायी, न धान की बुआई हो पायी। किसी तरह से कुछ लोगों ने अपने ट्यूबवेल से या नहरों के किनारे अपनी फसल कुछ कम मात्रा में बचा ली तो भगवान की ऐसी लीला कि आप देख रहे हैं कि अभी लगातार बारिश हो रही है। मैंने सुबह अखबार में पढ़ा है कि दो-तीन जिलों में बारिश की सम्भावना को देखते हुए कक्षा-1 से लेकर कक्षा-8 तक के स्कूल को बन्द कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, मेरा यह मानना है कि किसान का दोनों तरफ से नुकसान हो गया। पिछले दिनों में देखने में आया है कि सरकार ने दैवीय आपदा में ओलावृष्टि में जब सर्वे कराया तो उसमें कुछ हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत ही गन्दा मजाक हमारे किसानों के साथ किया गया। किसी को दो रुपये का चेक किसी को सात रुपये का चेक मुआवजे के रूप में दिया गया। किसान पूरी फसल की फोटोग्राफी दिखा रहा है कि हमारे दस बीघा के प्लाट में दस ग्राम की भी पैदावार नहीं है। सारा नष्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी वह अधिकारी किस तरह से उसका सर्वे किये हैं। मा0 मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इस बात को बतायेंगे कि उन्होनें सर्वे के लिए सबको आदेशित कर दिया है। हालांकि आपको दो तरह का सर्वे कराना पड़ेगा। एक सर्वे यह कि सूखे से कितने लोग प्रभावित हुए उसका मुआवजा और सर्वे के समय जो किसान अपनी फसल किसी तरह से बचा लिये, लेकिन बाद में बिना सीजन की जो बारिश हुई है, उस बारिश ने उस किसान की फसल बर्बाद कर दी। तो मुझे लगता है कि मा0 मंत्री जी जवाब देते समय जरूर इस बात का ध्यान रखें कि इसका दोबारा सर्वे कराकर दोनों का समायोजन करके हमारे किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले। मुझे लगता है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने पेन कलम निकाल लिया है तो जवाब भी वही देंगे। हालांकि आज जब आपने नियम-56 पढ़ा तो इसमें हमारे नेता विरोधी दल का भी था। मान्यवर, लेकिन हो सकता है कि नेता विरोधी दल किसान भाइयों की समस्याओं को न रखना चाहते हों। इसलिए वह सदन से वॉकआउट कर गये। हम भले ही तीन ही लोग विपक्ष में हैं और हमने पहले भी कहा था कि ये और ये दोनों लोग मिले हुए हैं।

कल माननीय अध्यक्ष जी भी कार्य-मंत्रणा में भी सिफारिश कर रहे थे कि सदन जल्दी कैसे खत्म होगा। तरीका है, पता है, बात हो गयी कि कब सदन चलने देना है और कब सदन चलने नहीं देना है, पता है कि हम तीन लोग सदन को बाधित नहीं कर सकते हैं, हम तीन लोग पड़े हुए हैं, लेकिन हम तीन लोग तब तक रहेंगे जब तक इन किसान भाईयों को हम सरकार से उचित आश्वासन न दिला दें, तब तक हम लोग यहां पर डटे रहेंगे। किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए क्योंकि राजा भैया सदन में नहीं थे, लेकिन इनको खबर लगी कि किसान भाइयों से जुड़ी हुई समस्या को एक हमारा भाई सदन में रखने वाला है तो राजा भैया अपने सहयोगी विधायकों को लेकर तुरन्त सदन में पहुंचे। इसलिए राजा भैया की भी यही मंशा है, मोना जी की भी यही मंशा है कि हमारे किसान भाइयों की हुई क्षति को सरकार किस तरह से भरपाई करेगी। इसको सरकार सदन में बताये और अगर सरकार के पास तैयारी नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि समस्त कार्यवाही को रोककर इसमें कोई समय तय कर दें। अगर सरकार दिलेर है तो सरकार इस बात को कहे कि नहीं हम किसान भाइयों को किस तरह से सर्वे कराकर उनको मुआवजा देने का ऐलान करेंगे।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे उमाशंकर सिंह जी के नियम-56 के प्रस्ताव पर अवर्षा और अतिवर्षा के सन्दर्भ में बोलने का अवसर दिया है। मुझे सबसे पहले सूचना समाजवादी पार्टी की ओर से मिली थी और उस पर उनके दो दर्जन से ज्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर किये थे, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति जरा भी गम्भीर नहीं हैं। जब वह शासन में थे तब भी गम्भीर नहीं थे और आज जब विपक्ष में हैं तब भी उन्हें किसानों की चिन्ता नहीं है। वह लगातार किसानों की अनदेखी करने का काम करते हैं। प्रस्ताव पर बिना बोले वे विधान सभा का वॉकआउट किये। मैं उमाशंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यद्यपि आपके ध्यानाकर्षण करने के पहले से ही लगातार माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार के सम्बन्धित मंत्रीगण निरन्तर उस स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों ने समय-समय पर उसके लिए कार्यवाहियां भी की हैं, अभी भी उस दिशा में अग्रसर हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश के किसानों के हित का हर परिस्थिति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संरक्षण करेगी और किसानों की किसी भी प्रकार से होने वाली क्षति की भरपाई करेगी। आपका जहां तक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है यह सच्चाई है कि प्रदेश के भीतर 22 सितम्बर तक 484 मिमी0 वर्षा हुई है। यह जो लगभग सामान्य वर्षा होती है उसका 67 फीसदी के करीब है। प्रदेश के दो जनपदों में 120 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है, 18 जनपदों में 80 प्रतिशत से 120 प्रतिशत तक वर्षा हुई है, 20 जनपदों में 60 प्रतिशत से

40 प्रतिशत तक वर्षा हुई है, 26 जनपदों में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक वर्षा हुई है और 09 जनपदों में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। इन 09 जनपदों की स्थिति स्वाभाविक रूप से गम्भीर है और उनके भीतर सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, श्रावस्ती आदि हैं। मैं आपको उन जनपदों की सूची बता रहा हूँ जहां पर 33 फीसदी से ज्यादा क्षति का आँकलन हमारे प्रशासन ने किया है। माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग दोनों ने संयुक्त रूप से सभी 75 जनपदों का दौरा किया और रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनपद प्रभावित हैं, जिनमें सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, श्रावस्ती, गोण्डा, कुशीनगर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, प्रयागराज, महराजगंज, बहराइच एवं जौनपुर। हम लोग इनका सर्वेक्षण भी करा रहे हैं और जो आवश्यक कदम उठाने होंगे उनके सन्दर्भ में हम कदम भी उठा रहे हैं।

फिलहाल राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इन सभी प्रभावित जनपदों के भीतर जहां पर खेत अभी खाली है, किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दो लाख तोरिया के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं और तीन लाख मिनी किट सरसों के भी वितरित कर रहे हैं। चालिस हजार मिनी किट मडुए का भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सितम्बर के पहले फसल लगायी जा सके। साथ में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अन्य जनपदों के भीतर भी मिनी किट उनको उपलब्ध करायेंगे और लगभग तोरिया एवं सरसों के मिनी किट मिलाकर आठ लाख मिनी किट निःशुल्क किसानों के बीच वितरित करेंगे और इसी तरीके से लगभग सवा पांच लाख के करीब मिनी किट चना और मसूर के भी वितरित करेंगे। जहां पर दलहन की खेती ज्यादा होती है वहां राज्य सरकार इस विषय में गम्भीर है कि उनको वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराकर हम उसकी एक ठोस व्यवस्था करें। दूसरा, आपने जो कहा कि नदियों के भीतर आकस्मिक रूप से बाढ़ आई और बिना वर्षा के बाढ़ आई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बरसात होने की वजह से हमारे चम्बल के भीतर बेतवा और उसके माध्यम से यमुना और गंगा जी के समीप के जनपद जलप्लावित हुए। हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि सूचना मिलने के तुरन्त बाद ही हमारे जल संसाधन मंत्री जी को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त प्रभावित जनपदों के भीतर भेजा, उसमें सबसे पहले इटावा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, बलिया, चन्दौली जनपद गये और माननीय सदस्य के जनपद भी गये थे और आप सबसे बात भी हुई थी, राहत कार्यों की समीक्षा भी की गयी थी, राहत सामग्री ठीक तरीके से वितरित की जाये इसके निर्देश भी देकर आये थे। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा होते हुए सिद्धार्थनगर आदि जनपदों में वह स्वयं गये, गाजीपुर जनपद भी गये थे और जहां तक मुझे स्मरण है कि बलिया जनपद भी वे इसी दरम्यान पहुंचे थे और स्वयं उन्होंने बाढ़ एवं सूखे की समीक्षा की थी। मैं इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूँ कि सरकार ने तत्परता के साथ जो कदम सूखा या बाढ़ की दृष्टि से उठाया जाना चाहिए था उसको तुरन्त उठाया है। उन्होंने इस बात के निर्देश दिये हैं कि राजकीय नलकूपों पर निरन्तर

15 घण्टे के करीब विद्युत आपूर्ति करके किसानों की फसल को बचाने का काम किया जाये और जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको बिजली के बकाये के कारण डिस्कनेक्ट न किया जाये। किसानों की जितनी भी राज्य सरकार से सम्बन्धित वसूलियां हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इस प्रकार से यह प्रयास सरकार ने किया है कि हम हर प्रकार से व्यवस्था दें।

आपदा के मद में हम लोगों ने छः सौ करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित करके रखी है और उसमें से 104 करोड़ 51 लाख रुपये की धनराशि जनपदों को निर्गत कर दी गयी है कि जहां पर जिस तरह की आवश्यकता होगी, जिला प्रशासन मानकों के अनुरूप किसान भाइयों की क्षतिपूर्ति करे, आपदा से बचाव की कार्यवाही करे। इस सन्दर्भ में मैं आपको जानकारी दे दूं कि बाढ़ से प्रभावित कुल मृतकों की संख्या केवल दो रही है और उनके परिवार को चार-चार लाख रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। मृत पशुओं की भी संख्या मात्र 02 रही है, इतनी तत्पर हमारी सरकार रही है कि कैम्प लगाये, तुरन्त लोगों को पुनर्वास दिया और वहां पर उनको भोजन-पानी से लेकर पशु के चारा-पानी तक की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी। पक्के मकानों की क्षति की जो सूचना हमें अभी तक प्राप्त हुई है वह 152 मकानों की है, उनको भी क्षतिपूर्ति अदा किया जायेगा। 58 कच्चे मकानों एवं 34 पक्के मकानों का आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। 441 झोपड़ियां नष्ट हुई हैं, उनको भी क्षतिपूर्ति दी जायेगी। सार्वजनिक सम्पत्तियों की संख्या-1 है और हम लोगों ने 1488 बाढ़ चौकियां बुन्देलखण्ड से ले करके पूर्वांचल तक और इधर मध्यांचल से ले करके तराई के सभी क्षेत्रों में जहां पर नदियां हैं, वहां पर बना करके रखी हैं। 502 नावें बचाव कार्यों के लिए लगायी गयी हैं और 135 मोटर बोट की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 की 35 टीमें, किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है, जो लगातार पेट्रोलिंग करके इस बात की कोशिश कर रही हैं कि कहीं पर कोई नुकसान न हो सके। पी0ए0सी0 की 26 टीमें लगायी गयी हैं और 1569 मेडिकल टीमों को भी हम लोगों ने लगाकर रखा है, जहां पर किसान भाइयों या प्रभावित क्षेत्र के किसानों को दवाई दी जा रही है। इसी तरीके से पशुओं के लिए भी हम लोगों ने कैम्प लगा करके रखे हैं और 63 लंगर इस दरम्यान हम लोगों ने वहां पर चलाये हैं, जिसके माध्यम से लोगों को भोजन ठीक प्रकार से मिल सके। 78,579 ऐसे लोग कैम्प पर आये, जिनका उपचार किया जा चुका है। 1157 पशु शिविर हैं और पशुओं के टीकाकरण की दृष्टि से भी अभी जो लम्पी बीमारी है, उसको ध्यान में रखते हुए 7,92,600 पशुओं को इस दरम्यान टीका लगाने की व्यवस्था भी की गयी है। 12,369 खाद्यान्न के पैकेट भी लोगों के बीच में वितरित किये गये हैं। लंच पैकेट 3,70,866 बांटे गये। पीने के पानी के पाउच 1,51,698 दिये गये हैं। ओ0आर0एस0 के पैकेट भी वितरित किये गये हैं, ताकि डायरिया या हैजे से कोई प्रभावित न हो पाये, इसके लिए भी

सरकार ने व्यवस्था करते हुए 1,33,346 पैकेट दिये हैं और क्लोरीन टैबलेट 5,70,191 बांट करके यह व्यवस्था की गयी है कि वह किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त न हों और जो हमारे 33 फीसदी जनपद और लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर क्षतिपूर्ति का कार्य शुरू कर दिया गया है और अब तक 4264 लोगों के बीच में वह वितरित किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि यह सूचना बहुत विस्तृत है, जिसे मैंने आपके सामने रखा है और दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है और हर प्रकार से उनकी चिन्ता कर रही है, उन्हें किसी भी कठिनाई में जाने नहीं देगी। इतना निवेदन करते हुए मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि यह नियम-56 का प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। सरकार ने विस्तृत जानकारी इस माननीय सदन को दी है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी विनती है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो-जो बातें किसानों के बारे मे की गयी हैं, मंत्री जी ने विस्तार से बताया, हम उसका स्वागत करते हैं। वसूली के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि रोक दिया गया है, यानी स्थगित किया गया है। मान्यवर, जो किसानों के ट्यूबवेल के बिल हैं, लगान है या किसानों से सम्बन्धित उनके अन्य जो बकाये हैं, मैं तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज इस हाउस के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मैसेज दें कि हम किसान की समस्याओं को देखते हुए, जो उनकी लगान है, जो ट्यूबवेल के बकाये हैं, उस बकाये को आयी इस आफत को देखते हुए माफ कर रहे हैं। अगर मंत्री जी ऐसा ऐलान करें तो मुझे लगता है कि वह किसानों के हित में बहुत अच्छा होगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, लगान को पूरी तरह से माफ किया जा चुका है। नहरों से सिंचाई और राजकीय नलकूपों से सिंचाई हम उनको निःशुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता, इसे अग्राह्य करते हैं।

मैंने दूसरी सूचना जो ग्राह्यता पर सुनने के लिए स्वीकार की है वह श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अतुल प्रधान, श्री बृजेश यादव, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री हिमांशु यादव, श्री अनिल प्रधान, श्री मुकेश वर्मा की प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में यह लोग यहां पर उपस्थित ही नहीं हैं, इसलिए यह अग्राह्य की गयीं। बाकी सारी सूचनाएं अग्राह्य हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने एक अहम सूचना दी है। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नम्बर एक पर है। महिला अपराध में नम्बर एक पर है, दहेज हत्या में नम्बर एक पर है। मा0 अध्यक्ष जी यह एक गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय मोना जी, कल और परसों भी खूब इस पर चर्चा की है। इसके ऊपर मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी पूरी बात रख दी है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी बात रख दी है। आप जो भी बातें बता रही हैं, आपने कल भी इस बात पर प्रश्न किया और उसका उत्तर आया है, परसों भी उत्तर आया, पिछले चार दिनों से लगातार उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है जो आप बता रही हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी भी जब हाउस में उपस्थित थे उन्होंने भी सारे आंकड़े दिये थे। कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आंकड़े दिये थे। सत्रकाल में नियम-56 के अन्तर्गत कोई एक सूचना केवल एक ही बार ली जाती है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैंने बदायूं की घटना दी है, वह बड़ी वीभत्स घटना है, आप उस पर चर्चा करा लें। यह बड़ा गम्भीर प्रकरण है। यह सरकार अगर लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा नहीं करना चाहेगी तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको ग्राह्यता पर भी नहीं सुनूंगा, स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर है। अब हम मद संख्या-116 लेते हैं।

[01:06] जनपद जौनपुर व जनपद वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद जौनपुर व जनपद वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य।

जिन सदस्य का वक्तव्य है वह उपस्थित नहीं हैं, लेकिन यह सदन में प्रस्तुत हो चुका है इसलिए जो भी सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनके भी वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे।

(चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा हेतु पी0पी0पी0 मोड पर 70 हीमोडायलिसिस यूनिट संचालित हैं। वर्तमान में कुल 14240 लाभार्थी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तथा अब तक इन संचालित हीमोडायलिसिस यूनिटों में 12,88,834 बार डायलिसिस की जा चुकी है। वर्तमान में 98 सीरो पॉजिटिव तथा 502 सीरो निगेटिव शैय्याओं हीमोडायलिसिस की निःशुल्क सेवा प्रदान किये जाने हेतु उपलब्ध है।

जनपद वारणसी में पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय में पी0पी0पी0 मोड पर हीमोडायलिसिस संचालित है जहां पर कुल 14 शैय्याओं (जिनमें 05 सीरो पॉजिटिव तथा 09 सीरो निगेटिव) संचालित हैं जहां पर मरीजों को निःशुल्क हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभागीय 03 शैय्या सरकारी शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय जिला चिकित्सालय में भी संचालित है।

जनपद जौनपुर में जिला चिकित्सालय पुरुष में पी0पी0पी0 मोड पर हीमोडायलिसिस संचालित है। जहां पर कुल 10 शैय्याओं (जिनमें 01 सीरो पॉजिटिव तथा 09 सीरो निगेटिव) संचालित हैं, जहां पर मरीजों को निःशुल्क हीमोडायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान किये जाने के क्रम में 28 यूनिटों में उपलब्ध 06 शैय्याओं (01 सीरो पॉजिटिव तथा 05 सीरो निगेटिव) की जगह पर बढ़ाकर कुल 10 शैय्याओं (02 सीरो पॉजिटिव तथा 08 सीरो निगेटिव) कर दी गयी हैं जिसका शीघ्र ही अतिरिक्त कुल 112 शैय्यायें निःशुल्क हीमोडायलिसिस के लिए उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे राज्य में हीमोडायलिसिस की निःशुल्क सेवायें अधिक से अधिक लाभार्थियों को सहज रूप से प्राप्त हो सकेंगी।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम अली अकबरपुर नवादा में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम अली अकबरपुर नवादा में सरकारी को भूमि कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 22-09-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम अली अकबरपुर में गाटा संख्या-152 रकबा 0.141 हे0 नवीन परती पर मुन्ना सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र का स्थाई कब्जा है जिसके विरुद्ध 122बी उ0प्र0 जमी0वि0भू0व्य0अधि0 वाद संख्या 20151261032845, दिनांक 12-01-2015 को न्यायालय तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। मुन्ना सिंह के द्वारा रिट संख्या-25464/2016 मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी, जो दिनांक 01-08-2016 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। मुन्ना सिंह द्वारा पुनः रिट याचिका संख्या-सी-26681/2021 मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी, जो खारिज कर दी गयी है। यह भी अवगत कराना है कि न्यायालय उप जिलाधिकारी, तिलहर में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 विनियम के अन्तर्गत वाद योजित किया गया जो विचाराधीन है। जिसके सम्बन्ध में मुन्ना सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र सिंह के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-13679/2022 योजित की गई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

गाटा संख्या-144 खलिहान रकबा 0.125 हे0 पर वेदपाल पुत्र हरिश्चन्द्र द्वारा मकान बनाकर कब्जा किया गया है, जिस पर उ0प्र0 जमी0-वि0भू0व्य0अधि0 की धारा-122 वाद संख्या-टी-20151261032842 दिनांक 12-01-2015 को तहसीलदार न्यायालय तिलहर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है। वेदपाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका-25463/2016 दायर की गयी, जोकि वर्तमान में निरस्त है।

गाटा संख्या-143 में से 0.041 हे0 पर वेदपाल पुत्र हरिश्चन्द्र द्वारा मकान बनाकर स्थायी कब्जा किया गया है जिसमें बेदखली का वाद तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी वाद संख्या टी-202112610308620 है, शेष भाग खाली पड़ा है।

गाटा संख्या-151 नवीन परती रकबा 0.081 हे0 में से 0.022 हे0 पर पातीराम पुत्र घुरऊ व वीरपाल पुत्र सियाराम का स्थाई कब्जा है, जिसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही दिनांक 12-01-2015 में न्यायालय तहसीलदार तिलहर से आदेश पारित किया जा चुका है। पातीराम द्वारा रिट संख्या-28756/2020-21 योजित की गयी है, जो दिनांक 15-11-2021 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाटा संख्या-131 नवीन परती रकबा 0.259 हे0 पर लगभग 40-45 वर्ष पूर्व चकबन्दी के समय से गरीब लोगों की आबादी बसी है व गाटा संख्या-96/0.255 हे0 नवीन परती पर 0.230 हे0 पर बाग है जिसे पूर्व में ग्राम प्रधान को सुपुर्द कर दिया गया है, शेष भाग खाली है।

मा0 न्यायालय के आदेशानुसार प्रशासनिक कार्यवाही कर अवैध कब्जे को नियमानुसार हटवाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में बिजली की आपूर्ति का रोस्टर सारिणी उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में बिजली की आपूर्ति का रोस्टर सारणी उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में मुख्यतः निम्न 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

क्र0सं0	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एम0वी0ए0)
1	जसराना टाउन	1x5
2	जसराना ग्रामीण	2x8
3	एका	2x5
4	पाढम	2x5
5	पैढत	1x5
6	इटौली	1x5
7	बनवारा	1x5
8	पृथ्वीपुर	1x5
9	फरिहा	2x5
10	हाथवन्त	1x10

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11	खैरगढ़	10+8
12	उडेसर	1x5
13	मुस्तफाबाद	2x5
14	भदाना	2x5
15	प्रतापपुर	10+5

विद्युत उपकेन्द्रों से निर्गत कुल 38 नग कृषि पोषकों पर औसतन 9.50 घण्टे सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति की जा रही है। रोस्टर के अनुसार सिंचाई हेतु कृषि फीडरों पर सुबह 7.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक 10 घण्टे की विद्युत आपूर्ति निर्धारित है। (रोस्टर संलग्न), संलग्नक-(1/1)

रिपेयर/मेन्टीनेन्स/ब्रेकडाउन/अन्य तकनीकी कारणों से कभी-कभार आपूर्ति में व्यवधान होने पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। गत एक माह से निजी नलकूप का संयोजन का विद्युत बकाये पर विच्छेदन नहीं किया जा रहा है।

कृषि फीडरों पर औसतन 9.50 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पिछले माह अगस्त, 2022 में कृषि पोषकों की विद्युत आपूर्ति का विवरण संलग्न है संलग्नक-(1/2)। जिससे स्पष्ट है कि औसतन 9.50 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की गयी है।]

ई-मेल सन्देश

संदेश संख्या एस-248/सभी कंट्रोल दिनांक 31.08.2022

प्रेषक: अधीक्षण अभियन्ता, (प्र0नि0), लखनऊ।

प्रेष्य: अधिशासी अभियन्ता, कन्ट्रोल, पनकी/मोदीपुरम/लखनऊ/सारनाथ।

निदेशक एस0एल0डी0सी0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 727/निदे0 (एस0एल0डी0सी0)/ए0एल0डी0 एस0/कार्यक्षेत्र दिनांक 09.03.2021 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपके नियन्त्रणालय के अन्तर्गत समस्त जनपदों के कृषि कार्य हेतु पृथक पोषकों को दिनांक 01.09.2022 से दिनाक 30.09.2022 तक निम्नलिखित समयानुसार आपूर्ति अवधि में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति तथा शेष अवधि में स्वत: कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	कन्ट्रोल एवं डिस्कॉम	कृषि पोषको की (कुल 10 घंटे) कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति
1.	ए0एल0डी0सी0 सारनाथ, (पू0वि0वि0नि0लि0)	प्रतिदिन 06:00 बजे से 16:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति
2.	ए0एल0डी0सी0 लखनऊ, (म0वि0वि0नि0लि0)	प्रतिदिन 06:30 बजे से 16:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति
3.	ए0एल0डी0सी0 पनकी, (द0वि0वि0नि0लि0)	प्रतिदिन 07:00 बजे से 17:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति
4	ए0एल0डी0सी0 मोदीपुरम, (प0वि0वि0नि0लि0)	प्रतिदिन 07:30 बजे से 17:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0), नई दिल्ली के वर्तमान आदेशों एवं ग्रिड सुरक्षा के परिपेक्ष्य में उपरोक्त आदेश सामान्य आवृत्ति की अवस्था में ही लागू होगें। विद्युत कटौती का सर्वाधिकार प्रणाली नियंत्रण के अधीन सुरक्षित रहेगा।

दोहरायें:- अधिशासी अभियन्ता, पारेषण/वितरण/सम्बन्धित पारेषण उपकेन्द्र।

August '22

दक्षिणांचल ।.।।। विद्युत वितरण ।ि० ।। लि०, आगरा

दक्षिण जसवन्त वे ।। केवीए पावर ट्रांसफार्मर पर मासिक [illegible]

क्रमांक	फीडर का नाम	प्रभावित क्षेत्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	शिरोमणाय	जसवन्त	38	07:00 - 17:00	10	91:50			

अधिशासी अभियन्ता (अधिशासी),

C.C.

EE Technical.
JVVNL Agra.

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में ग्राम महरीपुर को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में ग्राम महरीपुर को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[बाढ़ कार्य खण्ड, अयोध्या के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील-टाण्डा में घाघरा नदी के किनारे बसे ग्राम महरीपुर में लगभग 200 मी0 लम्बाई में आंशिक कटान से सुरक्षा के दृटिगत बाढ़ काल से पूर्व ही बम्बूकेट में बोरी भरकर अस्थाई कटरर्स का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है तथा कटान पूर्ण रूप से नियंत्रित है। कार्य-स्थल की निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार अन्य सुरक्षात्मक उपायों पर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त स्थल पर ग्राम के निचले क्षेत्रों में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण वर्तमान में आंशिक जल प्लावन की स्थिति है। कटान की कोई समस्या नहीं है।]

जनपद फिरोजाबाद में टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं का नाम पोर्टल में अपलोड कराते हुए टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

जनपद फिरोजाबाद में टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं का नाम पोर्टल में अपलोड कराते हुए टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा पायलट योजना के रूप में वर्ष 2021-22 में प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये जाने का निर्णय शासनादेश दिनांक 06-10-2021 द्वारा लिया गया। उक्त योजना हेतु यूपीडेस्को लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2-योजनान्तर्गत चयनित आपूर्तिकर्ता सस्थाओं द्वारा दिनाक 17-12-2021 को पारित अनुबन्ध के अनुपालन में 90 दिनों के अन्दर कुल 7,20,000 टैबलेट पीसी एवं 10,50,000 स्मार्टफोन अर्थात् कुल 17,70,000 उपकरणों की आपूर्ति की जानी थी। उक्त के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा दिनांक 21-09-2022 तक 7,13,500 टैबलेट पीसी एवं 9,61,000 स्मार्टफोन अर्थात् कुल 16,74,500 उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी यूपीडेस्को द्वारा छात्र/छात्राओं का डाटा अपलोड करने के लिए डिजीशक्ति वेबपोर्टल विकसित किया गया है। प्रथम चरण में उक्त डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर डाटा अपलोड करने की अन्तिम तिथि 07-01-2022 निर्धारित की गयी थी। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् उक्त पायलट योजना आगामी 05 वर्षों के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

3-गत वर्ष में प्रारम्भ की गई पायलट योजना में वर्ष 2021-22 में पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में पोर्टल पर पंजीकृत अध्यनरत छात्रों की संख्या के आधार पर उपकरण उपलब्ध न होने के कारण सभी छात्रों को उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। अतः डिजीशक्ति पोर्टल पर पंजीकृत पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष (2021-22) में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जो वर्तमान में उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा जिनको उपकरण का वितरण विगत वर्ष नहीं किया जा सका है, उन्हें भी उपकरणों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 21-09-2022 तक 5844 टैबलेट एवं 3691 स्मार्टफोन कुल 9535 उपकरणों का वितरण किया जा चुका है। डिजीशक्ति पोर्टल पर छात्र/छात्राओं का डाटा अपलोड किये जाने का कार्य दिनांक 19-09-2022 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस प्रकार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण प्रदेश के समस्त जनपदों में लगातार किया जा रहा है।]

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मुखिया मा0 योगी जी के प्रति कोटि-कोटि नमन और आभार व्यक्त करता हूँ। शायद भारत में इतनी बड़ी योजना बच्चों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए, छात्र-छात्राओं के लिए उनको टेक्निकली एनहेंस करने के लिए दो करोड़ छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की यह योजना है, आज इसकी देश भर में चर्चा है। हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी में इसका बहुत बड़ा उत्साह है। वर्ष 2021 में प्रारम्भ हुई यह योजना अब पांच साल के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसमें कुछ कमी ऐसी रह गई थी जिसके बारे में मैंने यहां नोटिस दिया, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ मा0 मुख्य मंत्री जी का, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री जी का।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो स्पष्टीकरण है वह पूछ लीजिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, वर्ष 2021 में ऐसे बच्चे जो फाईनल ईयर में थे, उनमें से अनेक बच्चों का होटल में उनके नाम अपलोड न होने के कारण से उनको टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिल पाया। इसमें आपने हमें उत्तर में बता दिया है कि वर्ष 2022-23 में इसको देने का निर्णय लिया गया और यह पोर्टल भी आपने जो डिजी शक्ति का है यह अभी चार दिन पहले से खोला गया है। इसमें मेरा आपसे एक निवेदन है कि अभी इसमें जब पोर्टल खोला जा रहा है तो वर्ष 2021 नहीं खुल रहा। अगर यह नहीं खुलेगा तो जो बच्चे रह गये, जो पात्र हैं, जिसके लिए आपने सहमति व्यक्त की है तो उनके नाम शामिल नहीं हो पायेंगे। एक और आपकी अनुमति है अध्यक्ष जी मैं मा0 मंत्री जी को यह सजेशन देना चाहता हूँ, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी इस योजना का लगभग दो तिहाई हिस्सा उच्च शिक्षा का है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपको सम्बोधित करते हुए मा0 सदस्य कोई बात कह रहे हैं तो उसको सुनिये।

श्री मनीष असीजा-

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में यह जो स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसका दो तिहाई हिस्सा आपके उच्च शिक्षा विभाग से ही सम्बन्धित है तो इसमें डाटा अपलोड करने में जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बीच का तालमेल कहीं-कहीं पर थोड़ा रुक रहा है। विशेषकर मैं दो-तीन विश्वविद्यालयों के नाम भी आपको इंगित करना चाहता हूँ, जो सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें ए0एम0यू0 है, बनारस विश्वविद्यालय है और प्रयागराज विश्वविद्यालय है। इनमें अभी डाटा थोड़ा सा कठिनाई में है। एक और टेक्निकल दिक्कत है कि इसी योजना के

दौरान जिन विश्वविद्यालयों के साथ कोई दूसरे विश्वविद्यालय बन गये, जैसे अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बना है, ऐसे विश्वविद्यालयों में जो नये महाविद्यालय पहुंचे हैं तो उन विश्वविद्यालयों को उनका डाटा नहीं पहुंच रहा है। मान लीजिये कि आगरा विश्वविद्यालय से कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनी तो पुराने आगरा विश्वविद्यालय में जो महाविद्यालय थे, वे नई यूनिवर्सिटी में चले गये लेकिन अभी उनको डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दिलवा देंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य अच्छा हो जायेगा क्योंकि यह योजना बच्चों के भविष्य के लिए ही है। इससे उनको अधिकतम लाभ पहुंचेगा। मा0 मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आपने जो पोर्टल खुलवा दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार लेकिन उसमें वर्ष 2021 आने लग जाए, आप इसकी चिन्ता करा लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसकी चिन्ता करा लेंगे। मैंने बोल दिया है और जो भी आपने कहा है, मा0 मंत्री जी उसका संज्ञान लेकर करवा देंगे। मा0 मनीष असीजा जी आपका धन्यवाद।

जनपद सहारनपुर में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-100(3) के अन्तर्गत निजी बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर के सहारनपुर मेरठ मण्डल के 39 मार्गों को मोटर यान...

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[39 मार्गों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अनन्य संचालन के लिए अधिसूचना संख्या-1635/XXX-2-93-365-85, दिनांक 29-05-1993 द्वारा राष्ट्रीयकरण की अनुमोदित योजना प्रकाशित की गयी। इस अधिसूचना से अधिसूचित किये गये मार्गों की योजना को अनेक याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गयी, जिसके कारण यह अधिसूचना मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय तक विधिग्रस्त रही। उक्त योजना दिनांक 29-05-1993 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर निजी संचालक अपनी वाहनों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संचालन कर रहे थे। अन्ततः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-9332/2002 में पारित आदेश दिनांक 1-06-2007 द्वारा उक्त विवाद को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए 39 मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना की अधिसूचना संख्या-1635-XXX-2-93-365-85, दिनांक 29-05-1993 को वैध ठहराया गया, जिसके कारण योजना के मार्गों/मार्गान्शों पर निजी संचालकों का संचालन विधि सम्मत नहीं रह गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-06-2007 के आलोक में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1580/एसटीए/2007-46एसटीए/2007, दिनांक 26-06-2007 द्वारा योजना के मार्गों/मार्गान्शों पर निजी संचालकों के वाहनों का संचालन बन्द कराने के निर्देश सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ व सहारनपुर को निर्गत किये गये और योजना से आच्छादित 31 मार्गों पर 664 निजी परमिटों का संचालन बन्द करा दिया गया।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-102 के अन्तर्गत लोकहित में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में उपान्तरण किये जाने का प्राविधान है। शासन की अधिसूचना संख्या-1/2017/1416/तीस-2-2016-03(25)/16, दिनांक 03-01-2017 द्वारा लोकहित में 04 मार्गों (1-मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली-टाण्डा व सहबद्ध मार्ग, 2-मुजफ्फरनगर-रोहाना-देवबन्द-नांगल-सहारनपुर व सहबद्ध मार्ग, 3-मुजफ्फरनगर-चरथावल-थाना भवन-गढ़ीखाम व सहबद्ध मार्ग व 4-मुजफ्फरनगर-कुटेसरा वाया रोहना व सम्बद्ध मार्ग) पर 152 निजी संचालकों, जिनका संचालन 13-02-1986 से पूर्व था, को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 29-05-1993 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-102 के अन्तर्गत उपान्तरण किया गया। उक्त अधिसूचना दिनांक 03-01-2017 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या-24251/2017 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26-05-2017 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

"…Matter does require enquiry by this Court

Till the next date of listing, there shall be status quo as no date with regard to the operation of the motor vehicles under the permits granted…"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शासन की जिस अधिसूचना के आधार पर सन्दर्भित 39 मार्गों पर निगम के साथ-साथ निजी बस संचालन की अनुमति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा संचालन में यथास्थिति बनाये रखने के अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अभी विचाराधीन है।

यह भी उल्लेख करना है कि उक्त प्रकरण उ0प्र0 विधान सभा की मा0 आश्वासन समिति के समक्ष भी विचाराधीन है, जिसमें मा0 समिति द्वारा न्याय विभाग से विधिक राय/परामर्श प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुपालन में प्राप्त की गई विधिक राय के अनुसार भी रिट याचिका संख्या-24251/2017 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को विद्यमान रहते हुए उक्त विषय में कोई अग्रेतर निर्णय लिया जाना समीचीन नहीं पाया गया है।]

श्री अध्यक्ष -

मा0 राजीव गुम्बर जी इसमें आपको कुछ पूछना है।

श्री राजीव गुम्बर -

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें वर्ष 1993 की राष्ट्रीयकरण की योजना के तहत सहारनपुर, मेरठ, मजफ्फरनगर की बसों का निजी संचालन तो बन्द कर दिया गया था, उस सम्बन्ध में ही मेरा कहना है कि आज भी उन मार्गों की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए बसें उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1993 में जितनी बसें बन्द हुईं तो उसकी 10 प्रतिशत बसें भी वहां उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज तक नहीं चलाई हैं जिससे वहां के यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मा0 मंत्री जी ने बताया है कि इसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्टेटस-को का स्टे है तो मेरा मा0 परिवहन मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि वहां के यात्रियों, वहां के गांववासियों की दिक्कत को देखते हुए, जल्द से जल्द कार्यवाही कराते हुए वह स्टे वैकेट कराया जाय और साथ ही साथ मेरा कहना यह भी है कि इसमें पूर्व में एक संशोधन करके कुछ मार्गों को, केवल 4-5 मार्गों को फायदा दे दिया गया था लेकिन उसमें बाकी बचे हुए मार्गों के यात्री भी बहुत परेशान हैं तो इस योजना में रूपान्तरण करते हुए बाकी बचे हुए मार्गों को भी निजी बस संचालन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

श्री अध्यक्ष -

मा0 परिवहन मंत्री जी हैं ? मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप मा0 सदस्य की बातों का संज्ञान ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, संज्ञान ले लिया है।

जनपद श्रावस्ती के तहसील भिनगा सरकारी विद्युत विभाग की सरकारी जमीन की पैमाइश कराने तथा अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि इस खण्ड के अधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र.....

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[भिनगा की बाउण्ड्री/फेंसिंग पर की गयी थी। बाजार क्षेत्र होने के कारण विभाग की कुछ भूमि पर श्री मोहम्मद असलम राईनी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-श्रावस्ती द्वारा उनको समय-समय पर नोटिस निर्गत की गयी है। स्थल की पैमाइश हेतु उप जिलाधिकारी, भिनगा, पुलिस क्षेत्राधिकारी, भिनगा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, भिनगा एवं उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, भिनगा, श्रावस्ती की समिति गठित करते हुए अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री मोहम्मद असलम राईनी को मौके पर स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया था। प्रशासनिक कार्यवाही को रोकने के लिए श्री मोहम्मद असलम राईनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ में वाद सं0-2765/2022 दायर किया गया है, जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतिक्रमण हटाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-श्रावस्ती द्वारा अपने पत्र सं0-3328/वि0वि0ख0(श्रा0)/दिनांक 02-09-2022 के माध्यम से जिलाधिकारी, श्रावस्ती एवं उप जिलाधिकारी, श्रावस्ती को भी पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में 12 साल की बालिका की गुमशुदगी के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

जनपद प्रयागराज वाले में हर्ष वर्धन बाजपेयी जी का केवल वक्तव्य है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें, ये जो आखिरी वाला है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो केवल वक्तव्य है, वे आये नहीं हैं क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

वे आये नहीं हैं तो इसको स्थगित करते हैं।

(स्थगित)

जो लोग नहीं आये हैं तो इसकी भी चिन्ता कर लीजिए, जो कल पीठ के द्वारा संज्ञान लेकर कहा गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किया था, हमने देखा था।

श्री अध्यक्ष-

जो आज भी नहीं आये हैं, जरा उनके लिए सीरियस हो जायें। कल अगर विधान सभा में बोलने के बाद भी ऐसा है, नहीं तो मैं अगली बार विधान सभा में लाकर खड़ा कर दूंगा। यह नहीं चलेगा। कोई भी मा0 सदस्य अगर सूचना देते हैं तो उसका कारण और निवारण दोनों आना चाहिए। अगर वे नहीं हैं तो उसका कारण होना चाहिए। बिना कारण के किसी को छोड़ेगे नहीं।

[01:14] विधान सभा के मानसून सत्र के सफलतापूर्वक संचालन पर धन्यवाद

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा का यह मानसून सत्र यद्यपि बहुत लघु था। यह मात्र 5 दिन का सत्र था, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में और पूरे प्रदेश में पड़ा है, क्योंकि कई नई परम्पराएं इस विधान सभा ने डालीं। एक तो सबसे पहले हमारी ई-विधान सभा हुई उसका मैसेज हमारे पूरे देश में और प्रदेश में गया और विधान सभा का रंग-रूप जो नये कलेवर में विधान सभा आई है उसकी भी चर्चा चारों तरफ है और चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों सभी यह महसूस करते हैं कि जब से आप इस सीट पर आये हैं तब से विधान सभा में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है और यह एक अच्छी बात है। एक अच्छी परम्परा की शुरुआत आपने की है। साथ ही कल जो कुछ भी हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में कहना है कि अभी तक महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम बराबर यह देखते हैं कि जनप्रतिनिधि महिलाएं चुनीं तो जाती हैं, लेकिन उनके अन्दर कॉन्फिडेन्स डेवलप करना, उनके अन्दर आत्मविश्वास पैदा हो और वह लगातार अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करें, यह तभी हो सकता है, जब उस जिम्मेदारी का वह एहसास करें। पंचायतों में, नगर निगमों में तथा नगर पालिका परिषद्रों में यद्यपि महिलाओं का आरक्षण तो है। महिलाएं वहां चुनी भी जाती हैं, लेकिन जो व्यवहारिक स्थिति है, उसमें अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है और कल भी मैंने इस बात को कहा था कि उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उसको संचालित करने में उनका सहयोग करता है। न केवल सहयोग करता है, बल्कि वह अगुआ बनकर चलता है और मैं समझता हूँ कि इस परम्परा को बदलना चाहिए और यह परम्परा बदल सकती है ऊपर से, और इसके ऊपर से बदलने की जो लोग उम्मीद करते हैं वह इस विधान सभा ने कल करके दिखाया। 47 महिला इस विधान सभा में सदस्य हैं, उसमें से एक-दो सदस्यों ने कहा था कि हम लिखकर दे देंगे, हो सकता है कि आपको लिखकर दे दिया हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से 38 मा0 महिला सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करे। पहली बार यह परम्परा भी पड़ी और उसका मैसेज मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में है कि पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने इसमें अगुवाई की है और सही मायने में महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

कल मैंने देखा कि आपस में महिलाएं एक-दूसरे को यह दिखा रही थीं कि तुम अच्छा बोली कि मैं अच्छा बोली, लेकिन यह सही है कि महिलाओं का प्रदर्शन काफी कुछ अच्छा रहा। मैंने तो कल भी कहा था कि पुरुषों से भी अच्छा रहा। (मेजों की थपथपाहट) जब आदमी जिम्मेदारी का एहसास करता है, जब वह यह महसूस करता है कि हमें ही करना है तो निश्चित रूप से उसके अन्दर कॉन्फिडेन्स भी डेवलप होता है। इतनी बड़ी विधान सभा में बोलना अपनी बात को रखना, अपने विचार को रखने के लिए पहले से तैयारी करना, मैं

समझता हूँ कि लगातार यह परम्परा जारी रहनी चाहिए और हमारी जितनी भी महिला सदस्य हैं उनको अपने विचार रखने चाहिए। यहां पर खास तौर से प्रश्नकाल तो विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष यह न समझे कि हम उनके लिए कह रहे हैं प्रश्नकाल वास्तव में विपक्ष का ही होता है, ताकि विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। हमारा इस बात को कहने का ये मतलब नहीं है कि इधर वाले शुरू हो जाये कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है। हमको अपनी बात मजबूती से कहने के लिए उतना आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग आत्मविश्वास डेवलप ही नहीं कर पाते हैं कि हम विधान सभा में आ गये। 4 लाख, 5 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं लेकिन यह कॉन्फिडेन्स ही नहीं डेवलप हो पाता और वह कॉन्फिडेन्स तभी डेवलप हो पायेाग जब वे स्वयं तैयारी करके अपने विचार रखेंगी और हर मामले में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर होंगी और उसकी शुरुआत जो आपने की है यह एक बहुत अच्छी परम्परा रही, बहुत अच्छी शुरुआत है और हर तरह से यह विधान सभा का लघु सत्र सही, लेकिन बहुत कामयाब सत्र हुआ है। आज हमारे विपक्ष के लोग जिस बात को लेकर यहां से चले गये, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात यहां पर है, जिसका उत्तर न आया हो, कोई ऐसा विषय नहीं था, जिसका उत्तर न दिया गया हो, कोई ऐसा कारण पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से बायकाट करना पड़ा हो। उनका कोई निजी काम होगा या कोई निजी एजेण्डा होगा या किसी प्रकार से उनकी कोई निजी अपनी समस्या होगी जिसकी वजह से आज उन्होंने यहां पर विधान सभा का बहिष्कार किया।

हम समझते हैं कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, जितने भी मुद्दे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जिसने-जिसने जो बात कही, उसका सरकार की तरफ से पूरा समुचित उत्तर देने का प्रयास किया गया और वह कल शाम तक सन्तुष्ट भी दिखे थे। कल शाम तक प्रशंसा भी कर रहे थे। अभी मैंने देखा, आपके कक्ष में 10-12 लोग आपको धन्यवाद देने गये थे, फिर उसके बाद एक साहब आये और कहने लगे चलो, चलो, चलो। सवाल यह है कि कोई कारण होना चाहिए। इतनी बड़ी एक जिम्मेदार पार्टी के लोगों को यह बताना चाहिए कि आखिरकार सदन से तुम जा रहे हो, कोई नया डेवलपमेण्ट नहीं है, कोई नई घटना नहीं है, कोई नया ऐसा सर्कमटान्सेस नहीं पैदा हो गया जिसकी वजह से हाउस छोड़कर चले गये, लेकिन अगर रहते तो ज्यादा अच्छा होता, सामने की सीटें खाली दिखायी पड़ रही हैं। मैं मा0 मोना जी और उनकी पार्टी के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हर मामले में पार्टिसिपेट भी करती हैं, सरकार को सुझाव भी देती हैं। मा0 उमाशंकर जी बैठे हैं, उनको भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वह भी एक बहुत एक्टिव और सक्रिय मेम्बर के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इस सदन में करते हैं। हमारे सभी मा0 मंत्रीगणों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हर समय चाहे तात्कालिक कोई प्रश्न हो, चाहे तुरन्त की कोई बात हो, हर समय इस बात की कोशिश की कि जो भी विषय विधान सभा के सामने आये, वह उसका तत्काल समाधान भी करवायें और उसका उत्तर

भी यहां विधान सभा में दें। आज मैंने मा0 शाही जी से रिक्वेस्ट की थी चूंकि उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी अपेक्षा की थी कि बाढ़ और सूखे पर वह अपनी बात रखेंगे और मैं समझता हूँ कि सदन में बहुत-से मेम्बर न होने के बाद भी उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आज बहुत अच्छी तरह से सूखे और बाढ़ के बारे में जो कार्यवाही है, उसको बताया, किन जनपदों में बाढ़ की स्थिति है, किन जनपदों में सूखा है, कितनी-कितनी वर्षा हुई, एक-एक बात को क्रिस्टल क्लियर करके उन्होंने सदन के सामने रखी। मैं समझता हूँ कि पूरे सदन ने इसका संज्ञान लिया और बहुत अच्छी तरह से उनको जानकारी भी मिल गयी कि कहां-कहां, किन जगहों पर कम वर्षा हुई या कहां बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। जहां-जहां जो सहायता दी जा रही है, उसके बारे में जानकारी दी गयी कि 104 करोड़ रुपया जिलों में अवमुक्त कर दिया गया है। किसी प्रकार की भी तत्काल राहत की बात होगी तो उसकी भी चिन्ता कर लेंगे और कहीं बाढ़ की व्यवस्था की बात होगी तो उसकी भी चिन्ता कर लेंगे। हर तरह से मैं समझता हूँ कि चाहे किसी विभाग का मामला हो, हमने जब-जब किसी से भी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने पूरी तत्परता दिखायी।

योगेन्द्र उपाध्याय जी भी आज विद्यालयों के सम्बन्ध में तैयार थे, जिन विद्यालयों के लिए छात्रसंघ वाला विषय आपने चयनित किया था। वह खासतौर से इसलिए ही आये थे, उनका विधान परिषद् में क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि वहां क्वेश्चन है, हमने कहा कि विधान परिषद् के क्वेश्चन के बाद आ जाना, वह भी यहां बैठे हैं। उन्होंने बताया था कि भई, हम चुनाव नहीं रोक रहे हैं, जो हाई कोर्ट का आदेश है कि जैसे सत्र शुरू हो, वैसे ही 6 से 8 हफ्ते तक चुनाव करा दिया जाये। विश्वविद्यालय एक ऑटोनामस बॉडी है। ऑटोनामस बॉडी के आधार पर वह अपनी सारी गतिविधियां गवर्न करते हैं। वह जब चाहे उचित निर्णय ले सकते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ने कहीं से भी कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा विषय नहीं है। आज हम अपने सभी मा0 सदस्यों को जो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या हमारी सहयोगी पार्टी के हों, सभी को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे अपना दल वाले नेता भी नहीं हैं, संजय निषाद जी भी नहीं हैं। हम अपने सभी मा0 सदस्यों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि पूरी तन्मयता के साथ सदन में रहने का उन्होंने प्रयास भी किया। जितना ज्यादा सदन में हमारे नये सदस्य रहेंगे, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। हर तरह से सरकार की भी और मा0 योगी जी की भी मंशा है। माननीय योगी जी पहले दिन भी रहे और उन्होंने कल भी खास तौर से इस सत्र की शुरुआत की। जिस तरीके से एक नेता सदन को संरक्षण देना चाहिए हर उस तरह से नेता सदन ने हमें पूरा संरक्षण दिया और इस बात की खैर-खबर भी लेते रहे। अभी भी उनका फोन आया था और मैं उनसे फोन से बात भी करने गया था। मेरा कहना यह है कि यह सदन बड़े ही सद्भावनापूर्ण माहौल में चला। आखिरी में इन्होंने जरूर भरी हुई दूध की बाल्टी में मक्खी डाल दी।

(सदन में हंसी)

अगर ये रहते तो अच्छा था। कम-से-कम सामने बात होती, सुनते। अध्यक्ष जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रमुख सचिव जो बहुत विद्वान भी हैं और बहुत सब्मिसिव भी हैं हर तरह से समस्या का समाधान करते हैं। प्रमुख सचिव, विधान सभा, मार्शल और सभी लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोगों के सहयोग से यहां पर कार्रवाई को सुचारु रूप से चलाया गया। हमारे पत्रकार मित्र और गैलरी में बैठे हुए लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ। आज यहां दर्शक दीर्घा में विशेष रूप से जो अपनी उपस्थिति दर्शाए हुए हैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया और आज की इस कार्यवाही को मैं समझता हूँ कि अब समाप्त किया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मानसून सत्र में जिस तरह से पिछले 05 दिनों का भले ही अल्प समय का ये सदन रहा हो पर इस सदन ने एक इतिहास रचा। कल हमने देखा कि एक दिन पूरा महिला सदस्यों के लिए समर्पित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आप द्वारा यह एक नई शुरुआत, एक नई परम्परा प्रस्तावित थी। कल बहुत ही सुन्दरता से नेता सदन, नेता विरोधी दल, हर दल के नेता और सदन के सभी सदस्यों ने इसमें सहयोग किया। कल जिस तरह से हमारी महिला सदस्यों ने अपनी बात को रखा और सबसे अच्छी बात यह रही कि आपने पीठ पर भी प्रयास किया कि महिला सदस्य ही उसका संचालन करें। यह एक नई परम्परा शुरू हुई है जिसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश, देश में ही नहीं पूरे विश्व में शुरू हो गई है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हर तरह की परिस्थितियों में आपने प्रयास किया कि हम लोगों तक सही जवाब पहुंचे और सदन सुचारु रूप से चले। मंत्रिमण्डल के हमारे सभी माननीय मंत्रियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सबने पूरा प्रयास किया कि जो विपक्ष के सवाल थे उनका जवाब आप दें। यह विपक्ष और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारु रूप से चले। हम लोगों का भी प्रायस रहा कि जो सुझाव हमारे पास थे हमने सदन पर रखें और बहुत सारे सुझाव हमारे लिये भी गये। मैं मानती हूँ कि बहुत ही अल्प समय होते हुए भी यह सदन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। माननीय प्रमुख सचिव, विधान सभा, उनका पूर स्टाफ, मार्शल, अधिकारी, पत्रकार साथियों और सदन के सभी सदस्यों ने इस सदन को चलाने में सहयोग किया इसके लिए मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि नियम-300 में मैंने एक सूचना दी थी जो सारे सदन के सदस्यों से सम्बन्धित थी। आपने आज उसको अग्राह्य किया। अन्त में मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि सदन के सदस्य जो यहां बैठे हैं वह बहुत मेहनत कर, जीत कर अपनी-अपनी विधान सभा से आते हैं। जब सदन चलता है तो यह अपने परिवार को और

अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके इस सदन को चलाने में सहयोग करने के लिए यहां पर उपस्थित होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह जिम्मेदारी है और इसको यह बखूबी निभाते भी हैं। पर जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं। अध्यक्ष जी, कभी सोचिये कि अगर महंगाई का असर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है तो क्या यह सदस्यों के घरों में नहीं है। अध्यक्ष जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था और मैंने सूचना भी दी थी। मान्यवर, मैं इनके लिए नहीं कह रही हूँ। इसमें बहुत सारे हमारे चाचा लगते हैं, बहुत सारे ताऊ लगेंगे, बहुत सारे भाई हैं, इसलिए मैं अपनी चाची, ताई और भाभियों के लिए कह रही हूँ। उन गृहणियों को जिनके हाथ में यह अपना मानदेय जा करके महीने के अन्त में रखते होंगे, उसको भी रसोई चलाने में कितनी बड़ी समस्या होती होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसमें अनुरोध किया था, पिछले कार्यकाल, 17वीं विधान सभा में एक समिति बनी थी और इसी सदन में घोषणा हुई थी कि समिति बनेगी जो समय-समय पर हमारे मानदेय और वेतन का आंकलन करेगी। हर किसी का होता है, चाहे वह वेतन आयोग हो, बड़ी-बड़ी चीजें हों तो सदस्यों का भी आंकलन होना चाहिए। महंगाई का असर उन पर भी पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यह समिति गठित हो चुकी है, पर क्रियाशील नहीं थी तो उसको क्रियाशील करें और कम-से-कम वह कमेटी महंगाई को ले करके आंकलन करे और उसका जवाब आ जाये ताकि सदस्यों की भी जो समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जब हम लोग मिल करके आपको इस पीठ पर विराजमान किये और हम लोगों ने जो प्रथम दिन आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके संसदीय ज्ञान की सीमाओं के बारे में और आपके अनुभव के बारे में चर्चा की थी तो मुझे लगता है कि वह बहुत कम थी। हम सत्र आहूत कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन आप जब भी इस पीठ पर बैठे हैं, मैंने एक चीज पहले दिन भी कहा था कि इस पीठ पर बैठे कुछ विशेष लोगों का जिस तरह से नाम लिया जाता है, मुझे लगता है कि आपके जो कर्म हैं, जो आपकी विधान सभा के प्रति लगन है, जो विधान सभा के प्रति आपकी दिन-प्रतिदिन नई सोच डेवलप हो रही है, उससे मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ ही आपका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अध्यक्ष

जी, बड़ी प्रसन्नता होती है जब कहीं चर्चा होती है और यह बात आती है कि आप किसके गार्जियनशिप में राजनीति कर रहे हैं और किसके गार्जियनशिप में आप हाउस में बैठते हैं और जब आपके बारे में लोग बताते हैं तो एक सदस्य होने के नाते हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे अध्यक्ष जी की प्रशंसा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सम्बद्ध कर रहा हूँ, जिन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी बात कही है और साथ ही मैं माननीय सदस्य श्रीमती आराधना जी से भी अपने आपको सम्बद्ध कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आपकी जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम है। इस बार मैंने देखा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी पहले की अपेक्षा इस बार काफी प्रसन्नचित आये, बहुत ही प्रसन्न रहे और एक कहावत कही जाती है कि 'नीम हकीम खतरे जान'। जैसे अगर हम उस डॉक्टर के वहां इलाज कराने जायें, जिस डॉक्टर को उस रोग के बारे में पता ही नहीं हो और हम उससे इलाज करायेंगे तो जान को ही खतरा होगा। लेकिन आज जब इस पीठ पर आप जैसे विद्वान बैठे हों। जिस संसदीय कार्य का नेतृत्व, जब वह इधर थे, तबसे हम उनसे सीख रहे हैं, ऐसे हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री खन्ना जी हैं। मुझे लगता है कि लॉ में काफी जानकार और काफी दिनों का पुराना अनुभव रखने वाले हमारे प्रमुख सचिव, विधान सभा हैं। हो सकता है कि मुझे जानकारी न हो, हालांकि अभी नहीं कहना चाहिए कि उस पीठ से जब भी निर्देश दिये जाते हैं, वह भी नेता सदन महोदय की उपस्थिति में और अगर नेता सदन इस बात को कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश हो और वह पीठ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश देती है और फिर माननीय नेता सदन कहते हों कि संसदीय कार्य मंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाये और वह कमेटी इतने दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी।

कोरोना का समय आया तब कोरोना की वजह से वह कमेटी राहत कार्यों में लग गई। उस समय हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष थे उस समय कोरोना की जिम्मेदारी उन पर ज्यादा थी क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग भी उनके पास था, उन्होंने काफी दौरा भी किया। तो मुझे लगता है कि वह उसमें व्यस्त हो गये, लेकिन फिर ऊपर वाले ने फिर उसी तरह से ला करके संसदीय कार्य मंत्री जी को बैठा दिया जोकि मुझे लगता है कि हम लोग इधर से कोई किताब भी खोलते हैं, मान्यवर आपका भी कॉन्फिडेन्ट इतना ज्यादा है कि आप भी कहते हैं कि मैं बताता हूँ इसके आगे वाला नियम। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद संसदीय कार्य मंत्री जी के रूप में इतने विद्वान व्यक्ति बैठे हैं। उस बात को नेता सदन ने इसलिए कहा था कि जब वह पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे और उस समय स्पीकर साहब लोक सभा अध्यक्ष जी ने इसी तरह की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने बनाया था। इस बार की कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी को बना दिया। इसीलिए इस बार आपको वित्त मंत्री का दायित्व भी मिला है केवल इसलिए मिला है कि आप उसका

निस्तारण कर देंगे। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और जो हमारे मंत्रीगण हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य इस बात को समाप्त करिये। जब मुख्य मंत्री जी हों तब इस बात को करियेगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। कल तो केवल महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी थी। हमारी आदरणीय अनुपमा जी ने कल जो उद्बोधन दिया उसकी जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। आपने कल बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और माननीय अध्यक्ष जी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी इश्यू से हम वॉकआउट करते भी हैं, हम किसी इश्यू पर बहिर्गमन कर सकते हैं, सरकार की जो नीतियां या कार्यपद्धति है उसका हम बहिर्गमन कर सकते हैं, जिस समय हमारा सदन उठने का समय आ जाये, जन-गण-मन करने का समय आ जाये मुझे लगता है कि सारे कामों को छोड़ करके जब पीठ और माननीय हमारे विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित जितने उनके अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, मार्शल के सहयोगी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन सभी के प्रति जब हमारे आभार व्यक्त करने का समय आये तो मुझे लगता है कि वह समय नहीं चूकना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारे विपक्ष के कुछ साथी नहीं हैं, लेकिन अगर जाने-अनजाने कोई गलती हो गई हो तो मैं सबकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ।

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका व सदन के सभी सदस्यों का और सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जबसे सदन में आया हूँ, लेकिन जो परम्परा और जो आपने व्यवस्था दी है आधी आबादी के लिए वह आज इस देश में ही नहीं वरन् पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही है। जिस तरह से सदन के मा0 सदस्यों ने अपनी प्रतिभा दिखायी, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई दे रहा हूँ। आपने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने विपक्ष को भी उतना ही अवसर दिया है, जितना सत्ता पक्ष को दिया है, ताकि सभी बारी-बारी से अपनी बात को कह सकें। हम लोग नये सदस्य हैं और अभी हम लोग सीख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि नये सदस्यों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाय, ताकि उनके अन्दर भी प्रतिभा आये। जो यह सदन चला है, सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया और सहयोग किया। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जैसे

कि हमारे उमाशंकर जी ने कहा कि आज जिस प्रकार से बहिर्गमन हुआ वह अच्छा नहीं लगा, कम से कम अन्तिम दिन सदन में सभी को रहना चाहिए। नोक-झोंक अपनी जगह है लेकिन सदन एक ऐसी जगह है जहां भाग्य लिखा जाता है। पिछली सरकारों में और अबकी सरकारों में बहुत अन्तर है और वह अन्तर यहां सदन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अन्त में मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री राम निवास वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस मानसून सत्र में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उद्‌बोधन से अपने को सम्बद्ध करते हुए सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[01:42] नियम-107 के अन्तर्गत कृषि मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय गौ-आधारित प्राकृतिक पद्धति पर दो दिवसीय सेमिनार के आयोजन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 कृषि मंत्री जी नियम-107 में कुछ कहेंगे।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं नियम-107 में सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूँ। कल उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय गौ-आधारित प्राकृतिक पद्धति पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें गुजरात के श्रीमन् राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। एक नई पद्धति का प्रारम्भ हो रहा है, हालांकि अपनी पद्धति प्राचीन है, लेकिन एक मिशन मोड में राज्य सरकार काम कराना चाहती है और उस दृष्टि से यह दो-दिवसीय सेमिनार है। कल प्रातःकाल साढ़े दस बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम शुरू होगा, मैं माननीय विधायकगण से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर वहां उपस्थित रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सेमिनार के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

[01:43] मा0 अध्यक्ष द्वारा नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य सभी सदस्यों के प्रति आभार

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद माननीय मंत्री जी।

18वीं विधान सभा के दूसरे सत्र में, जो सोमवार को शुरू हुआ था, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। मैं आभारी हूँ सभी सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी की है जनता की समस्याओं को लेकर, अपने विधान सभा सभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अधिक से अधिक उपस्थिति इस सदन में दी। कल वह बहुत व्यस्त थे, लेकिन जब मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महिला सदस्यों के लिए एक दिन का सदन आरक्षित किया जायेगा तो उसमें भी वह उपस्थित रहे। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस पूरे सदन को चलाने में उन्होंने अपनी सूझ-बूझ, अपने संवैधानिक ज्ञान, परम्पराओं और नियमावली के ज्ञान का परिचय दिया। कौन सी बात किस समय कहनी है और कौन सी बात कहां पर प्रभावी है उस ढंग से जिनका इस उत्तर प्रदेश के वर्तमान सदन में जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनसे हम सब लोग, मैं भी बहुत कुछ सीख कर, इस कुर्सी पर बैठा हूँ। उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने विधान सभा के सत्र को संचालन करने में अपना बहुत अच्छा मार्गदर्शन/सहयोग दिया।

मैं सरकार के सभी सम्मानित मंत्रियों को, जो बहुत तैयारी के साथ आये थे अपने उत्तरों को लेकर, विभिन्न बिलों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने अपना-अपना विशेष पक्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया, प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। मैं सभी सम्मानित मंत्रीगणों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं नेता प्रतिपक्ष, जो आज सदन में मौजूद नहीं हैं, अच्छा होता कि वे आज यहां पर होते, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विगत तीन-चार दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने विधान सभा में अपनी बात रखी। मैं नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी को, नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह जी को, निषाद पार्टी के श्री संजय जी को, श्री आशीष जी को, श्री रामनिवास जी को, श्री वेदीराम जी एवं सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी को, उनके समस्त सहयोगियों को, अपने मार्शल और सुरक्षा के समस्त कर्मचारियों को, जिन्होंने विधान सभा के सत्र में बहुत समय तक रुक कर, अगर हमें आवश्यकता पड़ी, तो लम्बे-लम्बे समय तक हम बैठे हैं, सब लोगों के बिना सम्भव नहीं है। हमारे एक छोटे से कर्मचारी, जो सबसे छोटे पद पर भी होगा, बिना उसके सहयोग के हम कोई भी काम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि 18वीं विधान सभा के स्वरूप में रोज एक नई चीज देखने को मिलती है। एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपका कार्यालय बहुत

अच्छा है, तो मैंने कहा कि ये मेरा कार्यालय नहीं है, ये विधान सभा अध्यक्ष का कार्यालय है। चाहे ये वाली गैलरी हो, चाहे वो वाली, दोनों मेन गैलरी पर काम चल रहा है। अगली बार जब आप आयेंगे, तो वे दोनों गैलरियां भी ऐसी ही सुन्दर मिलेंगी, जैसे ये वाली गैलरी आपको एक नये लुक में देखने को मिली है।

हां और ना लॉबी में जिस प्रकार से मैंने परिवर्तन किया है, अभी इसमें मेकअप करना बाकी है। जब आप अगली बार आओगे, तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछली बार एक निवेदन किया था कि हमारे परिवार के सदस्य भी विधान सभा घूमने आयें। मैंने अपने ऊपर इस बात का उदाहरण दिया था। हम लोगों का पूरा कार्यकाल निकल जाता है, लेकिन हम लोगों का परिवार एक भी बार विधान सभा देखने नहीं आ पाता है। मैंने इस बात को कहा था कि पहले अपने परिवार के सदस्यों से शुरू करें, फिर अपने विधान सभा क्षेत्र के जो स्टूडेन्ट्स हैं, जो एकेडमिक हैं, उन लोगों को विधान सभा दिखाने लेकर आयें। जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर आयें, वकीलों को लेकर आयें, जीनियस को लेकर आयें।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा की एक चर्चा जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नये स्वरूप में हुई है, उसमें मेरे को बहुत सहयोग मिलेगा, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। ये विधान सभा सिर्फ जो 403 निर्वाचित सदस्यों की ही नहीं है, बल्कि ये विधान सभा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की भी है। मैं इस बात का एहसास इसलिए भी करता हूँ कि जिस समय मैं विधायक नहीं था और इस देश के अन्य किसी राज्य में घूमने गये थे, तो वहां पर जो मेरा गाइड था, ड्राइवर था, उसने कहा कि ये यहां की विधान सभा है। उस समय मैं लखनऊ की विधान सभा को बाहर से देखा करता था। मेरे को कल्पना भी नहीं थी कि कभी मैं इस विधान सभा की हाउस में जाकर बैठूंगा, लेकिन जिस समय मैं उस प्रदेश की विधान सभा के सामने से निकला, तो वहां के गाइड ने कहा कि ये हमारी विधान सभा है। तब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी विधान सभा से अच्छी हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा है, तो प्रत्येक नागरिक की ये विधान सभा है।

(सदन में उपस्थित सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

हम लोगों को ये नहीं प्रतीत होना चाहिए कि ये विधान सभा सिर्फ निर्वाचित 403 सदस्यों की ही है। इस प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारे इस विधान सभा के ऊपर गर्व करेगा और देश में किसी भी स्थान पर जा करके कहेगा कि मेरे उत्तर प्रदेश की विधान सभा है। इस कारण से हम लोगों को इसकी गरिमा, दिव्यता और भव्यता को बनाकर रखना है।

मैंने भी उस बात को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया था कि सारे सदस्य के परिवार के लोग आयें। उसका पोर्टल भी मेरा बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ा सा काम चल रहा था, जैसे कि मैंने देखा कि हमारे साइड गैलरी में भी काम चल रहा था। हमारी हां, ना लॉबी में भी काम चल रहा था और भी बहुत सारी नई चीजें अगले आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने कल कहा कि इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा महत्व यह नहीं हो सकता कि गैलरी अच्छी होगी। महत्व इस बात का है कि विधान सभा की कार्यवाही में हमारे विधायकों ने किस प्रकार अपना योगदान दिया और जनता की समस्या किस प्रकार से उठाई।

यह लगातार दूसरा सत्र है जो बिना स्थगन के पूरा हुआ, मैंने 32 साल में एक भी सदन नहीं देखा जो बिना स्थगन के पूरा हुआ हो। वह तब पूरा होता है जब सब लोगों का सहयोग होता है, वह तब पूरा होता है कि जब हमारे मंत्री सभी बातों का जवाब लेकर इस सदन के अन्दर बैठते हैं, अगर विपक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न किया जाता है, अगर जवाब सही होता है तो स्थगन की नौबत नहीं पड़ती। इसमें विपक्ष का भी सहयोग होता है, क्योंकि हाउस को सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों मिलकर चलाते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का यह सदन रोज नित नये इतिहास बनाने में अग्रसर हो रहा है। कनाडा में स्पीकर्स की हर वर्ष कान्फ्रेंस होती है, पूरी दुनियां सी0पी0ए0 के स्पीकर पार्लियामेन्ट एसोसिएशन के वहां पर आते हैं तो वहां पर भी मा0 अध्यक्ष लोक सभा श्री ओम बिरला जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की विधान सभा के बारे में सबके सामने चर्चा की थी, उसमें आपको जानकर प्रसन्नता होगी जो ई-विधान उत्तर प्रदेश की विधान सभा में लागू हुआ, देश के अन्य 7-8 विधान सभाओं के लोग हमारी इस ई-विधान को देखकर यहां से सीख कर गये हैं और अपने यहां लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण था। मैं मीडिया के बंधुओं का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस भाव को जिस हेतु जिस विचार के कारण कल का सदन महिलाओं के लिए आहूत किया गया था, उसको बहुत स्पष्टता के साथ दिखाया, बहुत ही बारीकी से दिखाया गया। मैंने देखा है मीडिया के द्वारा कल से चाहे वह इलेक्ट्रानिक मीडिया का हो या प्रिन्ट मीडिया का हो यह बहुत ही पॉजिटिव-वे में था और वह भी पॉजिटिव केवल उत्तर प्रदेश में क्योंकि निगेटिव न्यूज उत्तर प्रदेश से ज्यादा जाती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का इतिहास उत्तर प्रदेश की विधान सभा आप लोगों के कारण एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए कार्य कर रही है।

मैं मीडिया के बंधुओं का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज दूसरे सत्र का समापन का दिन है, बहुत ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा के प्रत्येक 403 सदस्य अपने छवि के द्वारा, अपने कमिटमेन्ट के द्वारा जो हम लोगों ने अपनी विधान सभा क्षेत्र के लोगों के साथ किये हैं, उसको पूरा करने में सरकार

हर प्रकार का सहयोग दे रही है। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम जनता का काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है यदि उसमें किसी भी सदस्य को किसी भी कार्य की जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए उपस्थित रहूंगा, मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ और यह मात्र 5 दिन का महत्वपूर्ण सत्र जिसने एक गूंज और एक नयी शुरुआत अन्य विधान सभाओं को एक रास्ता दिखाने का काम किया, इसके लिए मैं अपने सारे मा0 सदस्यों के प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-124 में राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' होगा।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक, 23 सितम्बर, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ-20 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के 1-शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर का संलग्नक।

कारागारों का नाम, बन्दी क्षमता एवं बन्दी संख्या (दिनांक-31.08.2022)

क्र0	कारागारों का नाम	बन्दी क्षमता	निरूद्ध बन्दी
1	2	3	4
1	आदर्श कारागार लखनऊ	600	247
2	नारी बन्दी निकेतन	420	188
3	किशोर सदन बरेली	188	बन्दी निरूद्ध नहीं
4	महिला केन्द्रीय कारागार,बरेली	120	138
5	केन्द्रीय कारागार, नैनी	2060	4605
6	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	1266	1300
7	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	1574	1563
8	केन्द्रीय कारागार, बरेली	1799	1648
9	केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय)	3438	3209
10	केन्द्रीय कारागार, आगरा	1590	1561
11	केन्द्रीय कारागार, इटावा	1942	बन्दी निरूद्ध नहीं
12	जिला कारागार, आगरा	1195	3388
13	जिला कारागार, फिरोजाबाद	855	1849
14	जिला कारागार, मैनपुरी	798	1352
15	जिला कारागार, मथुरा	554	1841
16	जिला कारागार, अलीगढ	1178	4106
17	जिला कारागार, एटा	607	1425
18	जिला कारागार, कासगंज	1050	988
19	जिला कारागार, झांसी	536	1637
20	जिला कारागार, ललितपुर	182	554
21	जिला कारागार, उरई	430	1022
22	जिला कारागार, बदायूँ	529	1500
23	जिला कारागार, शाहजहांपुर	511	1534
24	जिला कारागार, पीलीभीत	602	1213
25	जिला कारागार, मुरादाबाद	791	3786
26	जिला कारागार, रामपुर	450	1090
27	जिला कारागार, बिजनौर	580	1389
28	जिला कारागार, लखनऊ	3540	4396
29	जिला कारागार, रायबरेली	486	1473
30	जिला कारागार, उन्नाव	650	1562
31	जिला कारागार, हरदोई	748	1597
32	जिला कारागार, सीतापुर	969	2091
33	जिला कारागार, खीरी	725	1996
34	जिला कारागार, कानपुर नगर	1245	3101

35	जिला कारागार, कानपुर देहात	1050	1837
36	जिला कारागार, इटावा	610	1983
37	जिला कारागार, फतेहगढ़	846	1157
38	जिला कारागार, कन्नौज	660	1095
39	जिला कारागार, बुलन्दशहर	1010	2789
40	जिला कारागार, मेरठ	1707	3059
41	जिला कारागार, बागपत	660	1081
42	जिला कारागार, गाजियाबाद	1704	5637
43	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	3750	2808
44	जिला कारागार, सहारनपुर	533	1974
45	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	870	3008
46	जिला कारागार, फतेहपुर	670	1601
47	जिला कारागार, प्रतापगढ़	458	1171
48	जिला कारागार, वाराणसी	747	2715
49	जिला कारागार, गाजीपुर	397	1236
50	जिला कारागार, जौनपुर	320	1329
51	जिला कारागार, मिर्जापुर	332	927
52	जिला कारागार, सोनभद्र	550	1240
53	जिला कारागार, ज्ञानपुर	114	465
54	जिला कारागार, बांदा	567	1091
55	जिला कारागार, चित्रकूट	862	751
56	जिला कारागार, हमीरपुर	400	1009
57	जिला कारागार, गोरखपुर	1062	2427
58	जिला कारागार, महराजगंज	550	974
99	जिला कारागार, देवरिया	533	2312
60	जिला कारागार, बस्ती	540	1061
61	जिला कारागार, संतकबीरनगर	562	537
62	जिला कारागार, सिद्धार्थ नगर	540	836
63	जिला कारागार, अयोध्या	720	1364
64	जिला कारागार, अम्बेडकरनगर	971	908
65	जिला कारागार, बाराबंकी	960	1663
66	जिला कारागार, सुल्तानपुर	443	1700
67	जिला कारागार, बहराइच	540	1582
68	जिला कारागार, गोण्डा	508	1176
69	जिला कारागार, बलरामपुर	420	537
70	जिला कारागार, आजमगढ़	1244	2491
71	जिला कारागार, मऊ	540	648
72	जिला कारागार, बलिया	339	609
73	जिला कारागार, कौशाम्बी	420	908
74	उप कारागार देवबन्द	131	235
75	उप कारागार महोबा	175	514
	योग	64223	121794

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-45 का उत्तर पीछे पृष्ठ-54 पर) **संलग्नक-1**

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित
श्री हाजी इरफान सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये
अतारांकित प्रश्न संख्या–45 के उत्तर का संलग्नक

कारागारों का नाम, बन्दी क्षमता एवं बन्दी संख्या (दिनांक–31.08.2022)

क0	कारागारों का नाम	बन्दी क्षमता	निरूद्ध बन्दी
1	2	3	4
1	आदर्श कारागार लखनऊ	600	247
2	नारी बन्दी निकेतन	420	188
3	किशोर सदन बरेली	188	बन्दी निरूद्ध नहीं
4	महिला केन्द्रीय कारागार,बरेली	120	138
5	केन्द्रीय कारागार, नैनी	2060	4605
6	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	1266	1300
7	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	1574	1563
8	केन्द्रीय कारागार, बरेली	1799	1648
9	केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय)	3438	3209
10	केन्द्रीय कारागार, आगरा	1590	1561
11	केन्द्रीय कारागार, इटावा	1942	बन्दी निरूद्ध नहीं
12	जिला कारागार, आगरा	1195	3388
13	जिला कारागार, फिरोजाबाद	855	1849
14	जिला कारागार, मैनपुरी	798	1352
15	जिला कारागार, मथुरा	554	1841
16	जिला कारागार, अलीगढ	1178	4106
17	जिला कारागार, एटा	607	1425
18	जिला कारागार, कासगंज	1050	988
19	जिला कारागार, झांसी	536	1637
20	जिला कारागार, ललितपुर	182	554
21	जिला कारागार, उरई	430	1022
22	जिला कारागार, बदायूँ	529	1500
23	जिला कारागार, शाहजहांपुर	511	1534
24	जिला कारागार, पीलीभीत	602	1213
25	जिला कारागार, मुरादाबाद	791	3786
26	जिला कारागार, रामपुर	450	1090
27	जिला कारागार, बिजनौर	580	1389
28	जिला कारागार, लखनऊ	3540	4396
29	जिला कारागार, रायबरेली	486	1473
30	जिला कारागार, उन्नाव	650	1562
31	जिला कारागार, हरदोई	748	1597
32	जिला कारागार, सीतापुर	969	2091
33	जिला कारागार, खीरी	725	1996
34	जिला कारागार, कानपुर नगर	1245	3101

35	जिला कारागार, कानपुर देहात	1050	1837
36	जिला कारागार, इटावा	610	1983
37	जिला कारागार, फतेहगढ़	846	1157
38	जिला कारागार, कन्नौज	660	1095
39	जिला कारागार, बुलन्दशहर	1010	2789
40	जिला कारागार, मेरठ	1707	3059
41	जिला कारागार, बागपत	660	1081
42	जिला कारागार, गाजियाबाद	1704	5637
43	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	3750	2808
44	जिला कारागार, सहारनपुर	533	1974
45	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	870	3008
46	जिला कारागार, फतेहपुर	670	1601
47	जिला कारागार, प्रतापगढ़	458	1171
48	जिला कारागार, वाराणसी	747	2715
49	जिला कारागार, गाजीपुर	397	1236
50	जिला कारागार, जौनपुर	320	1329
51	जिला कारागार, मिर्जापुर	332	927
52	जिला कारागार, सोनभद्र	550	1240
53	जिला कारागार, ज्ञानपुर	114	465
54	जिला कारागार, बांदा	567	1091
55	जिला कारागार, चित्रकूट	862	751
56	जिला कारागार, हमीरपुर	400	1009
57	जिला कारागार, गोरखपुर	1062	2427
58	जिला कारागार, महराजगंज	550	974
99	जिला कारागार, देवरिया	533	2312
60	जिला कारागार, बस्ती	540	1061
61	जिला कारागार, संतकबीरनगर	562	537
62	जिला कारागार, सिद्धार्थ नगर	540	836
63	जिला कारागार, अयोध्या	720	1364
64	जिला कारागार, अम्बेडकरनगर	971	908
65	जिला कारागार, बाराबंकी	960	1663
66	जिला कारागार, सुल्तानपुर	443	1700
67	जिला कारागार, बहराइच	540	1582
68	जिला कारागार, गोण्डा	508	1176
69	जिला कारागार, बलरामपुर	420	537
70	जिला कारागार, आजमगढ़	1244	2491
71	जिला कारागार, मऊ	540	648
72	जिला कारागार, बलिया	339	609
73	जिला कारागार, कौशाम्बी	420	908
74	उप कारागार देवबन्द	131	235
75	उप कारागार महोबा	175	514
	योग	64223	121794

संलग्नक-2

जेल कर्मियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या का विवरण।

क्र.	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	अपर महानिरीक्षक कारागार (प्र0)	1	1	0
2	अपर महानिरीक्षक कारागार (वि0)	2	0	2
3	पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार	3	1	2
4	उप महानिरीक्षक कारागार	7	3	4
5	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार ग्रेड–2	10	4	6
6	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार ग्रेड–1	13	10	3
7	अधीक्षक कारागार	72	48	24
8	कारापाल	98	93	5
9	अधिशासी अभियन्ता	1	0	1
10	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1
11	शोध अधिकारी	1	1	0
12	निदेशक, कारागार उद्योग	1	0	1
13	कृषि अधिकारी	1	0	1
14	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	3	0	3
15	प्रशासनिक अधिकारी	19	19	0
16	वैयक्तिक सहायक	3	0	3
17	उप कारापाल	487	265	222
18	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 अशुलिपिक	3	2	2
19	प्रधान सहायक मुख्यालय	34	34	0
20	प्रधान सहायक कारागार	6	5	1
21	वरिष्ठ सहायक मुख्यालय	34	34	0
22	वरिष्ठ सहायक कारागार	59	55	4
23	कनिष्ठ सहायक मुख्यालय	46	33	13
24	कनिष्ठ सहायक कारागार	148	124	24
25	विशेष कार्याधिकारी	3	3	0
26	शोध सहायक	4	1	3
27	वैयक्ति सहायक ग्रेड–2 अशुलिपिक	7	7	0
28	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	2	1	1
29	लेखाकार	68	27	41
30	संगणक	1	0	1
31	उर्दू अनुवादक/सह प्रधान सहायक	24	24	0
32	मान चित्रकार	2	0	2
33	आशुलिपिक	14	4	10
34	लेखापरीक्षक	2	0	2
35	सहायक लेखाकार	24	10	14
36	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	73	0	73
37	फार्म लिपिक	5	3	2

38	चिकित्साधिकारी (चिकित्सा विभाग द्वारा)	153	119	34
39	फार्मासिस्ट	149	60	89
40	नर्स	12	2	10
41	लैब टेक्नीशियन	8	3	5
42	एक्स–रे टेक्नीशियन (चिकित्सा विभाग द्वारा)	31	2	29
43	डार्करूम अटेन्डेन्ट (चिकित्सा विभाग द्वारा) (समूह–घ)	27	8	19
44	लैब अटेन्डेन्ट(समूह–घ)	27	12	15
45	विद्युत मोटर वाइंडिग प्रशिक्षक	61	25	36
46	अनुदेशक बुनाई	12	6	6
47	अनुदेशक कटिंग एवं सिलाई	8	6	2
48	अनुदेशक दरी/कार्पेट डिजाईनर	5	2	3
49	अनुदेशक डाइंग और प्रिटिंग	5	3	2
50	प्रशिक्षक कारपेन्टर	4	4	0
51	अनुदेशक सिलाई मशीन अनुरक्षण	4	1	3
52	अनुदेशक टेन्ट वीनिर्माण	3	1	2
53	पम्प मकैनिक	3	2	1
54	अनुदेशक लोहारगिरी	2	2	0
55	अनुदेशक चमड़ा कार्य	2	1	1
56	अनुदेशक बैण्ड सा मशीन	2	1	1
57	अनुदेशक पेंट और पालिश	2	1	1
58	अनुदेशक पावरलूम मशीन अनुरक्षण	2	0	2
59	अनुदेशिका कटिंग सिलाई और बुनाई	1	1	0
60	प्लम्बर प्रशिक्षक	1	1	0
61	अनुदेशक हस्त निर्मित कागज	1	1	0
62	अनुदेशक प्रीटिंग प्रेस	1	1	0
63	अनुदेशक साबुन फिनायल	1	0	1
64	अनुदेशक मशीन सम्वर्ग	1	0	1
65	कालीन डिजाइनर मृत संवर्ग	1	1	0
66	प्रबन्धक जेल डिपो	1	1	0
67	सेल्समैन जेल डिपो	1	0	1
68	प्रवक्ता	4	2	2
69	प्रधानाध्यापक (शिक्षा विभाग द्वारा)	8	1	7
70	अध्यापक (शिक्षा विभाग द्वारा)	78	30	48
71	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0
72	प्रशिक्षक निर्माण	22	7	15
73	पी0टी0आई0	3	1	2
74	मिलिट्री ड्रिल इन्सट्रक्टर (एम0डी0आई0)	6	0	6
75	जेल वार्डर/हेड जेल वार्ड	9404	7125	2279
76	कृषि पर्यवेक्षक	11	3	8
77	बैण्ड मास्टर	2	2	0
78	विद्युतकार	16	10	6
79	जीप/जिप्सी चालक	20	18	2

80	एम्बुलेंस चालक	26	17	9
81	ट्रैक्टर चालक	18	14	4
82	ट्रक चालक/मिनी बस चालक	8	5	3
83	स्टाफ कार चालक	8	8	0
84	वाहन चालक	18	0	18
85	चौकीदार मुख्यालय	1	1	0
86	दफतरी मुख्यालय	2	2	0
87	स्वच्छकार मुख्यालय	4	1	3
88	हेड चपरासी मुख्यालय	5	3	2
89	फर्राश/चपरासी मुख्यालय	1	1	0
90	माली मुख्यालय	2	2	0
91	नलकूप चालक	7	4	3
92	चौकीदार जे0टी0एस0	2	2	0
93	स्वच्छकार जे0टी0एस0	5	3	2
94	नर्सिंग अर्दली जे0टी0एस0	1	1	0
95	माली जे0टी0एस0	2	3	+ 1 अधिसंख्य
96	चपरासी जे0टी0एस0	3	3	0
97	खल्लासी जे0टी0एस0	3	2	1
98	दफतरी जे0टी0एस0	1	0	1
99	कहार जे0टी0एस0	2	1	1
100	की मैन जे0टी0एस0	1	1	0
101	अर्दली जे0टी0एस0	1	0	1
102	चौकीदार कारागार	68	84	+ 16 अधिसंख्य
103	नाई कारागार	44	14	30
104	स्वच्छकार कारागार	276	169	107
105	नर्सिंग अर्दली कारागार सम्वर्ग	8	7	1
106	धोबी कारागार सम्वर्ग	2	2	0
107	माली कारागार सम्वर्ग	12	12	0
108	हेड माली कारागार सम्वर्ग	1	1	0
109	गार्डेन कुली कारागार सम्वर्ग	1	1	0
110	फालोवर कारागार सम्वर्ग	8	5	3
111	वार्ड ब्वाय कारागार सम्वर्ग	12	2	10
112	इक्कावान कारागार सम्वर्ग	1	1	0
113	वाटर कैरियर (पनिहा) (मृत संवर्ग)	81	50	0
114	चरवाहा कारागार	7	8	+ 1 अधिसंख्य
115	कामदार कारागार	4	3	1
116	गाड़ीवान कारागार	15	15	0
	योग	12050	8728	3310

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-68 का उत्तर पीछे पृष्ठ-68 पर।)

Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Board
Indira Bhawan, Lucknow, 260001
District Wise Registrations Progress Report on eShram Portal

Date. 14-09-2022

S.N	District	SSK Registration	CSC Registration	Self Registration	Registration by Umang	Confirmed Registration
1	Agra	32700	880754	819463	36	1732953
2	Aligarh	336	817383	606224	19	1423962
3	Ambedkar Nagar	321	585810	536474	10	1122615
4	Amethi	2168	386913	442168	10	831259
5	Amroha	75	441120	298777	10	739982
6	Auraiya	2781	407823	181663	5	592272
7	Ayodhya	750	593590	525364	10	1119714
8	Azamgarh	4710	702518	1216009	22	1923259
9	Baghpat	22475	232533	151253	12	406273
10	Bahraich	3089	1011010	485829	11	1499939
11	Ballia	1902	730177	673888	44	1406011
12	Balrampur	351	475715	332005	5	808076
13	Banda	1633	367380	333201	10	702224
14	Barabanki	329	920354	518580	11	1439274
15	Bareilly	4899	1060168	858140	19	1923226
16	Basti	4596	563307	476688	16	1044607
17	Bhadohi	870	395691	344799	7	741367
18	Bijnor	136	895970	592768	24	1488898
19	Budaun	3054	929536	454123	8	1386721
20	Bulandshahr	1553	712284	663500	22	1377359
21	Chandauli	247	516038	314989	9	831283
22	Chitrakoot	3447	279961	139335	8	422751
23	Deoria	669	617609	747847	25	1366150
24	Etah	643	463884	299797	8	764332
25	Etawah	5866	448779	233367	11	688023
26	Farrukhabad	2016	590228	224097	11	816352
27	Fatehpur	4619	662149	399613	11	1066392
28	Firozabad	4181	609497	466583	14	1080275
29	Gautam Buddha Nagar	422	137509	429213	67	567211
30	Ghaziabad	3434	221279	692656	71	917440

31	**Ghazipur**	935	667807	815695	14	1484451
32	**Gonda**	1640	836675	649720	14	1488049
33	**Gorakhpur**	506	1000438	910662	38	1911644
34	**Hamirpur**	5351	252162	214839	13	472365
35	**Hapur**	874	251657	236309	2	488842
36	**Hardoi**	914	1032431	738528	13	1771886
37	**Hathras**	1215	490330	193458	10	685013
38	**Jalaun**	779	394949	263081	9	658818
39	**Jaunpur**	643	963716	1175043	36	2139438
40	**Jhansi**	439	598776	180976	8	780199
41	**Kannauj**	2723	458541	298546	4	759814
42	**Kanpur Dehat**	780	549792	245846	7	796425
43	**Kanpur Nagar**	19666	644678	853823	38	1518205
44	**Kasganj**	839	403439	226136	3	630417
45	**Kaushambi**	236	381357	280699	4	662296
46	**Kheri**	6234	1055545	785834	16	1847629
47	**Kushinagar**	725	1066000	541718	36	1608479
48	**Lalitpur**	115	434964	154873	7	589959
49	**Lucknow**	320	544282	977638	52	1522292
50	**Maharajganj**	196	976995	290315	12	1267518
51	**Mahoba**	254	180606	180257	5	361122
52	**Mainpuri**	593	438424	367239	7	806263
53	**Mathura**	3628	541491	407006	20	952145
54	**Mau**	2038	463153	469333	10	934534
55	**Meerut**	50811	490069	596417	30	1137327
56	**Mirzapur**	296	555533	507556	17	1063402
57	**Moradabad**	3149	704466	574367	12	1281994
58	**Muzaffarnagar**	1506	488320	472132	20	961978
59	**Pilibhit**	4710	649013	346039	4	999766
60	**Pratapgarh**	703	714470	782249	18	1497440
61	**Prayagraj**	2805	898377	1382067	44	2283293
62	**Raebareli**	664	669665	601692	13	1272034
63	**Rampur**	5846	512777	439301	7	957931
64	**Saharanpur**	303	749359	593818	25	1343505
65	**Sambhal**	85	574947	318804	11	893847
66	**Sant Kabir Nagar**	2753	476816	254039	7	733615

67	**Shahjahanpur**	8647	826620	551969	5	1387241
68	**Shamli**	4395	219260	283638	11	507304
69	**Shravasti**	5218	286830	179671	4	471723
70	**Siddharthnagar**	139	755902	285380	12	1041433
71	**Sitapur**	1094	1249701	785331	13	2036139
72	**Sonbhadra**	1017	536168	245709	16	782910
73	**Sultanpur**	381	575669	588394	14	1164458
74	**Unnao**	8503	688061	603990	8	1300562
75	**Varanasi**	1226	638793	811933	28	1451980
Total Registration-		**270166**	**45545993**	**37120483**	**1243**	**82937885**